इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक - मंडल

संपादक

सी.आर. गोपालसुंदरम
प्रधानाचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा
मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी
सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

एन. एस. मिश्रा
महा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

पी. डी. लखनपाल
मुख्य (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक,नई दिल्ली

बसुनायक द्विवेदी
मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, मुंबई

एस. जी. नाडगोंडे
उप महा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वि. अ. कर्णिक
उप प्रधानाचार्य (ग्रेड 'एफ'), भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

यू. एस. पालीवाल
महा प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

सावित्री रा. सिंह
प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग
दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 1

अनुचिंतन 3

लेख

- नियामक रेटिंग और पर्यवेक्षी लेखा–परीक्षा व्यवस्था – अरुण कुमार त्रिवेदी, अशोक कुमार सेठी 4
- अगुआ बनने का नया मंत्र :– ग्राहक संतुष्टि – नवनीत चंद्र मिश्र 10
- बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आइ.आर.) क्यों और कैसे ? – अपूर्व कुमार 14
- बैंक उत्पादों का विपणन – सुबह सिंह यादव 17
- बैंकिंग नीतिशास्त्र – चंद्रशेखर व्यास 20

बैंकिंग परिदृश्य 22

- कंप्यूटर परिभाषा कोश 24
- विदेशी मुद्रा 28
- वर्ष 2001 की महत्वपूर्ण गतिविधियां 31

पुरस्कृत निबंध

- बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या – श्री उत्सव धोलकीया 36

महत्वपूर्ण परिपत्र 42

पुस्तक समीक्षा 54

लेखकों से 56

संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर(पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।
इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
ई मेल/email: *bca_rajbhasha@hotmail.com*

25,000 रुपये तक के ऋणों के लिए एक बार में निपटान

रिज़र्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों को सूचित किया है कि वे 25,000 रुपये तक के ऋणों पर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए उपयुक्त नीति बनायें। उक्त नीति निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनायी जाये :

(i) व्याप्ति

(क) योजना में 25,000 रुपये तक के बकाया मूलधन वाले (ब्याज को छोड़कर) वे सभी ऋण खाते शामिल होंगे, जो 31 मार्च 1998 को अनर्जक आस्ति बन गये हों।

(ख) दिशा-निर्देशों में वे ऋण भी शामिल होंगे जिनके बारे में मुकदमा दायर किया गया है या डिगरी हो गयी है। निपटान हो जाने के बाद बैंक संबंधित न्यायालयों में मुकदमा बंद करने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

(ग) परन्तु योजना में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जान-बूझकर चूक के मामले शामिल नहीं होंगे।

(घ) ये दिशा-निर्देश 30 जून 2002 तक प्रचलन में रहेंगे।

(ii) *निपटान का फार्मूला - राशि और निर्दिष्ट तारीख*

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निपटान के रूप में वसूल की गयी राशि 31 मार्च 1998 को ऋण खाते में बकाया मूलधन की शेष राशि होगी। 31 मार्च 1998 को बकाया राशि में जो भी ब्याज शामिल होगा या 31 मार्च 1998 के बाद बकाया पर जो ब्याज बनेगा उसे छोड़ दिया जायेगा।

(iii) *भुगतान*

उपर्युक्त के अनुसार किये गये निपटान की राशि सामान्यतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। उपयुक्त मामलों में बैंक निपटान की राशि की वसूली किस्तों में करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें निपटान के समय कम से कम 25 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान होगा। शेष राशि निपटान की तारीख से एक वर्ष में वसूल की जानी चाहिए।

(iv) *मंजूर करनेवाला प्राधिकारी*

समझौते से निपटान के बारे में निर्णय का अधिकार शाखा प्रबंधक को होगा। जिस मामले में शाखा प्रबंधक ने स्वयं ही ऋण मंजूर किया हो उस मामले में समझौते द्वारा निपटान का निर्णय उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

(v) *भेदभाव रहित व्यवहार*

बैंक अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को बिना किसी भेदभाव के अपनायेंगे।

(vi) *नीति-निर्माण*

दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए नीति बैंक के निदेशक मंडल को बनानी चाहिए। बैंक बकाया राशि के बारे में अपनी लेखाकरण की क्रियाविधि बना सकते हैं, जो एक बार में निपटान की शर्त पर होगी।

(vii) *प्रचार*

बैंकों को योजना का पर्याप्त प्रचार करना चाहिए, ताकि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार बकाया राशियों के एक बार में निपटान की योजना का अवसर, चूक करने वाले सभी पात्र ऋणकर्ताओं को मिल सके।

(viii) *निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा*

निपटान में हुई प्रगति और उसके ब्यौरे के बारे में मासिक रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने से उच्चतर प्राधिकारी को तथा प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करनी चाहिए। समझौते द्वारा किये गये निपटान की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा हर महीने की जायेगी।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के जनवरी 2002 अंक से साभार)

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक 24 जनवरी 2002 को संपन्न हुई। इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री शरदकुमार, डी. जी. काले और एस. मौर्य का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और रुपाली आंबेकर का सहयोग प्राप्त हुआ।

बैं प्र म का फैक्स नंबर 430 38 82

पंजीकरण सं. **470 43/88**

सूचना क्रान्ति के इस युग में भारत विश्व मंच पर एक जबरदस्त शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है । प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाएं अब हिंदी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं । हिंदी का प्रयोग आज इंटरनेट और ई मेल में संभव हो गया है और बहुत से पोर्टल भी हिंदी में आरंभ किए गए हैं । भारत सरकार के अधिकतर मंत्रालयों/ विभागों में हिंदी की वेबसाइट भी शुरू कर दी गई हैं । यही दिशा है जिस ओर हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को ले जाना चाहिए । हमें राजभाषा हिंदी को नए युग की अपेक्षाओं और सूचना क्रान्ति के क्षेत्र में हो रहे नित नए अनुसंधानों के अनुरूप इस प्रकार ढालना चाहिए जिससे वह देश के उत्तरोत्तर विकास में एक अहम् भूमिका निभा सके ।

- गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का संदेश

संपादकीय

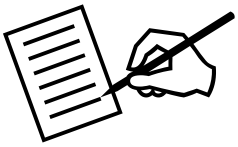

प्रिय पाठकों,

मैने सोचा कि क्यों न इस अंक में मैं आपसे इलाहाबाद बैंक द्वारा कोलकाता में 14 से 17 जनवरी, 2002 तक "आमूलचूल परिवर्तन" की मूल भावना के तहत आयोजित किए गए बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन "बेकॉन - 2001" के बारे में बातचीत करूं । इससे पहले कि मैं आपसे उन मुद्दों के बारे में चर्चा करुं जिन पर "बेकॉन - 2001" में विचार किया गया, यह उचित होगा कि हम ऐसे सम्मेलन की शुरूआत और बैंकिंग के वर्तमान परिदृश्य में उसकी भूमिका के बारे में जान लें ।

2. जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन मूलतः बैंक अर्थशास्त्रियों के लिए एक ऐसा मंच है जहां पर वे एकत्रित होकर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों पर चर्चा करते हैं । श्री थिंगालया, भूतपूर्व मुख्य प्रबंधक निदेशक, सिंडिकेट बैंक के अनुसार इस सम्मेलन का बीज 1972 में बैंक अर्थशास्त्रियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर, डॉ. आर. के. हजारी के बीच हुई बातचीत के दौरान पड़ा था । अगले ही दिन भारतीय बैंक संघ ने ऐसे अर्थशास्त्रियों की बैठक आयोजित की, जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर के साथ बैठक में भाग लिया था । इसका मूल उद्देश्य था, बैंक अर्थशास्त्रियों को अपने विचारों और राय के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराना । आगे चलकर इसी ने बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का रूप धारण किया, जिसमें बैंक अर्थशास्त्रियों द्वारा सामयिक महत्व के कई विषयों पर खोजपरक आलेख प्रस्तुत किए जाते हैं ।

3. जैसाकि आप सभी जानते हैं, 1990 का दशक बैंकिंग इतिहास के गलियारे में वित्तीय प्रणाली को प्रतिस्पर्धा और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के साथ आवश्यक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से नरसिंहम समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वित्तीय क्षेत्र सुधारों के आगमन के लिए चर्चित रहा है । यही वजह थी कि 1990 के दौरान आयोजित किए गए "बेकॉन" में प्रतिस्पर्धा, बाज़ार, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई । नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में जोखिम प्रबंधन, भारतीय बैंकों का पुनर्निर्माण एवं पुनर्अभिकल्पना, विशेष रूप से बैंकिंग तकनीक के कार्यान्वयन से संबंधित प्रणालियों एवं रणनीतियों, पर्यवेक्षण और विनियमन के बदलते आयामों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई ।

4. नई सहस्त्राब्दी के साथ आई नई शताब्दी में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई और यही "बेकॉन - 2001" की मूल भावना भी बना । इसमें चर्चित मुद्दे पूरी तरह से भिन्न थे किन्तु नब्बे के दशक के दौरान चर्चित मुद्दों के साथ उनकी निरंतरता बनी रही । इसमें मुखर रहे मुद्दे थे - नई पूंजी अभिसंधि का निहितार्थ, कार्पोरेट व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली में एकीकरण, वैश्विक बैंकिंग,

अनुत्पादक आस्तियों का प्रबंधन आदि । विभिन्न प्रतिनिधियों से दो खंडों में संकलित कुल 88 आलेख प्राप्त हुए जिनमें ऊपर उल्लिखित मुद्दों सहित अन्य मुद्दों से संबंधित आलेख शामिल थे । इसके अलावा जिन अन्य मुद्दों ने ध्यान आकर्षित किया, वे इस प्रकार थे - मानव संसाधन विकास, जोखिम प्रबंधन, पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड, फुटकर बैंकिंग, विश्व व्यापार संगठन और भारतीय बैंकिंग, संरचनात्मक वित्तपोषण, निदेशित उधार, शहरी सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दे । इस सम्मेलन का उद्घाटन करनेवाले भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने नई दिल्ली में आयोजित "बेकॉन - 2000" में उनके द्वारा उठाए गए विविध मुद्दों पर पुनः एक बार प्रकाश डालने के बाद बैंकरों से नई पूंजी अभिसंधि को लागू करने के लिए तैयार रहने का आवाहन किया । अनुवर्ती सत्र में, नियामक (भारतीय रिज़र्व बैंक), उद्यमियों और विधि विशेषज्ञों के नजरिये से आमूलचूल परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया । मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के मंच पर शामिल होते हुए कई वाणिज्य बैंकों के अध्यक्षों ने अब तक तय की गई मंज़िलों और भावी चुनौतियों पर प्रकाश डाला । संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति में कई पहलुओं, विशेष रूप से मानवीय तत्वों की महत्ता पर जोर दिया गया । अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्पोरेट व्यवस्था अलग सत्र के रूप में चर्चित रहा । यद्यपि यह माना गया कि बैंकों का निष्पादन तटस्थ स्वामित्व का मामला है, तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विधिक ढांचे और अन्य मामलों से संबंधित विशेषताओं पर कार्पोरेट बैंकिंग के सिद्धान्तों के प्रकाश में चर्चा की गई । अपने समापन संबोधन में डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, उप गवर्नर ने आमूलचूल परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग से संबंधित सार्वजनिक नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के मौजूदा बैंकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाए जहां सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के शेयरों को धारक कंपनी को अंतरित किया जा सके । एक दूसरा मुद्दा जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया वह था - वाणिज्यिक बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां । उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता प्राप्त और गैर - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की अनुत्पादक आस्तियों के आंकड़ों और उनके निहितार्थ पर नए सिरे से पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि खाद्य ऋण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया ऋण, गैर खाद्य-ऋण का ही एक हिस्सा है ।

इस प्रकार से "बेकॉन" एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन बन चुका है जो बैंकरों को प्रचलित मुद्दों पर अपने मतों का आदान-प्रदान करने, अपने सहकर्मी बैंकरों से सर्वोत्तम पद्धतियों एवं उपायों के बारे में जानकारी हासिल कर उनका कार्यान्वयन करने, भावी चुनौतियों पर प्रकाश डालने, उपयुक्त रणनीतियों, नीतियों और परिणामकारी नियमों एवं विनियमों का निर्धारण करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है ।

आपका

अनुचिंतन

सूचना - प्रौद्योगिकी विशेषांक बहुत ही सार-गर्भित, विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी के साथ प्राप्त हुआ है जिसके लिए संपादक मंडल के सभी सदस्य प्रशंसा के पात्र हैं । मेरा ऐसा मानना है कि यह सभी वर्ग के व्यक्तियों, व्यावसायिकों तथा अव्यावसायिकों के लिए एक सन्दर्भ पुस्तक के रूप में भी उपयोगी रहेगा ।

- पी. सी. कासलीवाल
भूतपूर्व मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
बी-64, साकेत कॉलोनी
आदर्श नगर
जयपुर - 302 004.

मैं बैंकिंग चिन्तन - अनुचिन्तन का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं । मुझे यह पत्रिका बैंकिंग क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से प्रकाशित पत्रिकाओं में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका लगती है तथा इसमें प्रकाशित सामग्री उत्कृष्ट एवं तकनीकी व तात्कालिक जानकारियों को प्रदान करने में सक्षम है । अतः आपसे निवेदन है कि मुझे यह पत्रिका नियमित रुप से प्रेषित करने का कष्ट करें ।

- जे, सी. राठौर
74, एम. आई. जी.
अमृत सागर कॉलोनी
रतलाम - 457 001.

मैंने आज से लगभग सात महीने पहले ही बैंक में नौकरी पाई है किन्तु अभी तक मुझे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है । मैंने अपने सहकर्मी से प्राप्त बैंकिंग चिन्तन-अनुचिन्तन की पुरानी तथा नई प्रतियों को पढ़कर बैंक से संबंधित अनेकानेक बातों की जानकारी प्राप्त की है ।

मुझे उस समय गहरा धक्का लगा जब मैंने जाना कि यह पत्रिका अब इंटरनेट पर उपलब्ध है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पत्रिका को वेबसाइट के अलावा मुद्रित रुप में भी प्रेषित किया जाये क्योंकि हम जैसे अत्यन्त ही आंतरिक क्षेत्रों में पड़नेवाले शाखा के सहकर्मी इस पत्रिका से मिलनेवाले फायदों से वंचित रह जाएंगे क्योंकि अनेक शाखाओं में तो बिजली भी उपलब्ध नहीं है और वहां इंटरनेट आते-आते तो सदियां लग जाएंगी ।

- अभिषेक कुमार
भारतीय स्टेट बैंक
बीसबोटे शाखा
लोधोमा हाट
दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल.

हालांकि पिछले कई वर्षों से मैं आपकी इस प्रतिष्ठित पत्रिका का नियमित पाठक हूं, तथापि इसके "सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक" को देखकर मुझे लगा कि अब इस पत्रिका ने लोकप्रियता के अभिनव शिखर स्थापित कर लिए हैं । सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों पर विद्वानों के प्रामाणिक लेख जहां एक ओर अध्ययनशील पाठक की जिज्ञासा को परितृप्त करने में सक्षम हैं, वहीं दूसरी ओर इसका उत्कृष्ट मुद्रण, नयनाभिराम साज-सज्जा तथा पृष्ठों की संख्या में बढ़ोतरी अनायास ही पाठक को मंत्रमुग्ध कर देती है । वस्तुतः यह अंक सभी दृष्टियों से एक संग्रहणीय अंक बन गया है ।राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयासों का ऐतिहासिक महत्व है । मुझे विश्वास है कि भारतीय बैंकिंग जगत में यह पत्रिका प्रकाशस्तंभ सिद्ध होगी ।

- शिखर कासलीवाल
उप महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
पूर्वी उ. प्र. अंचल
जीवन भवन
45, हजरतगंज
लखनऊ - 226 001.

नियामक रेटिंग और पर्यवेक्षी लेखा-परीक्षा व्यवस्था

अरुण कुमार त्रिवेदी
उपाध्यक्ष,
इंडस-इंड बैंक लिमिटेड, मुंबई
एवं
अशोक कुमार सेठी
वरिष्ठ प्रबंधक,
केनरा बैंक,
अंचल कार्यालय,
मुंबई (उत्तर)

आज **नियामक रेटिंग** का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वर्ष 1992 से पहले कंपनियां और अन्य प्रतिष्ठान सावधि जमाराशियों, शेयरों और डिबेंचरों के निर्गम आदि के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए बाज़ार के द्वार खटखटाते थे। इन कंपनियों में रातों-रात उड़न-छू होने वाले कुछेक लोग भी थे, जिन्होंने बाज़ार से पैसा उठाया और लेकर चम्पत हो गये। इस क्रम में नवीनतम कड़ी के रूप में 'सी.आर.बी' था, जिसे भारी चूक के कारण बंद करना पड़ा। हमें संदेह है कि बाजार में अब इतिहास दुहराने की बारी **'बागान कंपनियों'** की है ।

इन सब बातों को देखकर नियामकों ने भी तेजी दिखायी है, ताकि बचाव के रास्तों को बंद किया जा सके और इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये कि जिस किसी प्रतिष्ठान की सफलता संदिग्ध हो और जो जमाकर्ताओं को संभावित हानि पहुंचाए और शेष वित्तीय व्यवस्था तथा जनसाधारण पर लागत का बोझ डाले, उसके बारे में समय पर कार्रवाई की जाये । इस दिशा में उठाया गया एक कदम था- व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों द्वारा **ऋण पात्रता रेटिंग** अर्थात् एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने की आवश्यकता ।

रेटिंग की परिभाषा

किसी की भी ग्रेडिंग करने या वर्गीकरण करने की प्रक्रिया है रेटिंग । ऋण रेटिंग किसी व्यक्ति या कारोबार प्रतिष्ठान की ऋण पात्रता मूल्यांकन है और यह देयताओं को चुकाने की क्षमता और इच्छा दर्शाने वाले सम्बद्ध कारकों के साथ-साथ निवल संपत्ति पर आधारित होती है । यह रिपोर्टों और बहियों में वाणिज्यिक या अन्य एजेंसी द्वारा प्रयुक्त एक संख्या या शब्द है जो कारोबार की क्षमता और निपटान को इंगित करता है, ताकि उसकी वित्तीय देयताओं को पूरा किया जा सके । यह मूलधन और ब्याज की प्रतिभूति पर आधारित बांडों और स्टॉकों की **निवेश गुणवत्ता,** अर्जक शक्ति, बंधक स्थिति, बाज़ार के इतिहास और विक्रेता के मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग की जाती है ।

दूसरे शब्दों में रेटिंग या ऋण रेटिंग किसी मूल्यांकन किये जा रहे प्रपत्र या सत्ता पर रेटिंग एजेंसी या संगठन की राय को जाहिर करती है । अनिवार्य रूप से यह मूल्यांकित किये जाने वाले पर मूल्यांकनकर्ता के "**जोखिम बोध ज्ञान**" का प्रतिबिंब है । यह एक संमिश्र मानदंड है, जिसमें ऋण जोखिम या काउंटर पार्टी जोखिम, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम, सीमा पार के जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रबंधकीय जोखिम, वित्तीय जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, कानूनी जोखिम, अनुपालन जोखिम, मानव जोखिम जैसे विविध मानदंड शामिल हैं ।

रेटिंग के प्रभाव

एक अच्छी रेटिंग प्रक्रिया मूलतः निम्नलिखित प्राथमिक प्रश्नों के उत्तर देगीः

क) रेटिंग किसकी की जा रही है?

ख) प्रक्रिया किस समय तक वैध होगी?

ग) रेटिंग संगठन की रुचि क्या है?

घ) रेटिंग कितनी वस्तुनिष्ठ है?

ङ) जोखिम प्रोफाइल की रेटिंग की इसी प्रकार की रेटिंग्स के साथ तुलना कैसे की जा सकती है।

उक्त प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर हमें जोखिम प्रोफाइल की रेटिंग की पृष्ठभूमि और रेटिंग व्यवस्था की आवश्यकता या अनावश्यकता के बारे में उत्तर देगा।

वर्तमान स्थिति

नियामकों ने अपना कार्य किया और क्रिसिल, केयर, आई.सी.आर.ए. और अब डफ एंड फेल्प्स जैसी रेटिंग एजेन्सियां प्रपत्रों के जनसाधारण को जारी किये जाने से पूर्व प्रपत्रों की रेटिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 1992 में उनके एफ डी कार्यक्रम के लिए अनिवार्य रेटिंग के मुद्दे पर निदेश जारी किये थे। साथ ही, किसी भी डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र या जमाराशि प्रमाण-पत्र की रेटिंग किये जाने की भी आवश्यकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिये हैं कि वे उधार के उद्देश्यों के लिए प्रपत्रों पर दुहरी रेटिंग प्राप्त करें। इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान रेटिंग व्यवस्था केवल प्रपत्र की ओर निर्दिष्ट है और उसकी सत्ता की ओर नहीं। बाज़ार का बोध ज्ञान एक सत्ता है जिसकी रेटिंग की जानी है। तथापि, रेटिंग एजेन्सियां बैंकों और उन कंपनियों आदि की भी सामान्य रेटिंग करती हैं, जिन्हें उधार दिया जाना है। परंतु ऐसी रिपोर्ट आम जनता के उपयोग के लिए नहीं होती। वर्तमान में बैंकों आदि की नियामक रेटिंग से संबंधित कोई मानदण्ड नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रेटिंग से संबंधित जमा स्वीकृति की संकल्पना की शुरुआत की है। यह संभव है कि भारतीय रिज़र्व बैंक स्थानीय बैंकों के लिए रेटिंग की भी शुरुआत करे।

कारोबार पत्रिकाओं द्वारा रेटिंग का प्रयास

वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का नियामकों द्वारा 'निरीक्षण' किया जा सकता है । इसलिए अधिकतर जनता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सही तस्वीर से अवगत नहीं है । इस अंतर को कुछ हद तक कारोबार पत्रिकाओं ने भरने की कोशिश की है, जिन्होंने एक के बाद एक 'समीक्षाओं' में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का 'मूल्यांकन' करने का प्रयास किया है और उन्हें प्रकाशित तुलन-पत्र से उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विविध मानदंडों के अनुसार श्रेणीबध्द किया है । केवल लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र पर आश्रित होने की सामान्य आलोचना यहां की जा सकती है, किन्तु तथ्य यह है कि समीक्षा का कार्य स्वयं उनके द्वारा किया गया और यह प्रशंसनीय है । इन कारोबार पत्रिकाओं ने पहले फॉरच्यून-500 में उपलब्ध कंपनियों की सूची की भांति कंपनियों की सूची बनाने का प्रयास किया था। कुछेक कंपनियों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में 1000 कंपनियों आदि की सूची बनायी। अब यह सुख का आभास ठंडा पड़ चुका है। क्या यह नियामक रेटिंग की स्पष्ट आवश्यकता की ओर इशारा कर रहा है?

नियामक रेटिंग की आवश्यकता

क्या भारत में या विश्व के किसी अन्य भाग में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए नियामक रेटिंग की आवश्यकता है? यह संभव है कि कुछ लोग 'हां' कहें और अन्य कहें 'नहीं'। निवेशकों के लिए रेटिंग उपयोगी है और वह भी इस तरह कि अब वे मूल्यांकन की जा रही संस्था की तुलना बाजार में दूसरी संस्थाओं से कर सकते हैं और यह बात अब संदेह से परे है । उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने के लिए उन्हें 'जोखिम दर' की दृष्टि से मूल्यांकित संस्थाओं की निगरानी और वर्गीकरण के उद्देश्य से नियामक के हाथों में एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है । रेटिंग एजेंसियों द्वारा विकसित और निरूपित रेटिंग व्यवस्था सामान्यतः अच्छी मानी जाती है, फिर भी, ऐसे आरोप हैं कि रेटिंग कंपनियां पक्षपात करती हैं या इससे भी खराब यह कि बाज़ार की गतिविधियों पर उनकी प्रतिक्रिया काफी धीमी रहती है । यहां पर यह चर्चा का विषय नहीं है । जब तक पर्यवेक्षक को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गयी है तब तक नियामक को एक ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होगी जिससे वह संस्थाओं को नियंत्रित कर सके। इस संदर्भ में ही रेटिंग करना अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। जब तक नियामक के पास अनुभव और **विशेषज्ञता** है वह अपनी स्वयं की रेटिंग व्यवस्था का प्रयोग कर सकता है या इसे किसी अन्य विशेषीकृत रेटिंग एजेन्सी से करवा सकता है। इस प्रक्रिया में उन मानदण्डों को भी परिभाषित करना है जिन्हें देखने की आवश्यकता है। निःसंदेह नियामकों के दृष्टिकोण से और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अनुसार नियामक रेटिंग की आवश्यकता है।

विदेशों में रेटिंग मॉडल

ए) अमरीका में पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे रेटिंग मॉडल हैं - स्थानीय बैंकों के लिए कैमल (सी.ए.एम.ई.एल.) मॉडल और विदेशी बैंकिंग संगठनों (एफ.बी.ओ.) के लिए रोसा (आर.ओ.सी.ए.) कारक अर्थात् जोखिम प्रबंधन प्रणाली, परिचालन नियंत्रण अनुपालन और आस्ति-गुणवत्ता। विदेशी बैंकिंग संगठनों के मूल्यांकन में पूंजीकरण, प्रबंधन और **आमदनी कारक** के पहलुओं पर जोर नहीं दिया गया है।

बी) युनाइटेड किंगडम में बैंक ऑफ इंग्लैंड कॉमन मॉडल के आधार पर आयोजित औपचारिक जोखिम मूल्यांकनों सहित जोखिम मूल्यांकन के प्रति अधिक पद्धतिबद्ध रवैया शुरू करके विविध प्रकार की संस्थाओं द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों और जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर करने की योजना बना रहा है। ये मूल्यांकन संरचित फ्रेमवर्क उपलब्ध करायेंगे जिनके बीच पर्यवेक्षी रणनीति तैयार करने, निर्णय का पालन करने और बैंकों व बैंकों के हिस्सों को अधिक जोखिम संभावनाओं के साथ संसाधनों के आंबटन की योजना बनानी होगी। तदनुसार, बैंक आर.ए.टी.ई. (रेट अर्थात् जोखिम निर्धारण साधन और मूल्यांकन) नामक मॉडल तैयार करेगा, जिसे अनुसूची के अंतर्गत क्या बैंक मानदण्डों को पूरा करते हैं, उसके अलावा गुणात्मक और परिमाणात्मक उपायों के अंतर्गत संभावित जोखिमों को विनिर्दिष्ट करने के लिए बनाया गया है।

भारत में रेटिंग मॉडल

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक ने खन्ना समिति (एन.बी.एफ.सी. के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह-भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में) गठित की थी। समिति का गठन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु किया गया था। रेटिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से समिति ने अप्रैल 1996 में यह सिफारिश की थी कि पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग प्रणाली शुरू की जाये, ताकि निम्नलिखित विभिन्न स्तरों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच भेद किया जा सके :-

क) नियामक / पर्यवेक्षी अनुपालन

ख) वित्तीय सुदृढ़ता

ग) ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग

घ) प्रबंधकीय प्रभावोत्पादकता

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रेटिंग प्रक्रिया को पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आवश्यक पर्यवेक्षी चिंताओं और मौके पर निरीक्षण करने की आवधिकता के निर्धारण के लिए इस्तेमाल में लाया जाये। समिति ने एक और कदम आगे जाकर रेटिंग में शामिल किये जाने वाले तत्वों की मोटी सूची के बारे में भी कहा। समिति का यह भी विचार था कि इन तत्वों में से प्रत्येक को पर्याप्त महत्व दिया जाना जरूरी है। बताये गये तत्व निम्नलिखित थे :-

1) जमाराशियां स्वीकार करने, ब्याज और कमीशन के भुगतान, **चलनिधि** को बनाये रखना, विवेकपूर्ण तथा अन्य मानदण्डों से संबंधित नियामक शर्तों के साथ अनुपालन का स्तर या मात्रा।

इसमें मानदण्डों को अंक इस प्रकार दिये गये :-

सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करनेवाली कंपनियां	:	10
कंपनियां, जिन्होंने परिमाण और अवधि का अनुपालन नहीं किया	:	04
कंपनियां जिन्होंने परिमाण और अवधि, ब्याज, दलाली और कमीशन का अनुपालन नहीं किया	:	02
कंपनियां जिन्होंने परिमाण, अवधि, ब्याज, चलनिधि विवरणियों के प्रस्तुतीकरण आदि का अनुपालन नहीं किया	:	-2

2) पर्यवेक्षी प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित आंकड़ों / विवरणियों / विवरणों का प्रस्तुतीकरण :

तत्परता से और शुद्ध प्रस्तुतीकरण	:	10
आकस्मिक विलंब और छोटी असंगतियां	:	05
चिरकालिक विलंब और बड़ी असंगतियां	:	0
अप्रस्तुतीकरण	:	-2

3) विवेकपूर्ण मानदण्डों का पालन :-

न्यूनतम निर्धारित ऋण रेटिंग सहित सभी मानदण्डों का पालन	:	15
केवल **पूंजी पर्याप्तता** मानदण्डों का पालन	:	10
पूंजी पर्याप्तता 6 से 8 प्रतिशत के बीच	:	05
पूंजी पर्याप्तता 4 से 6 प्रतिशत के बीच	:	02
किसी भी मानदण्ड का पालन नहीं	:	-5

4) ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गयी रेटिंग :-

उच्चतम सुरक्षा	:	15
उच्च सुरक्षा	:	12-14
पर्याप्त सुरक्षा	:	09-11
अपर्याप्त सुरक्षा	:	0
उच्च जोखिम	:	-2
चूक	:	-5

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सौंपी जानेवाली पर्यवेक्षी रेटिंग को रेखांकित किया जाना था और पांच अंकीय स्केल पर फैलाया जाना था तथा निम्नवत् जोखिम रेटिंग दी जानी थी:-

संमिश्र अंक	रेटिंग	जोखिम रेटिंग
45 से 50	ए	न्यून जोखिम
35 से 44	बी	मध्यम जोखिम-I
25 से 34	सी	मध्यम जोखिम-II
14 से 24	डी	उच्च जोखिम

तब दी गयी रेटिंग को विभिन्न स्तरों पर मौके पर निरीक्षण को प्रेरित करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था ।

उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने खन्ना समिति के प्रस्ताव के अनुसार प्रणाली को आशोधित कर दिया है और नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से जमा राशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गयी रेटिंग को अपनाया है । इस पूरी प्रक्रिया की प्रमुख बात यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिक रूप से उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करना चाहता है जो मुख्यतः जनता से जमा राशियां स्वीकार करती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिभाषित किया है कि 'जनता से जमा राशियां' क्या हैं और क्या नहीं । भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली बार यह भी निर्देश दिया है कि जनता से जमा राशियां रखने की इच्छुक या वास्तव में रखने वाली इस प्रकार की सभी कंपनियों की अनिवार्य रूप से रेटिंग की जाये, क्योंकि जमा राशियां रखने की उनकी क्षमता सीधे ही उनकी रेटिंग से जुड़ी हुई है । यह इस **तत्वज्ञान** का सूचक है कि विशिष्ट एजेंसियों को वे सब कार्य करने देने चाहिए जो वे बेहतर ढंग से करना जानती हैं ।

बैंकिंग कंपनियों के बारे में कदम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड गठित किया था । भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के शब्दों में बोर्ड की स्थापना विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण पर अविभक्त और सघन रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए की गयी थी । भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'बैंक पर्यवेक्षण की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा' करने के लिए समिति गठित की थी । यह समिति आम तौर पर समिति के अध्यक्ष के नाम पर पद्मनाभन समिति (1996) के नाम से जानी जाती है, भ्रमवश इसे 1991 की समिति न समझा जाये । समिति ने नवंबर 1995 में कुछेक दूरगामी सुधारों के बारे में सिफारिश की थी । इन सिफारिशों में से एक थी :

"व्यापक रूप से अपनाये गये कैमल (सी.ए.एम.ई.एल.) मॉडल की तर्ज पर बैंकों के लिए रेटिंग कार्य-प्रणाली को प्रस्तावित करना, ताकि पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण को ठीक-ठाक किया जा सके"।

उक्त से यह स्पष्ट है कि नियामक विनियम संबंधी नयी रेटिंग व्यवस्था अपनाने के लिए इच्छुक था। अनेक देशों में पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षण के हथियार के रूप में पर्यवेक्षित संस्थाओं की रेटिंग करने की प्रणाली अपनाते हैं। रेटिंग व्यवस्था रेटिंगकर्ता को पर्यवेक्षणाधीन बैंकों पर नज़र रखने, वर्ष दर वर्ष आधार पर तुलना करने, बैंकों को काफी हद तक निगरानी

में रखने और जोखिम **सुसाध्य** बेहतर मैक्रो स्तरीय नियंत्रण के घटकों का मूल्यांकन करने तथा बैंकों के प्रबंधन को उन्नत करने के लिए परामर्श देने में सहायता करती है।

वर्तमान रेटिंग व्यवस्था

वर्तमान में भारत में पर्यवेक्षक रेटिंग व्यवस्था को बहुत संकीर्ण आधार पर प्रयोग किया जाता है। वर्तमान रेटिंग रिपोर्ट की गयी अपनी निधियों के घटकों की हानि से संबद्ध निर्धारित 'दिवालिएपन' के एकमात्र कारक पर आधारित है। 'वास्तविक मूल्य' के निर्धारण के संदर्भ में बैंक की पूंजी और आरक्षित निधियों के बही मूल्य की हैसियत पर आधारित बैंक की स्थिति की निम्नलिखित चार स्तरीय पैमाने पर रेटिंग की जाती है :-

1. अच्छी	:	जहां बुक ईक्विटी अक्षुण्ण है।
2. संतोषजनक	:	जहां केवल आरक्षित निधियां क्षीण हैं, किन्तु पूंजी अक्षत है।
3. संतोषजनक नहीं	:	जहां आरक्षित निधियां लुप्त हो गयी हैं और पूंजी भी क्षीण है।
4. असंतोषजनक	:	जहां शेयरधारक की निधियां पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं और जमाराशियों में कमी आयी है।

यह प्रणाली अपर्याप्त, असंतोषजनक और भ्रामक पायी गयी है, क्योंकि यह सभी वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ-साथ परिचालन, प्रबंधन और अनुपालन मुद्दों के साथ भी न्याय नहीं करती है।

नियामक रेटिंग के सहायक कारक

उन विभिन्न कारकों पर भी नज़र डालना आवश्यक है, जिन पर रेटिंग के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर रेटिंग के लिए हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जिनके लिए पर्यवेक्षी परीक्षाएं रखी गयी हैं या रखी जाने की आवश्यकता है। ये वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों हो सकते हैं और इनमें निम्नलिखित में से कोई या सभी हो सकते हैं :-

ए- वित्तीय स्थिति

बी - परिचालन स्थिति-प्रणाली और नियंत्रण

सी- विनियम संबंधी अनुपालन

ए - वित्तीय स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से किसी को या सभी को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. आस्ति गुणवत्ता
2. **शोध क्षमता**
3. पूंजी पर्याप्तता
4. उपार्जन कार्य-निष्पादन और
5. चलनिधि का मूल्यांकन

इनमें से प्रत्येक को और भी अधिक परिभाषित किया जा सकता है, ताकि अनिवार्य मानदण्डों को शामिल किया जा सके।

बी - परिचालन स्थिति के संबध में रेटिंग की जा रही संस्था में प्रचलित जोखिम प्रबंधन प्रणाली, शााखाओं पर केन्द्रीय नियंत्रण, शाखा समायोजन खाते जैसी आंतरिक क्लीयरिंग प्रणालियां, प्रचलित आंतरिक निरीक्षण और लेक्षा-परीक्षा व्यवस्था के प्रभाव या अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

सी - प्रबंधन की गुणवत्ता किसी सुदृढ़ संस्था और एक असुदृढ़ संस्था के बीच का प्रमुख अंतर है। बोर्ड की भूमिका में नीति विषयक दिशा प्रदान करना और साथ ही विनियम संबंधी अनुपालन में संस्था के क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना मुख्य बातें हैं।

वर्तमान में बैंकों की रेटिंग कैमल (एस) [सी.ए.एम.ई.एल.(एस)] संरचना पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संदर्भ में इस मॉडल के संशोधन की आवश्यकता है। कैमल में निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

सी - का अर्थ पूंजी पर्याप्तता,

ए - का अर्थ आस्ति गुणवत्ता,

एम - का अर्थ प्रबंधन,

ई - का अर्थ उपार्जन और

एल - का अर्थ चलनिधि (लिक्विडिटी) है ।

यह मॉडल विनियम संबंधी अनुपालन पहलू पर गौर नहीं करता और पूर्णतया कारोबार पर केन्द्रित है, हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक निवेशों के मूल्यांकन पद्धति और आस्ति प्रावधान संबंधी मानदंडों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहता है। इसलिए कैमल (सी.ए.एम.ई.एल.) को

क्रैमल (सी.आर.ए.एम.ई.एल) के रूप में संशोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें आर. का अर्थ विनियम (रेगुलेशन) संबंधी अनुपालन है।

उक्त मानदंडों में से प्रत्येक के लिए कोई भी पांच अंकीय पैमाना अपनाया जा सकता है या भेदभाव से बचने के लिए छः अंकीय पैमाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है : -

1. सभी पहलुओं में पूर्णतः सुदृढ़ ।
2. सभी पहलुओं में सुदृढ़, किन्तु कुछ कमियां मौजूद हैं।
3. सभी पहलुओं में सुदृढ़ नहीं-कुछेक कमियां मौजूद हैं, किन्तु चिंता का कोई कारण नहीं हैं।
4. विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर कमियां हैं, जो चिंता का कारण हैं।
5. गंभीर कमियां हैं, जो भावी संभाव्यता (वायबेलिटी) को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
6. महत्वपूर्ण कमियां हैं, जिनसे निकट भविष्य में विफलता की संभावनाएं अधिक हैं।

क्रैमल में प्रत्येक मानदण्ड को ऊपर दिये गये पैमाने के अनुसार छः अंकीय मूल्य प्रदान किया जा सकता है । तब, उक्त मानदण्डों में से प्रत्येक को अंक देकर या फैक्ट्रिंग द्वारा **संमिश्र** रेटिंग पर पहुंचा जा सकता है । यह प्रत्येक पर्यवेक्षणाधीन संस्था के लिए नियामक रेटिंग होगी। नियामक इसे उत्तरवर्ती पर्यवेक्षी चक्रों के लिए एक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

जिस संस्था का पर्यवेक्षण हो रहा है उसे उसकी सूचना के लिए रेटिंग उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। यह रेटिंग तब उस संस्था के 'जोखिम प्रत्यक्ष ज्ञान' की सूचक होगी, जिसका पर्यवेक्षण हो रहा है और यह पर्यवेक्षित संस्था और पर्यवेक्षक दोनों के लिए होगी ।

निष्कर्ष

अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि बैंकों के लिए नियामक रेटिंग अनिवार्य है । इसके लिए जिम्मेदार कारकों में वित्तीय और गैर-वित्तीय कारक दोनों शामिल हैं । रेटिंग, पर्यवेक्षक द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए एक साधन है । यह पर्यवेक्षक के जोखिम संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान को नियमित करने की भी एक व्यवस्था है । क्रैमल मॉडल को विभिन्न मानदंडों के लिए दिये गये उचित भार के साथ अपनाना बैंकों की रेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है । इस बारे में कुछ अन्य प्रश्नों पर भी विचार करना उचित होगा । जैसे कि -

क्या रेटिंग को बैंकों के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाये, ताकि :

1. जमाराशियों को पूंजी पर्याप्तता या किसी अन्य मानदंड के साथ जोड़कर बढ़ाया जा सके ।
2. बैंक जितनी मात्रा में आस्तियां रख सकते हैं, उन पर वित्त प्रदान किया जा सके ।
3. इसकी गारंटियों पर वित्त प्रदान करने या **आकस्मिक देयताओं** या तुलन-पत्र से इतर किसी अन्य मद को सीमित किया जा सके और अन्ततः
4. नियामक रेटिंग अनुपालन कार्य और बैंक की सहायता कर सके ।

प्रयुक्त शब्दावली

नियामक रेटिंग	Regulatory Rating	चलनिधि	Liquidity
बागान कंपनियां	Plantation Companies	पूंजी पर्याप्तता	Capital adequacy
ऋण-पात्रता रेटिंग	Credit Eligibility rating	तत्व ज्ञान	Philosophy
निवेश गुणवत्ता	Investment quality	सुसाध्य	Facilitating
जोखिम बोध ज्ञान	Risk Perception	शोध क्षमता	Solvency
विशेषज्ञता	Expertise	संमिश्र	Composite
आमदनी कारक	Earning Factors	आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities

अगुआ बनने का नया मंत्रः ग्राहक संतुष्टि

नवनीत चंद्र मिश्र
भारतीय स्टेट बैंक ,
गया

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के फलस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, निजी क्षेत्र के बैंकों के आ जाने से बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन का दौर चल रहा है जिसके कारण बैंकों के सामने बहुत सी चुनौतियां उत्पन्न हो गयी हैं । इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यावश्यक है कि हमारी ग्राहक सेवा सबसे बेहतर हो तथा उसमें हमारी सेवा भावना स्पष्ट रूप से दिखायी दे । पिछले कुछ वर्षों से ग्राहक सेवा के संबंध में बैंकों की जहां काफी आलोचना हुई है वहीं उनमें सुधार हेतु महत्वपूर्ण कदम भी उठाये गये हैं । प्रशिक्षण और चर्चाओं के माध्यम से बैंकिंग उद्योग को सेवा उन्मुख बनाने के उपाय किये गये हैं । बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा पर एक "कार्यदल" का गठन किया गया था जिसकी अधिकांश सिफारिशों को लागू करके बैंकों ने अपनी सेवाओं की ओर विशेष ध्यान दिया है । बेहतर सेवाएं ही अब बैंकों की अपनी अलग पहचान रह गयी हैं, क्योंकि अन्य बातें और योजनाएं तो लगभग हर बैंक में समान हैं । बैंकिंग एक सेवा उन्मुखी व्यवसाय है । कोई भी **प्रतिस्पर्धी व्यवसाय** अपने भविष्य के लिए ग्राहक सेवा के स्तर पर निर्भर है । आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में अगुआ बनने के लिए ग्राहक को संतुष्ट रखना सबसे महत्वपूर्ण है ।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए **पात्रता निर्धारण मानक** तैयार किये हैं, जिसमें विभिन्न सेवा पहलुओं को पांच बड़े समूहों में रखा गया है । इसमें प्रथम चार सेवा समूहों --(क) गति और कार्यक्षमता (ख) स्थान और सुविधाएं और कर्मचारियों का आचरण (ग) ऋण पहलू और (घ) विदेशी मुद्रा कारोबार पहलू -- में निहित मानदंड शाखा स्तर की ग्राहक सेवा गुणवत्ता के निर्धारण करने हेतु प्रयोग में लाने की बात है ।

प्रत्येक पहलू का निर्धारण अत्युत्तम, उत्तम, संतोषजनक, असंतोषजनक और खराब के रुप में किया जाएगा । ग्राहक सेवा बैंकों के लिए प्राणवायु के समान होगी । संतुष्ट ग्राहक, त्वरित सेवा, सहयोगात्मक रुख, उन्नत तकनीक तथा समय की बचत आदि अगुआ बनने के अपरिहार्य मानदंड बन जाएंगे ।

"ग्राहकों की संतुष्टि" **व्यवसाय संवर्धन** की कुंजी है। यह अप्रिय किंतु सत्य है कि बैंकों में ग्राहक सेवा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और स्टाफ की प्रवृत्तियां, **सौजन्यशीलता** एवं नम्रता की कमी, ग्राहकों के साथ रुखा, शुष्क व सहानुभूति-रहित व्यवहार, सेवा में विलंब आदि बातों से ग्राहक बैंकों से दूर होता जा रहा है। यदि हम आम ग्राहक से बैंकों की ग्राहक सेवा के संबंध में बात करें तो यही पायेंगे कि वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। उसके असंतोष के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

i. कार्यविधि का जटिल होना,
ii. सहानुभूति-रहित दृष्टिकोण का होना,
iii. कर्मचारियों का अनुशासित न होना,
iv. पत्रों का समय पर जवाब न देना,
v. विभिन्न योजनाओं की नवीनतम जानकारी प्राप्त न होना,
vi. कर्मचारियों का अधूरा ज्ञान एवं प्रशिक्षित न होना,
vii. चेकों, ड्राफ्टों आदि के भुगतान में विलंब होना,
viii. आवेदन-पत्र, शिकायत-पत्र पर तुरंत कार्रवाई न होना,
ix. नये खाते खुलने में देरी होना तथा खाते का विवरण न भेजना, आदि।

ग्राहक बैंक से प्रायः निम्नलिखित महत्वपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति चाहता हैः

i. बैंक में जमा अपने धन की सुरक्षा,
ii. जमा पर अपेक्षाकृत अधिक लाभ,
iii. सटीक, शिष्ट एवं तत्पर सेवा,
iv. विविध सेवाएं,

v. मान्यता,

vi. अपनी आवश्यकताओं की पहचान और

vii. सबसे अधिक जो वह चाहता है, वह है एक अटूट विश्वास की प्रतीति, न कि संदेह का घेरा।

ग्राहक बैंकों के पास सेवा लेने के लिए आता है। सेवा के बदले ग्राहक से बैंक को **सेवा प्रभार**, विनिमय, कमीशन, ब्याज आदि के रूप में लाभ प्राप्त होता है और इसी लाभ पर उसका अस्तित्व निर्भर है। बैंकिंग व्यवसाय एक विशिष्ट सेवा से जुड़ा हुआ है। यहां सेवा का अर्थ ग्राहकों को ज्यादा ब्याज देना या उपहार देना कतई नहीं है। सेवा का तात्पर्य है कि हम ग्राहक के साथ किस तरह पेश आते हैं एवं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। काउंटर सेवा वह महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संपर्क स्थल है, जहां से बैंक की साख बढ़ती या घटती है। काउन्टर सेवा से संतुष्ट ग्राहक बैंक की पूंजी है...... व्यापक विज्ञापन है ...... और वह भी बिना किसी व्यय के।

ग्राहक संतुष्टि कैसे हो?

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में ग्राहक बैंकों या दूसरे सेवादायी संस्थानों से अधिकतम संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जब प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मिलने वाली वस्तुएं एक जैसी हों या एक से बढ़कर एक हों तो ग्राहक क्या करेगा? निश्चित ही, वह ऐसी कंपनी का उत्पाद चाहेगा जिसके बारे में बहुत दिनों से सुनता आया हो, जिस पर उसका विश्वास हो गया हो तथा जो बिक्री बाद बेहतर सेवा देती हो। वास्तव में, जिस प्रकार विश्वास और सेवा किसी एक कंपनी के चयन में सहायक हैं, उसी प्रकार बैंक के ग्राहक भी विश्वास और सेवा चाहते हैं ।

अब प्रश्न यह है कि ग्राहक के मन में सेवा के प्रति विश्वास उत्पन्न कैसे किया जाए ? हम अपने ग्राहकों की सेवा किस प्रकार करते हैं ? क्या हमारे व्यवहार में मित्रता की भावना है ? महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या सेवा देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम ये सेवायें किस प्रकार देते हैं । अपने काउंटर पर हम ग्राहकों से किस प्रकार पेश आते हैं, बातचीत करते हैं तथा कैसा शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं । ग्राहक सेवा संबंधी हमारी विशेषताएं ही हमें अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग स्थान दिलाने में मदद करेंगी ।

क्या ग्राहक को समझने के लिए कोई विशेष दृष्टिकोण है? **विपणन विशेषज्ञों** का कहना है कि ग्राहकों को समझने के लिए अपना चश्मा उतारकर ग्राहक का चश्मा पहनकर अपनी सेवा की ओर देखना चाहिए । ग्राहक क्या चाहता है, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं ? बैंक काउंटर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, वह क्या चाहता है? शायद पेंशन के लिए चिंतित है या पेंशनर्स के लिए ऋण योजना के बारे में जानकारी चाहता है । काउंटर पर एक नौकरी पेशा व्यक्ति आता है, शायद उसे तुरन्त निपटान चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है । ग्राहक सेवा निभाने के लिए ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानना, उनकी समस्याओं की जानकारी करना जरूरी है । तभी तो हम उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समुचित उपाय उन्हें दे सकते हैं ।

ग्राहक संतुष्टि के संदर्भ में दो बातें आवश्यक हैं । एक ओर हमारी सेवाएं पेशेवर होनी चाहिए तथा दूसरी ओर वे व्यक्तिगत रुप से उपलब्ध होनी चाहिए । **पेशेवर सेवा** का तात्पर्य है, हमारे जो साथी काउंटर पर बैठते हैं उन्हें बैंक की योजनाओं और नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए । ग्राहकों के सवाल अनेक हैं, उनके उत्तर वे तुरन्त जानना चाहते हैं । अगर काउंटर पर बैठे हमारे साथी उन्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजते रहेंगे तो क्या हमारी सेवा पेशेवर कहलाएगी ? कदापि नहीं । हमें बैंक की योजनाओं, नीतियों, पद्धतियों-प्रणालियों और विनियमों की जानकारी रखनी होगी ताकि ग्राहक का उचित मार्गदर्शन किया जा सके ।

काउंटर पर सेवा देने वाला स्टाफ सदस्य ग्राहक के साथ मीठा वचन बोले एवं संतुलित मुस्कराहट के साथ उसका स्वागत करे । कई संगठनों एवं कंपनियों में मुस्कराहट को अत्यधिक महत्व दिया जाता है । एक अमरीकी एअरलाइन्स कंपनी के मालिक ने एक कर्मचारी को नौकरी से केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया था कि वह यात्रियों का मुस्कान से स्वागत नहीं किया करता था। 'कृपया', 'धन्यवाद', 'क्षमा करें' आदि शिष्ट उद्‌गार यदि दिल की तह से निकलते हैं तो ग्राहकों के साथ निकटता एवं अच्छे संबंध का निर्माण होता है ।

ग्राहक शिकायतें ही ग्राहक सेवा का मापदंड होती हैं । 'इन सर्च ऑफ एक्सेलेन्स' तथा 'पैशन फॉर एक्सेलेन्स' के लेखक टॉम पीटर ने इस पर विस्तृत चर्चा की है । ग्राहक की शिकायतों को सेवा में सुधार के अवसरों के रूप में देखा जाना

चाहिए। मानव संव्यवहार संबंधी शिकायतें, जो कि ग्राहकों की शिकायतों का मुख्य भाग हैं, दूर करने के लिए हमें ग्राहक और स्वयं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। इसकी सहायता से हम ग्राहकों के व्यवहार, अपेक्षाओं एवं भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें संतुष्ट कर बेहतर ग्राहक सेवा देकर प्रतिस्पर्धा में अगुआ बन सकते हैं।

इस दिशा में कुछ बैंकों द्वारा ग्राहक शिकायतों को दूर करने एवं उन्हें बैंक संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना/सहायता देने के लिए एक नयी तकनीक हेल्पलाइन का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राहक अपनी शिकायत टेलीफोन द्वारा हेल्प लाइन केन्द्र को करता है। इसके फलस्वरुप ग्राहकों की शिकायतों का निपटान त्वरित गति से होता है क्योंकि इसमें पत्र व्यवहार में लगने वाले समय की बचत होती है।

ग्राहकों को उत्कृष्ट, अत्याधुनिक, बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का कम्प्यूटरीकरण एवं मशीनीकरण किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकरण अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि सेवा-गुणवत्ता का लक्ष्य प्राप्त करने का साधन मात्र है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यद्यपि कम्प्यूटर की कार्यक्षमता और दक्षता मनुष्य को काफी पीछे छोड़ सकती है लेकिन उसे विवेकपूर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। अतः बैंककर्मी अपनी सेवाओं को उत्तम प्रकृति का बनाते हुए ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं।

अगुआ बनने हेतु निजी कौशल का विकास

आज के बैंकिंग स्वरूप को देखकर चार्ल्स डारविन का सिद्धांत याद आता है 'सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट'। वर्तमान प्रतिस्पर्धा में अगुआ बनने के लिए यह आवश्यक है कि बैंककर्मी अपने **निजी कौशल** को विकसित करें। रॉबर्ट डब्ल्यू. बार्नेस ने कार्य-निष्पादन की क्षमता के इन चार तत्वों को महत्वपूर्ण माना है (i) शिक्षा, (ii) प्रशिक्षण, (iii) अनुभव तथा (iv) प्रेरणा। कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं - **प्रभावशाली व्यक्तित्व**, **युक्तिसंपन्नता**, **प्रवृत्ति**, धैर्य एवं सहिष्णुता, चातुर्य, नम्रता एवं सुरूचि, **तीक्ष्ण बुद्धि**, स्फूर्ति, आत्मविश्वास तथा सत्यनिष्ठा आदि। यदि ये सारी बातें बैंककर्मी में हों तो बैंक व्यवसाय बहुत ही सफल होगा। निजी कौशल के विकास से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्राहक ही हमारा स्वामी है और गुणवत्ता उसकी मांग है। समग्र **गुणवत्ता प्रबंधन** एक अत्यंत प्रभावी संगठनात्मक शस्त्र हो सकता है जो सही ढंग से उपयोग में लाए जाने पर हमें अगुआ बनने में सहायता दे सकता है।

कभी-कभी जब काउन्टर स्टाफ ग्राहकों से नाराज होता है तथा स्टाफ और ग्राहक दोनों प्रबंधक से शिकायत करते हैं तो ऐसे समय में शाखा प्रबंधक की स्थिति अजीब हो जाती है। यदि ग्राहक का पक्ष लेता है, जैसा कि उसे करना चाहिए तो वह कर्मचारियों का कोपभाजन बनेगा क्योंकि उसने अपने सहयोगी को महत्व नहीं दिया और यदि वह कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो ग्राहक से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शाखा प्रबंधक को चाहिए कि वह अपने कौशल का परिचय देते हुए दोनों को सहज स्थिति में लाए।

बेहतर ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु इन मुद्दों का पालन किया जाना चाहिए :

(i) **सेवा प्रतिमान** तैयार करना तथा मानदण्डों में सुधार करना (कुछ बैंक शाखाओं ने सेवा गुणवत्ता के लिए आई. एस. ओ. प्रमाणन प्राप्त कर लिए हैं।)

(ii) गुणवत्ता सेवा के लिए प्रोत्साहन तथा प्रेरणा प्रदान करना,

(iii) अग्रिम पंक्ति के स्टाफ को **दक्षता आधारित प्रशिक्षण** तथा उत्पाद/सेवा का ज्ञान प्रदान करना,

(iv) संस्था के सांस्कृतिक तथा मनोवृत्ति संबंधी झुकाव में परिवर्तन करके, सेवा की गुणवत्ता पर आधारित एक नया कार्पोरेट दृष्टिकोण निरुपित करना, तथा

(v) कार्पोरेट स्तर पर ग्राहक संतुष्टि को केन्द्रीय लक्ष्य बनाना।

बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे प्रमुख ग्राहकों को प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रलोभित किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि उच्च मूल्य ग्राहकों के साथ हमारा बैंकिंग व्यवसाय 'लेन-देन आधारित बैंकिंग' से 'रिलेशनशिप बैंकिंग' में परिवर्तित हो। हमारे ग्राहक आधार में विस्तार करने और उसे बनाये रखने के लिए रिलेशनशिप बैंकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें उत्पादों को ग्राहकों के अनुकूल बनाना आवश्यक है।

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू होने से बड़ी संख्या में कर्मचारी/अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं। इससे ग्राहक सेवा भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि बचे हुए स्टाफ सदस्यों पर कार्य का भार स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में, बैंककर्मियों को ग्राहक सेवा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

आज कामयाब होना आसान है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगुआ बनना चाहते हैं तो जितना चाहिए उससे ज्यादा चलें और इसी थोड़ा चलने में ही हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं रह जाती। अगुआ बनने का सूत्र इन चार शब्दों में है - 'और, फिर, थोड़ा, ज्यादा'। स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि 'मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं' या 'दूसरों के लिए और ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता हूं ?' इतना करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराते समय हमारा आत्मविश्वास कार्य कर रहा हो तो भला ग्राहक संतुष्ट क्यों नहीं होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकिंग के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण ग्राहक संतुष्टि गहन केन्द्र-बिंदु का विषय बन गयी है। आज बैंक का ग्राहक बेहतर सूचना प्राप्त, अधिक परिष्कृत और विचारशील है। उसे विभिन्न बैंकों और गैर-बैंक मध्यस्थों के बीच पसंद के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। यह बात विशेष रूप से बैंक के कार्पोरेट ग्राहकों के मामले में सही है जो वैयक्तिक खंड के ग्राहकों पर भी लागू होती है। ग्राहकों की रुचि में होने वाला यह परिवर्तन **उत्पाद आधारित दृष्टिकोण** को **ग्राहक आधारित दृष्टिकोण** में परिवर्तित किये जाने की मांग करता है। यह मांगशील ग्राहक वर्ग, बैंक से ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं की आशा करेगा जो उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। विपणन दक्षता और आधुनिक प्रौद्योगिकी का मिश्रण ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से अगुआ बनने में सहायक सिद्ध हो सकता है। भावी सफलता के लिए बैंककर्मियों को प्रतिस्पर्धात्मक सुविधाओं पर लगातार नजर रखनी होगी। संवृद्धि की युक्तियां तो अनेक हैं, उन्हें अपेक्षाओं और परिस्थितियों के अनुसार सुचारु रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। अतः बैंककर्मियों को अपनी कार्य कुशलता तथा प्रभावशीलता बढ़ाकर दृष्टिकोण को व्यापकता एवं नई दिशा देनी होगी जिससे हम ग्राहक को संतुष्टि की स्थिति में लाकर अगुआ बनने की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

प्रयुक्त शब्दावली

प्रतिस्पर्धी व्यवसाय	Competitive Business
पात्रता निर्धारण मानक	Eligibility Criteria Norms
व्यवसाय संवर्धन	Business Augmentation
सौजन्यशीलता	Generosity
सेवा प्रभार	Service Charges
विपणन विशेषज्ञ	Marketing Experts
पेशेवर सेवा	Professional Service
निजी कौशल	Personal Skill
प्रभावशाली व्यक्तित्व	Impressive Personality
युक्तिसंपन्नता	Skilful
प्रवृत्ति	Tendency
तीक्ष्ण बुद्धि	Sharp Intelligence
गुणवत्ता प्रबंधन	Quality Management
सेवा प्रतिमान	Service Model
दक्षता आधारित प्रशिक्षण	Skill Based Training
उत्पाद आधारित दृष्टिकोण	Product Based Attitude
ग्राहक आधारित दृष्टिकोण	Customer Based Attitude

बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आइ.आर.) क्यों और कैसे ?

अपूर्व कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा
प्रशिक्षण केन्द्र, गोविन्द मिश्रा रोड
पटना-800 004.

पिछले दिनों जब मैं अपने बैंक की एक शाखा में पदस्थापित था तब नजदीक की शाखा के स्टाफ से, जो हमारे शाखा से नगदी ले जा रहे थे, नगदी लूट ली गयी। सुरक्षा प्रहरी की बन्दूक भी छीन ली गयी। सुरक्षा प्रहरी और खजांची ने जो सूचना पुलिस को दी वह अधूरी एवं अपूर्ण थी। पुलिस द्वारा काफी प्रयास करने पर बन्दूक मिल गयी, लेकिन लूटे गये रुपये बरामद नहीं हो सके। बाद में पुलिस ने बताया कि अगर शुरू में ही सारी जानकारियां दे दी गयीं होती तो उनका काम ज्यादा सरल हो जाता और शायद सही एवं पूरी जानकारी के आधार पर त्वरित प्रयास से लूटी गयी राशि भी बरामद हो जाती। आज जब आपराधिक घटनाएं एवं बैंकों में धोखाधड़ियां एवं जालसाजियां बढ़ती जा रही हैं, इन घटनाओं की सूचना पुलिस में कैसे देनी चाहिए, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। कई बार शाखा स्तर पर इसकी जानकारी नहीं होती है जिसके कारण प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) करने में देर होती है और परिणामस्वरुप जांच शुरू करने में भी अनावश्यक विलम्ब होता है और अपराधी इसका लाभ ले लेता है।

2. जब भी इस प्रकार की कोई घटना शाखा में होती है तो अधिकारियों/उच्चाधिकारियों को यह निर्णय लेना होता है कि इसे पुलिस में रिपोर्ट किया जाए या नहीं। इस निर्णय पर पहुँचने में भी काफी समय निकल जाता है। सामान्यतया निम्नलिखित घटनाओं/दुर्घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी चाहिए :

(i) **दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 की धारा 39 के अनुसार यदि, कोई व्यक्ति उक्त धारा 39 में उल्लिखित **भारतीय दंड संहिता** की किसी भी धारा के अन्तर्गत दंडनीय अपराध करता है या करने का आशय रखता है, तो इसकी जानकारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह वैधानिक दायित्व है कि वह इसकी सूचना तुरन्त समीप के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। इस धारा में उल्लिखित संबंधित अन्य अपराधों में से कुछ अपराध इस प्रकार हैं :-

क. भा.दं.सं. की धारा 392 और 399 के अन्तर्गत दंडनीय लूटमार और डकैती के अपराध।

ख. सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक न्यास भंग से संबंधित अपराध (भा.दं.सं. की धारा 409)

ग. करेंसी नोट और बैंक नोट से संबंधित अपराध (धारा 489 "ए" से 489 "ई" तक, भा.दं.सं.)

(ii) अतः बैंक की किसी भी सम्पत्ति (नकदी या अन्य) से संबंधित सभी प्रकार की लूटमार, डकैती, चोरी या छीना झपटी आदि के मामले की रिपोर्ट पुलिस में अवश्य दर्ज करायी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नकली/जाली करेंसी नोट बैंक की शाखा में प्रस्तुत करता है तो धारा 39 के प्रावधानों के अनुरूप इसकी सूचना भी पुलिस में देनी चाहिए।

(iii) कभी-कभी ग्राहक **जाली आहरण** की शिकायत करता है, यानि कि उसके खाते से जिस चेक या आहरण पर्ची द्वारा रकम निकाली गयी है वह उसके द्वारा आहरित नहीं है। इन मामलों में संबंधित ग्राहक से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह अपने खाते में हुए धोखाधड़ी पूर्ण आहरण को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दे क्योंकि ऐसे में, यदि शाखा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है तो बैंक की शाखा की इस कार्रवाई का अर्थ पार्टी के इस आरोप को, कि बैंक ने जाली चेक या आहरण पर्ची का भुगतान कर दिया है, मान लेने जैसा समझा जा सकता है। परन्तु हाँ, यदि तथ्य एवं परिस्थितियां बिना किसी सन्देह के यह साबित करती हैं कि संबंधित चेक या आहरण पर्ची ग्राहक/खातेदार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और अपराधी को पहचानना संभव है तो शाखा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार जालसाज़ी या नकली दस्तखत करने के आहरण के मामले में

पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है ।

(iv) जाली आहरण से संबंधित मामले सामान्यतया धोखाधड़ी एवं जालसाजी की श्रेणी में आते हैं और ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में शामिल नहीं किये गए हैं, अतः इन अपराधों में उपर्युक्त धारा के अंतर्गत पुलिस को सूचित करने की जिम्मेदारी लागू नहीं होती है । अतः ऐसे मामलों में बैंक/शाखा को संबद्ध खातेदार से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध करना चाहिए ।

(v) कभी-कभी बैंक की धोखाधड़ी एवं जालसाजी की घटनाओं में कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं । यदि कोई कर्मचारी बैंक के धन के दुरुपयोग में सम्मिलित है तो यह भा.दं.सं. की धारा 409 के अन्तर्गत दंडनीय है और यह अपराध दं.प्र.सं. की धारा 39 में शामिल है । अतः इस अपराध की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी आवश्यक है । किन्तु जाली आहरण (ग्राहक के खाते से) के मामलों में यदि कर्मचारी पर शक है, तो यह निश्चित करना कठिन होता है कि धोखाधड़ी किसने की । इस कारण इन सभी मामलों में शाखाओं को उच्चाधिकारियों से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए ।

3 (i) हालांकि पुलिस में रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु कोई प्रोफार्मा या फार्म निर्धारित नहीं है किन्तु क्या आवश्यक सूचनाएं एफ.आइ.आर. में दी जानी चाहिए, यह अति महत्वपूर्ण है ।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार जो भी सूचना (मौखिक या लिखित) किसी आपराधिक कृत्य के बारे में पुलिस को दी जाती है वह एफ.आइ.आर. होती है । यह सूचना अंग्रेजी, हिन्दी या स्थानीय भाषा किसी में भी हो सकती है । लेकिन एफ.आइ.आर. के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग बेहतर होता है क्योंकि पुलिस कर्मियों को इससे कार्रवाई करने में सुविधा होती है । लिखित आवेदन में एफ.आइ.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर आवश्यक है । पुलिस किसी विशेष प्रारूप या प्रोफार्मा में एफ.आइ.आर. का आग्रह नहीं कर सकती है परन्तु अगर कोई वांछित सूचना नहीं दी गयी है तो पुलिस वह सूचना या जानकारी मांग सकती है । पुलिस को दी गयी प्रत्येक सूचना या जानकारी एफ. आइ. आर. नहीं बन जाती है बल्कि यह घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । लेकिन अगर किसी पत्र के माध्यम से पुलिस को किसी आपराधिक घटना के बारे में सूचित किया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से एफ.आइ.आर. माना जायेगा ।

(iii) दुर्घटना के पश्चात शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए अन्यथा विलम्ब का लाभ अपराधी को मिल जाता है । यदि किसी कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हो जाता है तो रिपोर्ट में घटना के आवश्यक तथ्यों के साथ-साथ रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के कारण को भी स्पष्ट कर देना चाहिए । यदि ऐसे विलम्ब के सम्बन्ध में उचित व आवश्यक तथा तथ्यों पर आधारित विलम्ब के कारण स्पष्ट नहीं किये जाते हैं, या स्पष्ट किये गये विलंब के कारणों से अदालत संतुष्ट नहीं होती है, तो ऐसी विलंबित रिपोर्ट की **वैधानिकता** पर प्रश्न चिह्न लगता है और इससे अगली कानूनी प्रक्रिया प्रभावित होती है । चूंकि धोखाधड़ी के ऐसे कथित अपराध संबंधी मामलों में बैंक तुरंत यह निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं रहता है कि घटना वास्तव में धोखाधड़ी का मामला है या नहीं, तो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी घटना में धोखाधड़ी का तत्व शामिल है या नहीं, इस बारे में कोई दृष्टिकोण अपनाने तक बैंक एफ.आइ.आर. दर्ज नहीं करने का निर्णय ले सकता है और इस प्रकार घटना घटित होने व रिपोर्ट दर्ज कराने में समय का अन्तराल हो जाता है । यह आवश्यक है कि रिपोर्ट में उक्त अन्तराल अर्थात विलम्ब के उचित कारण स्पष्ट कर दिये जाएं ।

(iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय घटना से संबंधित सभी बातों का समावेश किया जाना चाहिए जैसे कि वास्तविक घटना क्या हुई, अपराध या घटना को अंजाम देने का तरीका, यदि डकैती/लूटमार की घटना है तो अपराधियों की संख्या, उनके वाहन, उनकी वेशभूषा, उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा, उनकी अनुमानित उम्र, उनके अस्त्र-शस्त्र आदि । यदि मामला धोखाधड़ी या जालसाजी का है तो मामला कब, कैसे और किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है अतः इसका जिक्र अवश्य होना चाहिए । घटनाओं का **क्रमवार** पैराग्राफ में वर्णन करना अच्छा एवं सुविधाजनक रहता है । आपराधिक मामलों में कौन शामिल है या किस पर संदेह है, FIR में यह लिखना आवश्यक नहीं है किन्तु बैंक अगर निश्चित रूप से अपराधी को जानता है तो उसके वर्णन से पुलिस के लिए जाँच करना आसान हो जाता है । परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी वर्णन रिपोर्ट में दर्ज किया जा रहा है, वह तथ्य पर आधारित हो न कि सुनी

सुनाई बातों पर । रिपोर्ट में मौलिक तथ्यों की चर्चा की जानी चाहिए ।

(v) एफ.आइ.आर. **अपराध अनुसंधान** की दिशा में पहला कदम है । इससे ही जाँच को दिशा मिलती है । जाँच/अनुसंधान के दौरान पुलिस गवाह/सबूत एकत्रित करती है, अतः एफ.आइ.आर. अनुसंधान का आधार है जिसे सावधानी पूर्वक लिखवाना चाहिए ।

4. अनुसंधान के दौरान, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत पुलिस निम्न धाराओं का प्रयोग बैंकर/किसी व्यक्ति के विरुद्ध कर सकती है :-

(i) धारा 91 : दस्तावेज अथवा अन्य चीजों को प्रस्तुत करने के लिए लिखित सम्मन/लिखित आदेश । पुलिस अधिकारी को दंड प्रक्रिया की धारा 91 के तहत आवश्यक सम्मन भेजना आवश्यक है और दूसरे, सामान्यतया, बिना दंड प्रक्रिया की वैधानिक शक्तियों के प्रयोग के, बैंक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति को पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने या बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को **साक्ष्य देने** हेतु पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की मांग नहीं कर सकता है । उसे दस्तावेजों की प्रतियां लेने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इन पर बैंक के किसी अधिकारी को हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए । यदि पुलिस को प्रमाणित प्रतियां चाहिए तो बैंक वही साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान कर सकता है ।

(ii) धारा 94 : किसी भी ऐसी जगह की तलाशी लेना जहाँ चोरी का सामान, फर्जी दस्तावेज आदि छुपा कर रखने का संदेह हो । वह व्यक्ति जो तलाशी ले रहा हो उसके पास चुराई हुई संपत्ति, वस्तुएं, **जाली दस्तावेज** आदि अपने कब्जे में लेने का प्राधिकार होना चाहिए । यह तलाशी पुलिस अदालत से तलाशी वारन्ट लेकर ही कर सकती है ।

(iii) धारा 102 : किसी पुलिस अधिकारी के पास ऐसी वस्तुओं/दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होता है जिन्हें चुराये जाने का आरोप अथवा संदेह हो ।

(iv) धारा 160 : किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को थाने में बुलाने का अधिकार होता है ।

(v) धारा 161 : पुलिस अधिकारी के पास ऐसे व्यक्ति का भी मौखिक बयान दर्ज करने का अधिकार होता है जो मामले की परिस्थितियों से वाकिफ हो ।

(vi) धारा 162 : किसी बैंकर/व्यक्ति जिसने धारा 161 के अन्तर्गत मौखिक बयान दिया हो उसे अपने बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए (अर्थात मौखिक साक्ष्य) ।

(vii) धारा 165 : पुलिस अधिकारी को किसी भी अपराध की जांच के लिए, कुछ विशिष्ट वस्तुओं और **वांछित दस्तावेजों** को प्राप्त करने के लिए किसी आरोपी के घर की तलाशी लेने का अधिकार होता है ।

प्रयुक्त शब्दावली

दंड प्रक्रिया संहिता	Criminal Procedure Code
भारतीय दंड संहिता	Indian Penal Code
जाली आहरण	Forged withdrawal
वैधानिकता	Validity
क्रमवार	Chronological
अपराध अनुसंधान	Crime Investigation
साक्ष्य देना	to witness
जाली दस्तावेज	Forged Documents
वांछित दस्तावेज	Desired Documents

दुनिया में दो ही ताकते हैं – तलवार और कलम ।
अंत में तलवार हमेशा कलम से हारती है ।

बैंक उत्पादों का विपणन

सुबह सिंह यादव
वरिष्ठ प्रबंधक (आयोजना)
बैंक ऑफ बड़ौदा
अंचल कार्यालय
आनन्द भवन, चौथा तल,
संसार चन्द्र रोड,
जयपुर

प्रस्तावना

आज भारतीय बैंकिंग परिवर्तन के असाधारण चरण से गुजर रही है । आर्थिक सुधारों के बाद गैर विनियमन उपायों,भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरण नीतियों एवं विवेकपूर्ण मानदण्डों से उत्पन्न हुए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में बैंकों को लाभदायकता जैसे मूलभूत उद्देश की प्राप्ति हेतु अब नये उत्पादों के साथ ही विपणन रणनीति में आकर्षक परिवर्तन के साथ बाजार में उतरना पड़ रहा है । शायद भारतीय बैंकिंग के कारपोरेट प्रबंधक इस तथ्य से सुपरिचित हो चुके हैं कि स्वतन्त्र ब्याज दर के इस युग में स्वतः व्यवसाय में आने की प्रवृत्ति अब एक भूतकालीन दिवास्वप्न ही बनकर रह गयी है । अब उस स्थिति पर अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता जहां ग्राहक को सीमित बैंकिंग सुविधाओं के कारण बैंककर्मियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था तथा बैंक में उनकी उपस्थिति से उन्हें प्रतिष्ठा का भी आभास होता था । यह वह समय भी था जब ग्राहकों में जागरुकता नहीं थी तथा बैंकों की जमा एवं अग्रिम संबंधी नीतियों में समरुपता होने के कारण उन्हें मामूली सी असुविधा किसी दूसरे बैंक की ओर जाने को प्रेरित नहीं करती थी ।

परिवर्तन का चरण

1990 के दशक में भारतीय बैंकिंग में आरंभ किये गये मानदण्डों के बाद बैंकों के लाभमार्जिन के घटते हुए आकार के फलस्वरूप इस विचारधारा का उदय हुआ कि ग्राहक की सार्वभौमिकता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए उसकी आवश्यकता एवं चयन के अनुरूप ही सेवा प्रदान की जाये क्योंकि केवल ग्राहक ही लाभ का केन्द्र है बाकी सभी गौण प्रतीत होते हैं। इसलिये ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, उत्पादों तथा सेवाओं का कौशलपूर्वक विक्रय तथा ग्राहक-प्रबन्धन संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण पहलू बन गये हैं । निजी बैंक तथा विदेशी बैंकों के आ जाने से प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है । ऐसी स्थिति में सम्मानजनक स्थिति में खड़े रहने के लिये बैंकों को अपनी **विपणन रणनीति** में क्या मोड़ देना होगा, यह हमारे लिये विचारणीय विषय है।

बाजार संभागीकरण

21 वी सदी में बढ़ते हुए बाजार दशाओं में हुए तीव्र परिवर्तन के कारण एक समरुप उत्पाद विक्रय की बात सोचना न तो विवेकपूर्ण है और न ही व्यावहारिक। ग्राहक आधार के बढ़ते आकारों को ध्यान में रखते हुए हमें सूक्ष्म स्तर पर ग्राहकों की आवश्यकताओं का आकलन करना होगा। ग्रामीण ग्राहकों की आवश्यकताएं, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों से स्वभावतः भिन्न होंगी। ठीक यही स्थिति उनकी आय एवं क्रय शक्ति के बारे में भी लागू होती है। इन परिस्थितियों में हमें स्थान, क्षेत्र,ग्राहक प्रेरक उत्पादों का निर्माण कर विपणन करना होगा। एक समय था जब बैंक के कारपोरेट स्तर पर एक सामान्य शैली में ग्राहकों को एक पैमाने से मापकर **कार्यनीति** तैयार की जाती थी और ग्राहक उसे बिना किसी विकल्प के स्वीकार करने को बाध्य होते थे । आज स्थिति विपरीत है, ग्राहकों के विकल्प बहुत हैं और बैंको के विकल्प सीमित। यहां तक कि मौद्रिक नीति के **निहितार्थों** के अतिरिक्त बैंक ग्राहकों की इच्छा के अनुरूप काफी सीमा तक लचीला रुख अपनाने को बाध्य होते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों की अन्य **बचत क्षमता** अल्प होती है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में अभी तक भी बचत आदतें विकसित नहीं हो पायी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में मुद्रा की चलन गति व परिसम्पत्ति सृजन विपुल मात्रा में सुलभ होता है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना कठिन

नहीं है कि किसी बैंक की शाखाओं के लिये किसी बाजार उत्पाद का शाखाओं के वर्गीकरण एवं प्रकृति के अनुरुप संस्करण निकालना होगा।

ऐसा करने से हम अपने बहुविध बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अपनी सेवाओं से बांध सकेंगे । आज शहरी क्षेत्रों में हमारे बैंकिंग अंशदान कम होने का एक कारण यह भी है कि हम अपने उत्पादों को वास्तविक आवश्यकता वाले ग्राहकों तक नहीं पहुंचा पाये हैं । निजी बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारी मुख्य चिंता वर्तमान ग्राहक आधार को बरकरार रखने के साथ ही इसका विस्तार करना भी है। अतएव हमें अपने विपणन कौशल से प्रत्येक ग्राहक की विविध आवश्यकताओं को जानना और उसे तदनुरूप अपनी सेवाओं/योजनाओं को अपनाने के लिये बाध्य करना आवश्यक हो गया है।

प्रतिस्पर्धी उत्पादों की जानकारी

प्रतिस्पर्धा एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में बैंक जैसे वाणिज्यिक संगठन को अपने प्रतिस्पर्धी संगठनों द्वारा बाजार में लाये गये उत्पादों की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। इससे अपने उत्पादों में सुधार करने, उन्हें **ग्राहकोन्मुख** बनाने तथा कीमत पैमाने में संशोधन करने में सहायता मिलती है। कम्प्यूटर क्रांति के बाद युग बहुत छोटा हो गया है तथा तकनीकी विकास से उत्पादों की भरमार भी आ गई है। इन परिस्थितियों में उत्पाद की किस्म, उसकी कीमत तथा बेचने के तौर तरीके ज्यादा महत्वपूर्ण हो गये हैं ।ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद के कीमत की लोच उत्पाद की संख्या को आगे धकेलने में बहुत सहायक होती है। इसका दूसरा पहलू है कि शाखा के एक ग्राहक को, चाहे वह जमाकर्ता हो या ऋणकर्ता, बैंक के अन्य उत्पाद बेचने से लेन-देन लागत भी कम आती है तथा विश्वसनीयता भी बनी रहती है। इस संबंध में ग्रामपंचायतों, किसान क्लब, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्लब तथा अन्य मंचों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

सूचना सेवा

अच्छे प्रबंधन के लिये उत्तम सूचना सेवा आवश्यक है। बाजार में ग्राहकों तक अपने उत्पाद लोकप्रिय बनाने हेतु विज्ञापन की अपेक्षा सूचना सेवा को प्रभावपूर्ण माना गया है क्योंकि कम्प्यूटरीकरण के आज के युग में प्रतिस्पर्धी संगठन भी उतनी ही तत्परता से इस दिशा में आगे बढ़ते हैं । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शाखा नेटवर्क को कनेक्टिविटी से जोड़ा जाये। इससे ग्राहकों को तुलनात्मक रूप से बेहतर उत्पाद का चयन करने में निर्णय शक्ति का उपयुक्त रूप से प्रयोग करने में सहायता मिलेगी क्योंकि संगठन भी इस तथ्य को प्रदर्शित करने में समर्थ होगा कि क्या भविष्य में उसके उत्पाद के विज्ञापन का प्रभाव सीमित ही रहेगा। आज संप्रेषण के त्वरित साधन उपलब्ध हैं, धनात्मक पहलू हैं । ग्रामीण शाखाओं में बाजार सूचना केंद्रों को अधिक संवेदनशील बनाना होगा । कारण स्पष्ट है, ये शाखाएं दूरस्थ केंद्रों पर स्थित होती हैं जहां यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों का अभाव होता है तथा किसी बैंक विशेष का ही अस्तित्व पहले से होने के कारण **एकाधिकारात्मक** स्वरूप विकसित हो जाता है । अब यदि दूसरा बैंक जो थोड़ी दूरी पर स्थित है, अपने गतिशील साधनों द्वारा वहां तक अपने उत्पाद संबंधी सूचनाओं का प्रसारण करता है तो तुलनात्मक लागत के आधार पर उपभोक्ता इस ओर आकर्षित हो सकते हैं ।

ग्राहकों तक सूचनाओं का आवागमन समय पर सही माध्यम से नहीं हो रहा है तो वह माध्यम बैंक को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा ।

अनुसंधान एवं विकास

व्यावहारिक अनुप्रयोग यह बताते हैं कि बैंक अपने कुल साधनों के एक प्रतिशत से भी कम का प्रयोग शोध एवं अनुसंधान पर करते हैं जिससे उत्पादों में निरंतर सुधार की संभावनाएं सीमित रहती हैं तथा ऐसी स्थिति में कई उत्पाद अर्ध विकसित अवस्था में बेचे जाते हैं । 1990 की दशाब्दी में तेजी से हुए परिवर्तनों के संदर्भ में अब इस दृष्टिकोण के लिये कोई स्थान नहीं रह गया है। यदि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बैंकों ने अपने अस्तित्व को बनाये रखने एवं निरन्तर मजबूत करने के उद्देश्य को सामने रखा है, तो उन्हें अपने शोध एवं विकास को दीर्घकालीन योजना में उपयुक्त स्थान देना होगा।

हम यह देखते हैं कि समाज का बैंकिंग अनुभव एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां उपयोगी, समयपर्यन्त अनुपयोगी, सस्ते-महंगे तथा टिकाउ एवं गैर टिकाउ उत्पादों का निरन्तर परीक्षण होता रहता है। ऐसा अनुभव शोध एवं अनुसंधान के लिये कच्चे माल की तरह है जिसकी भूमिका आगे के विकास के लिये अति महत्वपूर्ण है। बैंक/संगठन को चाहिये कि वह

इस कार्य हेतु एक स्वतन्त्र प्रभाग की स्थापना करे। यदि हम राष्ट्रीयकरण के बाद के बैंकिंग विकास पर ध्यान दें तो पता चलता है कि कुछ प्रमुख बैंकों ने आर्थिक अनुसंधान विभागों की स्थापना की है, लेकिन उनका कार्यदायित्व बैंक उत्पादों को विकसित करने की दिशा में सीमित ही रहा है, आर्थिक सूचनाएं प्रदान करने में संलग्नता अधिक दिखाई दी।

कार्यनीति

किसी भी वाणिज्यिक संस्थान, विशेषकर बैंक का अंतिम उद्देश्य लाभदायकता बनाये रखने हेतु ग्राहकों के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के साथ उसमें और ग्राहक जोड़ना है। इसके लिये समसामयिक कार्यनीति अपनानी होती है। इस कार्यनीति का मूर्तरूप क्या हो, यह मुख्यतः ग्राहकों की मांग, बदलते फैशन, रूचि तथा आय पर निर्भर करता है जिसका प्रतिबिम्ब बैंकों द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पादों में सम्मिलित करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि बैंकों को किसी उत्पाद विशेष का निर्माण कर उसे बाजार में प्रचलित करना चाहिए। आरंभ में इसे छोटे स्तर पर करना उचित होगा। इसके बाद अविलम्ब ग्राहक की प्रतिक्रियाओं का पता लगाना चाहिए तथा आगामी उत्पाद में इन प्रतिक्रियाओं का उचित समावेश करके उपभोक्ताओं, ग्राहकों की अभिरूचि का सम्मान करना चाहिए।

किसी भी कार्यनीति के गुणात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए बैंक को विपणन क्षेत्र में सैद्धान्तिक ढांचे में प्रतिपादित चार P यथा कीमत निर्धारण [Pricing] उत्पाद नियोजन [Product Planning], भौतिक वितरण [Physical Distribution], तथा उत्पाद संवर्धन [Product Promotion] को व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त करना चाहिए।

उत्पाद शब्द संगठन द्वारा प्रदत्त की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये प्रयोग में आता है। एक बार जब आवश्यकता की पहचान कर ली जाती है, तो उत्पादन को नियोजित करना आवश्यक हो जाता है तथा इसके बाद इस बात का निरन्तर विश्लेषण होना चाहिए कि क्या उत्पादन अभी उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है जिसके लिये इसे मूल रूप से विनियोजित किया गया था। यदि नहीं तो इस हेतु आवश्यक परिवर्तन निर्धारित किये जाने चाहिए।

कीमत उस मुद्रा का सूचक है जो उपभोक्ता को अदा करनी होती है। उत्पादन की पर्याप्त कीमत निर्धारित की जानी चाहिए। इसमें लाभ मार्जिन लागत, विभिन्न कीमतों पर बिक्री तथा उचित कीमत की धारणा भी शामिल है।

संवर्धन बिक्री तथा विज्ञापन का पहलू है। इससे उत्पादन अथवा सेवा के लाभ लक्षित उपभोक्ताओं को सूचित किये जाते हैं ताकि उन्हें ऐसे उत्पादन एवं सेवाओं को खरीदने के लिए फुसलाया जा सके। संवर्धन में विज्ञापन के माध्यम से बिक्री तथा बल दोनों भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त काफी सीमा तक विशेष मौसम कटौतियां, प्रतिस्पर्धा, विशेष कीमत कमी आदि को सामूहिक रूप से बिक्री संवर्धन कहते हैं।

स्थान (भौतिक वितरण) वितरण के माध्यम से उस पहलू को इंगित करता है जिसके द्वारा उत्पादन उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले प्रवाहित होता है। इसमें वितरण के वे तरीके शामिल होंगे (जैसे भण्डार, परिवहन सुविधा आदि) जो उत्पाद को भौतिक रूप से वितरण करने के लिए आवश्यक हैं। स्थान वितरण माध्यमों के चयन से ही संबंधित संगठन को यह निश्चित करना चाहिए कि क्या उसे थोक व्यापारियों के माध्यम से बेचना चाहिए और बाद में फुटकर व्यापारियों को अथवा सीधे ही उपभोक्ताओं को बेचना चाहिए। ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता की ओर भेजा जाता है। लेकिन फिर भी कोई न कोई इष्टतम तरीका तो निर्धारित करना ही पड़ेगा चाहे यह तरीका उपभोक्ता संतुष्टि और संगठन की लाभदायकता अथवा संगठन के साधनों के **अनुकूलतम प्रयोग**, दोनो अर्थों में ही क्यों न हो।

भूतकाल में बैंकों ने इस गुणात्मक पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया शायद इसलिये उच्च तकनीक वाली शाखाओं के स्थापन के समुचित परिणाम नहीं मिल सके।

प्रयुक्त शब्दावली

विपणन रणनीति	Marketing Strategy	बचत क्षमता	Savings Capacity
बाजार संभागीकरण	Market Segmentation	ग्राहकोन्मुख	Customer Oriented
कार्यनीति	Action Strategy	एकाधिकारात्मक	Monopolistic
निहितार्थ	Implications	अनुकूलतम प्रयोग	Optimum Utilisation

बैंकिंग नीतिशास्त्र

चंद्रशेखर व्यास
बैंक ऑफ इंडिया
पुणे

मनुष्य अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में किये गये कार्य-कलापों का मूल्यांकन करता है अर्थात् उन्हें अच्छा-बुरा, शुभ-अशुभ , उचित-अनुचित जैसे मूल्य सूचक शब्दों से आंकता है। रोजमर्रा के जीवन में इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते रहते हैं । इस प्रकार के प्रश्न नीतिशास्त्र के दायरे में आते हैं । नीतिशास्त्र एक उन्नत शास्त्र है जो मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों का व्यवस्थित रीति से विचार करता है। नीतिशास्त्र की परिभाषा यूं की जा सकती है अर्थात् यह एक मूल्यपरक शास्त्र है जो व्यक्ति के सामान्य आचरण, ऐच्छिक कार्यों, चरित्र एवं निर्णयों पर बिना किसी पूर्वाग्रह और व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन हेतु मानक प्रस्तुत करता है और इन मानकों के आधार पर कुछ मूल सिध्दांतों अथवा मूल्यों की स्थापना करता है। नीतिशास्त्र केवल आचरण या आचार शास्त्र नहीं है। कौन सा आचरण या व्यवहार उचित है, मात्र यही सुझाना नीतिशास्त्र की विषयवस्तु नहीं है बल्कि इसका विचार क्षेत्र व्यापक है जिसमें यह भी विचार किया जाता है कि उक्त आचरण की अच्छाई किस वजह से है, किस तत्व में निहित है और अच्छाई किस सिध्दांत पर आधारित है। नीतिशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान है और आदर्शमूलक विज्ञान व्यावहारिक विज्ञान नहीं होता। वह मनुष्य के व्यवहार में अच्छाई लाने का मार्गदर्शन नहीं करता बल्कि केवल आधारभूत नैतिक सिध्दांतों या आदर्शों की स्थापना करता है। कुछ दार्शनिक इसे सही नहीं मानते कि नीतिशास्त्र केवल आदर्शमूलक विज्ञान ही है, वह इसे व्यावहारिक विज्ञान भी मानते हैं, अर्थात् नैतिक सिध्दांतों की स्थापना के साथ-साथ यह मनुष्य के आचरण को सुधारने के उपाय भी सुझाता है। अतः हम मानते हैं कि नीतिशास्त्र न तो केवल सैध्दांतिक विज्ञान है और न ही पूरी तरह से व्यावहारिक विज्ञान। अर्थशास्त्र में भी नीतिशास्त्र के ये दोनों रुख पाये गये हैं और स्वाभाविक है कि व्यापार और बैंकिंग में भी हम इन्हें देखें ।

पिछले कुछ दशकों में नीतिशास्त्र के व्यावहारिक पक्ष पर गहन चिंतन हुआ है । विज्ञान, औद्योगिकीकरण, प्रबंधन, लोकप्रशासन व सूचना-प्रौद्योगिकी ने मानव के सामाजिक जीवन को अनेक तरह से प्रभावित किया है। व्यापार नीतिशास्त्र का महत्वपूर्ण मुद्दा है। व्यापार में नैतिकता की आवश्यकता पहचानना, क्या व्यापार का अर्थ अधिक लाभ कमाना ही है चाहे वह किसी भी तरह से क्यों नहीं कमाया जा सके? क्या इसमें झूठ या छल-कपट सभी जायज़ हैं? व्यापार की तरह अब बैंकिंग में भी नीतिशास्त्र की आवश्यकता है। मोटे तौर पर बैंकिंग व्यवसाय में जनता से जमा के रूप में पैसा एकत्र किया जाता है और बदले में ब्याज के साथ यह भरोसा भी दिया जाता है कि उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है और आवश्यकता पड़ने पर उसे लौटाया जाएगा। जमा पैसे को बैंक निवेश व ऋणों में इस्तेमाल करते हैं। ऋणों में ऋणियों से मनचाहा ब्याज न वसूल कर **नियमानुसार** ब्याज लिया जाता है और यह आशा की जाती है कि ऋणी इस पैसे को नियमों के अनुसार और समय पर लौटाएगा। इस लेन-देन में बैंक को अपने खर्च पूरे करने के साथ-साथ लाभ भी कमाना होता है। चूंकि व्यवसाय में वृध्दि व लाभ, ब्याज व भरोसे पर टिके हैं, अतः कहीं ना कहीं हमें इसके लिए बैंकिंग नीतिशास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यवसाय व **प्रबंधकीय** निर्णयों में मानवीय मूल्य व नैतिकता के **आयाम** छुपे रहते हैं ।

बैंकिंग नीतिशास्त्र में कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, अर्थात् :

1) नाजुकता

बैंकिंग एक नाजुक व बुनियादी उद्योग है। बैंक का व्यवसाय विश्वास की डोर से बंधा है। प्रत्येक व्यक्ति इस विश्वास के साथ अपनी बचत को बैंक में रखता है कि वह सुरक्षित है, उसमें वृध्दि होगी और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपलब्ध है।

2) बुनियादीपन

बैंकिंग उद्योग है अन्य उद्योगों का राजा । प्रायः सभी उद्योग पैसे से चलते हैं और यह उनका वित्त पोषण करता है।

3) मुद्रा का लेन-देन

अन्य उद्योगों में लेन-देन वस्तुओं व सेवाओं के रुप में होता है लेकिन बैंकिंग उद्योग का लेन-देन केवल मुद्रा में होता है। रुपया **विनिमय** का माध्यम है और खुद विनियमित भी होता है। इस विनिमय प्रक्रिया में ब्याज का अर्जन महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य व भारतीय दोनों ही परम्पराओं ने कभी ब्याज कमाने को अच्छा नहीं माना था लेकिन सभ्यता के साथ-साथ आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ीं और ब्याज अर्जन को बुरा नहीं माना जाने लगा, बशर्ते वह नियमानुसार हो।

4) मानवीय वायदों का आदान-प्रदान

मुद्रा व ब्याज के साथ-साथ समय का भी महत्व है । बैंक व खातेदार दोनों का वायदों के अनुसार आदान-प्रदान करना होता है । भरोसा व वायदों की पूर्ति ही इस उद्योग की बुनियाद है ।

5) बैंकिंग विनियमन

मुद्रा सृजन का अपना आयाम है जो वस्तुओं व सेवाओं के सृजन से विलक्षण है । सरकार यह प्रयास करती है कि मुद्रा सृजन **राजकोषीय नीति** व मौद्रिक नीति के अनुकूल ही हो और वह सामान्य विकास दर में बाधक न बने । इसके लिए समय-समय पर कुछ नियंत्रण रखे जाते हैं और बैंकिंग नीतियों का विनियमन किया जाता है । सरकारी नियमों के साथ-साथ बैंकों का ग्राहकों के प्रति नैतिक दायित्व भी होता है ।

पारस्परिक विश्वास की क्या नैतिकता है ? बैंकर का गोपनीयता दायित्व कितना गहन है? वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण करने की क्या सीमा हो ? क्या प्रदर्शन (विन्डो ड्रेसिंग) उचित है ? ये नीतिगत प्रश्न हैं । जब किसी बैंक में कर्मचारियों की लापरवाही या धोखाधड़ी से कोई नुकसान होता है तो बैंक के विश्वास की डोर ढीली होती है और तब कर्मचारियों के विकास की अधिक आवश्यकता महसूस होती है, **सतर्कता जागरुकता सप्ताह** मनाना महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रशिक्षण केन्द्रों में मानव मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाना जरुरी हो जाता है । बैंकिंग नीतिशास्त्र कुछ ऐसे ही दायरों में उचित-अनुचित या अच्छे-बुरे का भेद बताता है । आदर्श की स्थापना करता है और व्यावहारिक समाधान की ओर प्रेरित करता है ।

प्रयुक्त शब्दावली

नियमानुसार	As per Rules	विनिमय	Exchange
प्रबंधकीय	Managerial	राजकोषीय नीति	Fiscal Policy
आयाम	Dimensions	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	Vigilence Awareness week

जो सबके लिए हितकर हो और अपने लिए भी सुखकर हो, उसी का नित्य आचरण करना चाहिए, क्योंकि वही अर्थ-सिध्दि का मूल है ।

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक*		26 जनवरी 2001	25 जनवरी 2002
1. कुल जमाराशियां	:	9,35,510	10,76,158
2. बैंक ऋण	:	4,99,586	5,68,824
3. ऋण-जमा अनुपात	:	53.40%	52.86%
4. नकद-जमा अनुपात	:	8.20%	6.93%
5. निवेश - जमा अनुपात	:	37.97%	40.04%

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	कुल योग का प्रतिशत	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत
ग्रामीण	सितंबर 2000	32,632	49.64	1,28,095	14.75	51,068	10.29
	सितंबर 2001	32,538	49.11	1,47,950	14.62	59,293	10.44
अर्धशहरी	सितंबर 2000	14,431	21.95	1,71,136	19.71	57,733	11.63
	सितंबर 2001	14,608	22.04	1,98,631	19.63	64,318	11.32
शहरी /	सितंबर 2000	18,672	28.40	5,68,751	65.52	3,87,204	78.06
महानगरीय	सितंबर 2001	19,109	28.84	6,64,879	65.73	4,44,095	78.22
योग	सितंबर 2000	65,735	100	8,67,984	100	4,96,006	100
	सितंबर 2001	66,255	100	10,11,461	100	5,67,707	100

टिप्पणी :

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 26 जनवरी 2001 और 25 जनवरी 2002 की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 17 फरवरी 2001 और 16 फरवरी 2002 के "वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट" से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं ।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े सितंबर 2000 और सितंबर 2001 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं । ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित सितंबर 2000 और सितंबर 2001 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं ।

जमाराशियों / ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र
सितंबर 2001

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंबई	1,465	131254,35	13.8	1	मुंबई	1,465	123476,46	11.1
2	दिल्ली	1,364	111674,05	18.6	2	दिल्ली	1,364	91210,28	24.2
3	कोलकाता	992	37637,39	16.4	3	चेन्नई	772	32606,72	14.2
4	बंगलूर	756	28011,69	20.8	4	कोलकाता	992	24433,16	8.3
5	चेन्नई	772	26574,22	15.4	5	बंगलूर	756	17974,38	18.0
6	हैदराबाद	532	18744,29	16.4	6	हैदराबाद	532	13739,20	9.6
7	अहमदाबाद	493	12268,60	25.7	7	अहमदाबाद	493	9681,30	5.1
8	पुणे	325	10890,08	15.1	8	चंडीगढ़	156	8529,21	38.7
9	लखनऊ	236	9752,69	9.7	9	पुणे	325	6239,14	16.7
10	चंडीगढ़	156	7451,28	21.4	10	कोयम्बतूर	181	4872,55	11.2
11	जयपुर	237	6558,54	16.0	11	वड़ोदरा	195	4600,04	3.3
12	कानपुर	292	6530.63	15.0	12	जयपुर	237	4499,67	16.3
13	वड़ोदरा	195	6469,44	25.2	13	लुधियाना	203	4124,72	5.9
14	पटना	170	5520,21	9.7	14	इन्दौर	180	3798,46	8.6
15	जालंधर	151	5376,57	13.5	15	लखनऊ	236	3607,22	23.6
16	लुधियाना	203	5222,56	14.0	16	कोच्ची	217	3594,44	15.1
17	कोच्ची	217	5088,38	14.9	17	दोराहा	4	3220,23 (98,67)	49.5
18	तिरुवनन्तपुरम	154	4575,70	15.1	18	तिरुवनन्तपुरम	154	2798,29	46.5
19	भोपाल	163	4284,30	29.2	19	श्रीनगर	89	2323,37	1.0
20	इन्दौर	180	4226,03	17.2	20	विशाखापट्टनम	129	2067,58	20.4
21	नागपुर	169	4059,65	13.9	21	कानपुर	292	2003,77	8.9
22	कोयम्बतूर	181	4038,39	14.5	22	भोपाल	163	1943,63	4.4
23	अमृतसर	155	3964,58	16.6	23	नागपुर	169	1810,73	11.1
24	सूरत	169	3643,81	17.9	24	तिरुपुर	51	1798,90	10.4
25	देहरादून	77	3524,72	59.9	25	सूरत	169	1670,85	17.2

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका सितंबर 2001)

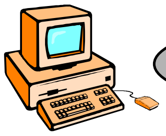

कंप्यूटर परिभाषा कोश*

CAD (Computer Aided Design) - **कैड** : इंजीनियरिंग डिजाइन, वास्तुशिल्प, सामान्य वैज्ञानिक मॉडलों से लेकर हवाई जहाज, बड़े भवन, एकीकृत परिपथ के डिजाइन बनाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल कुछ विशेष प्रोग्रामों की सहायता से किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कैड कहलाती है। कंप्यूटर की सहायता से द्विआयामी तथा त्रिआयामी चित्र बनाये जा सकते हैं तथा उन्हें इच्छित दिशा में घुमाया भी जा सकता है। ये प्रोग्राम गणित के फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, अतः ये केवल उच्च क्षमता, अधिक मेमोरी वाले कंप्यूटरों पर ही उपयोगी होते हैं।

CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) - **कैड / कैम** : कंप्यूटर का किसी पुर्जे / वस्तु / भवन के डिजाइन तथा निर्माण में इस्तेमाल। इसमें पहले किसी मशीनी पुर्जे का डिजाइन बनाया जाता है तथा बाद में कंप्यूटर द्वारा जनित उसके निर्माण संबंधी अनुदेश उस मशीन को भेजे जाते हैं, जो उस पुर्जे का निर्माण करती है।

Call - **कॉल** : 1.किसी प्रोग्राम में वे आदेश या कथन, जो प्रोग्राम का निष्पादन अन्यत्र उपलब्ध कूट या नेमका (सबरुटीन) को किसी विशेष कार्य हेतु अंतरित करते हैं तथा उक्त कार्य पूरा होने के पश्चात् कंट्रोल को उसी स्थान पर वापस करते हैं जहां से उसे भेजा गया था। 2. दो संचार नेटवर्कों में संबंध स्थापित करना।

CASE (Computer Aided Software Engineering) - **केस** : ऐसा सॉफ्टवेयर, जो किसी प्रोग्राम के विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे आयोजना, मॉडलिंग, कूटलेखन, प्रलेखन आदि में सहायक हो। यह प्रबंधकों, प्रोग्रामरों और प्रणाली विश्लेषकों सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है।

Case-Sensitive Search - **केस-संवेदी खोज** : किसी प्रोग्राम / प्रोग्रामिंग भाषा में लोअर तथा अपर केस में विभेद रखना। किसी डाटाबेस / टेक्स्ट में खोजने के लिए दिये गये शब्द को ज्यों का त्यों अर्थात् उस शब्द के अक्षरों का केस बदले बिना खोजना।

CAT (Computer Aided Testing) - **कैट** : 1. यह एक विधि है, जिसका प्रयोग कैड (computer added design) द्वारा तैयार की गयी डिजाईन के विश्लेषण हेतु इंजीनियर करते हैं। 2. यह computer aided teaching (कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा) का भी संक्षेपाक्षर है। ये शैक्षणिक प्रोग्राम होते हैं, जिनमें विषय के हिसाब से ट्यूटोरियल, प्रश्नोत्तर तथा अन्य जानकारी उपलब्ध रहती है। 3. यूनिक्स परिचालन प्रणाली का एक अनुदेश।

CD (Change Directory) - **सी डी** : 1. डॉस, यूनिक्स आदि का अनुदेश, जिसके द्वारा वर्तमान डाइरेक्ट्री को 'Cd' अनुदेश के बाद लिखे पथवाली डाइरेक्ट्री से बदला जा सकता है। 2. Compact Disc का संक्षेपाक्षर।

Cell - **सेल** : स्प्रेडशीट में पंक्ति तथा कॉलमों के कटान बिन्दुवाला क्षेत्र। स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति तथा कॉलम अनुपम होते हैं। अतः प्रत्येक सेल को भी एक विशेष नंबर से पहचाना जा सकता है, जैसे B17, M83 आदि। हरेक सेल एक चौकोर क्षेत्र होता है, जिसमें डाटा भरा जा सकता है।

Centralised Processing - **केंद्रीकृत संसाधन** : वह केंद्रीकृत स्थल, जिस पर स्थित कंप्यूटर में ही हर तरह की सूचना का संसाधन होता है तथा अन्य कंप्यूटर केवल सूचना प्रविष्टि करते हैं।

Character - **संप्रतीक** : एक अक्षर, अंक, चिह्न, संकेत, कंट्रोल कोड, जिसको कंप्यूटर एक बाइट की इकाई के रूप में निरूपित करता है। कुछ कैरेक्टर हमारी आंख, पटल / कागज़ आदि पर दिखायी नहीं पड़ते, फिर भी वे कैरेक्टर होते हैं तथा एक बाइट स्थान घेरते हैं। जैसे संरूपण (formatting) कैरेक्टर, कुछ कंट्रोल कैरेक्टर आदि। ऐसे कैरेक्टरों को कंप्यूटर समझ कर उचित कार्यवाही करता है।

Character Code - **संप्रतीक कूट, कैरेक्टर कोड** : वह संख्या

* कंप्यूटर परिभाषा कोश भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है। यहां पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है।

(कोड) जो उस विशेष कैरेक्टर को निरूपित करती है। यदि किसी कुंजी को Shift, Alt, Ctrl आदि के साथ दबाया जाये, तो उसका कैरेक्टर कोड सामान्यतया अलग होता है। किसी अक्षर के लोअर केस तथा अपरकेस का भी कैरेक्टर कोड अलग-अलग होता है।

Click - **क्लिक** : माउस को बिना हिलाये उसके बटन को दबाने तथा छोड़ने को क्लिक करना कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस को क्लिक कर किसी प्रोग्राम / आइटम को सक्रिय / निष्क्रिय किया जा सकता है।

Clipboard - **क्लिप बोर्ड** : विंडो परिचालन प्रणाली में एक तरह का रफ कार्य रखने का स्थल। इस पर *कट* या *कॉपी* अनुदेश का इस्तेमाल कर डाटा रखा जा सकता है तथा उसे *पेस्ट* अनुदेश का इस्तेमाल कर किसी फाइल में जोड़ा जा सकता है।

Clipper - **क्लिपर** : डीबेस में लिखे गये प्रोग्रामों का एक अनुभाषक। इस अनुभाषक की सहायता से डीबेस में लिखे गये प्रोग्राम तेजी से निष्पादित होते हैं।

Clock - **क्लॉक, घड़ी** : 1. कंप्यूटर पर उपलब्ध वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ (circuit), जो समय तथा तारीख का अनुरक्षण करता है। 2. किसी कंप्यूटर की क्लॉक रेट उसके संसाधक (प्रोसेसर) की संसाधन गति दिखाती है। यह उसके अन्य अवयवों पर भी निर्भर करती है।

Close - **समाप्ति, क्लोज** : 1. अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) की किसी खुली फाइल के साथ संबंधों की समाप्ति, ऐसी परिस्थिति में उस फाइल को दोबारा खोलकर ही उस अनुप्रयोग के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 2. कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं में फाइलों को बंद करने का अनुदेश। 3. किसी अनुप्रयोग / प्रोग्राम को नियम सम्मत तरीके से बंद करना तथा संबंधित विंडो को पटल से हटाना।

Closed Architecture - **गोपनीय संरचना** : ऐसा कंप्यूटर डिज़ाइन, जिसका विवरण आसानी से उपलब्ध न हो। ऐसे कंप्यूटरों के साथ लगनेवाले योज्य (add on) उपकरण बनाना लगभग असंभव होता है।

COBOL (Common Business Oriented Language) - **कोबोल** : यह अंग्रेजी भाषा की तरह की कंप्यूटर भाषा है जो 1959 से आज तक उपयोग में आ रही है, विशेष रूप से मेनफ्रेम पर। सामान्यतया एक कोबोल प्रोग्राम चार हिस्सों में बंटा होता है। पहला हिस्सा पहचान प्रभाग (identification division) होता है, जहां प्रोग्राम के नाम तथा अन्य संबंधित जानकारी होती है। परिवेश प्रभाग (environment division) में इन्पुट तथा आउटपुट फाइलों की जानकारी होती है। तीसरे डाटा प्रभाग (data division) में प्रोग्राम में उपयोग में आनेवाले डाटा का संरूप होता है तथा अंतिम प्रक्रिया प्रभाग (procedure division) में कार्य करने हेतु वास्तविक अनुदेश लिखे होते हैं। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के बाद उसका अनुभाषण (कम्पाइल) करने के पश्चात् निष्पादनयोग्य फाइल प्राप्त होती है।

Code - **कूट, कोड** : एक तरह के प्रोग्राम अनुदेश। 1. स्रोत कूट (सोर्स कोड) प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गये अनुदेश होते हैं। मशीन कूट (कोड) कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य संख्यात्मक कथन होते हैं, जो स्रोत कूट का कोडांतरण (Assemblying) कर प्राप्त होते हैं तथा जिन्हें कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है। 2. सूचना को गुप्त रखने के लिए उसका कुछ संकेतों की सहायता से गूढ़लेखन किया जाता है। वह कूट, जिसके द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता है, सामान्यतया साइफर (Cipher) कहलाता है।

Coding Sheet - **कूटलेखन पत्रक** : कंप्यूटर भाषा में क्रमादेश (प्रोग्राम) लिखने के लिए प्रयुक्त फार्म।

Command - **आदेश, कमांड** : प्रयोक्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया वह अनुदेश, जिसका कंप्यूटर पालन करता है। सामान्यतया आदेश कुंजीपटल की सहायता से टाइप किये जाते हैं या किसी उपलब्ध मेनू में से चुने जाते हैं।

Command.Com - **कमांड.कॉम** : एम एस-डॉस परिचालन प्रणाली की महत्वपूर्ण फाइल, जो कंप्यूटर को दिये गये अनुदेशों को उसे समझाती है तथा पालन कराती है, अर्थात् यह आदेश निर्वचक (कमांड इंटरप्रेटर) होता है।

Command Line - **कमांड लाइन** : कमांड भाषा में लिखे गये आदेशों की कड़ी, जिसे उचित माध्यम से कमांड निर्वचक को निष्पादन हेतु दिया जाता है। इसके लिए दिये गये कमांड उक्त कमांड भाषा के वैध (valid) कथन होने चाहिए।

Comment - **टिप्पणी, कमेंट** : किसी प्रोग्राम में लिखी गयी वे पंक्तियां, जिनमें प्रोग्राम संबंधी जानकारी रहती है। इन पंक्तियों में अधिकतर इस तरह की जानकारी रहती है कि

प्रोग्राम क्या करता है, किसने लिखा है, कोई परिवर्तन यदि किया गया है तो क्यों किया गया तथा अन्य प्रलेख संबंधी जानकारी आदि। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा की वाक्य-रचना के नियमों से संबंधित टिप्पणी के लिए प्रावधान करते हैं। इन पंक्तियों की उक्त भाषा का अनुभाषक साधारणतया उपेक्षा करता है।

Compatibility - **सुसंगतता, कम्पैटिबिलिटी** : 1. कंप्यूटर के साथ लगे उपकरण, डाटा फाइलें, प्रोग्राम आदि की वैध अनुदेश मिलने पर एक ताल में कार्य करने की क्षमता सुसंगतता का अर्थ यह है कि उक्त वस्तुएं ऐसे तारतम्य से काम करें कि प्रयोक्ता को दिक्कत न हो। 2. वह सीमा, जहां तक दो मशीनें आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकें। 3. सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक सिस्टम पर लिखे सॉफ्टवेयर की दूसरे भिन्न सिस्टम पर चलने की सीमा। प्रोग्रामों द्वारा डाटा शेयर करने की क्षमता (सीमा)। वर्तमान में कई तरह की परिचालन प्रणालियों के प्रचलन से सुसंगतता का महत्व काफी बढ़ गया है।

Compile - **अनुभाषण** : किसी उच्चस्तरीय भाषा के प्रोग्राम का मशीन द्वारा समझनेवाली भाषा में अंतरण अनुभाषण कहलाता है। यह क्रिया अनुभाषक (कंपाइलर) द्वारा संपन्न होती है।

Compiler - **अनुभाषक, कंपाइलर** : यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा जैसे "सी" (C) या पास्कल (Pascal) का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। अनुभाषक पूरे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के साथ-साथ शब्दों / वर्णों की जांच भी करता है एवं अशुद्ध सूचनाओं की जानकारी या चेतावनी भी देता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रोग्राम से कार्य निष्पादित किया जा सकता है। यह प्रतिपादक (interpreter) के ठीक विपरीत कार्य करता है। प्रतिपादक एक बार में एक ही पंक्ति का अनुवाद करता है, उसके बाद कार्यनिष्पादित करता है। अनुभाषक विशिष्ट भाषा के होते हैं। वे केवल विशिष्ट प्रोग्राम वाली भाषा के स्रोत कूट (source code) को ही मशीनी भाषा में संकलित करते हैं।

Component / Component Software - **अवयव / अवयव सॉफ्टवेयर** : कंप्यूटर भाषा में लिखी गयी मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर नेमका (रुटीन, भेटा प्रोग्राम), जिसे अलग से कंपाइल कर मुख्य प्रोग्राम में गत्यात्मक (dyname) रूप से जोड़ा जाता है। इसको अन्य अवयवों (component) तथा प्रोग्रामों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में इस तरह के सॉफ्टवेयर ज्यादा विकसित होने की संभावना है।

Compression - **संपीडन** : 1. यूनिक्स परिचालन प्रणाली द्वारा फाइलों को संपीडित करने का अनुदेश। 2. किसी डाटा के साइज को कम करना। इसके लिए डाटा में बार-बार आनेवाले एक तरह के बिट प्रतिरूप के स्थान पर कम जगह घेरनेवाले प्रतिरूप को रख दिया जाता है तथा मूल प्रतिरूप की एक प्रति सुरक्षित रखी जाती है।

Computer Crime - **कंप्यूटर अपराध** : अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नाजायज़ तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रिकार्डों में हेराफेरी करना या करने की कोशिश करना। बैंकों के कंप्यूटरों में इसी कारण पासवर्ड प्रणाली लागू की जाती है, ताकि कोई व्यक्ति किसी खाते के बैलेन्स तथा अन्य जानकारियों में फेर-बदल न कर सके। ऐसा करना कंप्यूटर अपराध है।

Computer Games - **कंप्यूटर खेल** : ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम, जिनका उपयोग प्रयोक्ता अपने मनोरंजन के लिए करता है। ऐसे प्रोग्राम प्रयोक्ता से इन्पुट लेकर तदनुसार क्रिया करते हैं। वर्तमान कंप्यूटर पर सादा अक्षरों तथा अंकों वाले खेलों से लेकर शतरंज, खजाना ढूंढ़ने तथा युद्ध के खेल आदि उपलब्ध हैं। इनमें एनिमेशन तथा मल्टीमीडिया का काफी इस्तेमाल होता है।

Computer Independent Language - **कंप्यूटर अनाश्रित भाषा** : ऐसी कंप्यूटर भाषा, जिसे किसी भी हार्डवेयर प्लेटफार्म पर उपयोग में लाया जा सके। अधिकतर उच्च स्तरीय भाषाएं इसी श्रेणी में आती हैं। हालांकि उनके अनुभाषक या निर्वचक में कुछ विशेष हार्डवेयर आश्रित लक्षण हो सकते हैं।

Concurrent Processing - **संगामी संसाधन** : कंप्यूटर प्रणाली का वह गुण, जिसके चलते दो या अधिक प्रक्रियाएं (प्रोग्राम) माइक्रो प्रोसेसर के समय का करीब-करीब साथ-साथ उपयोग करती हैं। चूंकि माइक्रो प्रोसेसर का इकाई समय जिसमें वह एक प्रक्रिया का संसाधन करता है मानव की कल्पना से भी कम है, अतः ये सभी प्रक्रियाएं संगामी प्रतीत होती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है।

Configuration File - **विन्यास फाइल** : इस फाइल में मशीन द्वारा पठनशील वह अनुदेश रहते हैं, जो उस हार्डवेयर या

सॉफ्टवेयर के उस कंप्यूटर पर सुचारु रूप से चलने के लिए जरूरी होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयरों में यह फाइल रहती है तथा सॉफ्टवेयर लोड होते समय क्रियाशील हो जाती है।

CONFIG.SYS - **कॉनफिग.सिस :** एक विशेष पाठ (टेक्स्ट) फाइल, जो एम एस-डॉस और ओ एस /2 परिचालन प्रणालियों में कतिपय पहलुओं का नियंत्रण करती है। इस फाइल के आदेश प्रणाली की कुछ विशेषताओं को कार्यक्षम या कार्य-अक्षम बना देते हैं। ये आदेश संसाधनों (resources) की सीमाएं (उदाहरण के लिए खुली फाइल के अधिकतम पृष्ठों की संख्या) तय करते हैं तथा डिवाइस ड्राइवरों को लोड करके परिचालन प्रणाली का विस्तार करते हैं, जिससे किसी कंप्यूटर प्रणाली के हार्डवेयर की विशिष्टताओं पर नियंत्रण होता है।

Connectivity - **संयोजकता :** 1. किन्हीं दो कंप्यूटरों में संबंध स्थापित करने का स्तर (जैसे सर्वर का नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों या इंटरनेट होस्ट के साथ संबंध)। यह परिपथ, टेलीफोन लाईन, व्यवधान स्तर (noise level), संचार युक्ति के बैंड विस्तार (band width) की उत्तमता के बारे में हो सकता है। 2. किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पैकेज की अन्य हार्डवेयर युक्तियों या सॉफ्टवेयर को डाटा संचरण की क्षमता। 3. किसी हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की नेटवर्क के साथ जुड़ने तथा पूर्ण रूप से कार्य करने की क्षमता।

Context Sensitive Help - **संदर्भ संवेदी सहायता, कांटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प :** कुछ अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों में उपयोग के समय दृश्यपटल (स्क्रीन) पर कुछ विशेष कुंजियां दबाने पर, उस सॉफ्टवेयर के उपयोग संबंधी सहायता उपलब्ध रहती है, जो ऑनलाइन हेल्प कहलाती है। यदि यह सहायता उस समय उपयोग में आ रहे विकल्पों के बारे में तत्कालीन वातावरण के अनुरूप हो, तो संदर्भ संवेदी सहायता कहलाती है।

Control - **नियंत्रण :** जब कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य तथा प्रक्रियाएं चल रही हों, तब उसके संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन। इसमें कार्यों का उचित समय त्रुटिरहित होना शामिल है। सॉफ्टवेयर में इसका अर्थ उन प्रोग्राम अनुदेशों से है, जो डाटा संबंधी कार्यों का उचित प्रबंधन करते हैं। चित्रमय यूजर इंटरफेस में इसका तात्पर्य पटल पर उपलब्ध उन अभिलक्ष्यों से है, जिनका प्रयोक्ता किसी कार्य को करने में उपयोग करता है, जैसे बटन, बार आदि, जो प्रयोक्ता को विकल्प चुनने में मदद करते हैं।

Control Break - **ठहराव-नियंत्रण :** किसी चलती हुई प्रक्रिया का नियंत्रण उसे रोककर प्रयोक्ता को या किसी अन्य प्रोग्राम को दे देना। यह कार्य प्रोग्रामों में ठहराव बिंदु (ब्रेक पाइंट) डालकर किया जाता है।

Control Flow - **प्रवाह-नियंत्रण :** किसी प्रोग्राम के सभी संभावित निष्पादन प्रवाह पथों का चित्र।

Control Panel - **नियंत्रण पैनेल :** विंडोज तथा मैकंटॉश का एक यूटिलिटी (उपयोगी) प्रोग्राम, जिसकी सहायता से परिचालन प्रणाली के कुछ पहलुओं तथा हार्डवेयर (जैसे समय, दिन, की बोर्ड की विशिष्टता, नेटवर्क प्राचल आदि) का उचित प्रबंधन किया जाता है।

Conversion - **बदलना :** एक संरूप से दूसरे संरूप में बदलना।

- *डाटा बदलना :* डाटा निरूपण के तरीके को बदलना, जैसे बाइनरी डाटा को दशमलव या हैक्साडेसीमल (षड्दशमिक) में बदलना।
- *फाइल बदलना :* फाइलों का संरूप बदलना, एक मानक कैरेक्टर कोडिंग से दूसरे मानक कैरेक्टर कोडिंग में फाइलों को बदलना, जेसे मेन फ्रेम पर इस्तेमाल होनेवाली एबसीडिक (EBCDIC) कैरेक्टर कोड वाली फाइलों को ASCII कोडवाली फाइलों में बदलना।
- *हार्डवेयर बदलना :* कंप्यूटर के समस्त या कुछ उपकरणों / पुर्जों को नये या उन्नत उपकरणों से बदलना।
- *मीडिया (माध्यम) बदलना :* एक भंडारण माध्यम से दूसरे भंडारण माध्यम पर डाटा रखना, जैसे 3.5 इंच फ्लॉपी से डिस्क, टेप पर या डिस्क से टेप, फ्लॉपी पर या 5.25 इंच फ्लॉपी से 3.5 इंच फ्लॉपी पर।
- *सॉफ्टवेयर बदलना :* किसी कंप्यूटर पर चलने के लिए बनाये गए प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पर चलने योग्य बनाने हेतु बदलना।
- *प्रणाली बदलना :* किसी परिचालन प्रणाली का दूसरी परिचालन प्रणाली में परिवर्तन, जैसे डॉस से यूनिक्स या ओ एस /2 में।

(अगले अंक में जारी)

विदेशी मुद्रा

मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं उदार बनायी गयीं

रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नयी योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को विदेशी करेंसी नोटों, सिक्कों या यात्री चेकों के रुपये में परिवर्तन का कारोबार करने के लिए एजेंसी / विशेष विक्रय अधिकार के करार करने हेतु स्वतंत्रता दी गयी है । यह कारोबार करने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को रिज़र्व बैंक से केवल एक बार अनुमोदन प्राप्त करना होगा । नयी योजना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

लक्ष्य : योजना का लक्ष्य यह है कि देश में मुद्रा परिवर्तन सुविधाओं के संजाल का दायरा और बढ़ाकर यात्रियों तथा पर्यटकों और साथ ही, अनिवासी भारतीयों को सहज और सुगम परिवर्तन सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें । यह अपेक्षा की जाती है कि नयी सुविधा में बैंक तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक सभी पर्यटन केन्द्रों पर तथा प्रमुख शहरों में ज्यादा घंटों तक तथा छुट्टी के दिनों में भी इस तरह की सुविधाएँ देने की स्थिति में आ जायेंगे ।

इससे पूर्व, विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों तथा यात्री चेकों का रुपये में परिवर्तन प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में नामित बैंकों और दो अन्य चैनलों, उदाहरण के लिए संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों तथा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों के माध्यम से किया जाता था । सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने, दोनों की अनुमति थी जबकि प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक रुपये में केवल विदेशी मुद्रा खरीद सकते थे । प्राधिकृत व्यापारियों, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों तथा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तकों को मुद्रा परिवर्तन कारोबार के लिए रिज़र्व बैंक से प्राधिकार लेने की आवश्यकता पड़ती थी ।

प्रस्तावित योजना : नयी योजना के अंतर्गत मौजूदा सुविधाओं के अलावा रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को इस बात की निर्बाध अनुमति देगा कि वे प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन कारोबार अर्थात् विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के अथवा यात्री चेकों को रुपये में बदलने का कार्य करने के प्रयोजन से अपनी पसंद की एजेंसी / इकाइयों के साथ एजेंसी विशेष विक्रय अधिकार करार (फ्रैंचाइसी) कर सकते हैं ।

विशेष विक्रय अधिकारी (फ्रैंचाइसी) : विशेष विक्रय अधिकारी ऐसी इकाई हो सकती है जिसके पास कारोबार का स्थान है तथा जिसकी वास्तविक हैसियत प्राधिकृत व्यापारी / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक को स्वीकार्य है । ये फ्रैंचाइसी केवल प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक का कार्य ही करेंगे ।

एजेंसी / फ्रैंचाइसी करार : प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे फ्रैंचाइसी के साथ व्यवस्थाओं की कालावधि और साथ ही कमीशन अथवा शुल्क आदि, आपसी सहमति से तय कर लें । अलबत्ता, उनके द्वारा किये जाने वाले एजेंसी / फ्रैंचाइसी करार में निम्नलिखित खास-खास बातें शामिल होनी चाहिये :

(क) फ्रैंचाइसी परिवर्तन दरें प्रदर्शित करे । रुपये में विदेशी मुद्रा की परिवर्तन दरें, प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक द्वारा उनकी शाखाओं में वसूल की जाने वाली दैनिक परिवर्तन दरों के अनुरूप या उनके निकटतम होनी चाहिये ।

(ख) फ्रैंचाइसी को चाहिए कि वह फ्रैंचाइज़र या अन्य अधिकृत व्यक्तियों को, जैसा कि करार किया गया हो, 7 दिन के भीतर वसूली की राशि सुपुर्द करे ।

(ग) फ्रैंचाइसी को लेनदेनों का उचित अभिलेख रखना चाहिए ।

(घ) प्राधिकृत व्यापारी / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक वर्ष में कम से कम एक बार फ्रैंचाइसी के अभिलेखों और परिसरों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें ।

आवेदन के लिए क्रियाविधि : फ्रैंचाइज़र - अर्थात् प्राधिकृत व्यापारी या संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक इस योजना के अंतर्गत व्यवस्थाएँ करने के लिए रिज़र्व बैंक को निर्धारित फार्मेट में आवेदन करें । आवेदन के साथ इस तरह का एक घोषणापत्र होना चाहिए कि फ्रैंचाइसी का चयन करते समय यथोचित परिश्रम किया गया है और इन कंपनियों ने फ्रैंचाइसी करार के सभी प्रावधानों / मुद्रा परिवर्तन के संबंध में रिज़र्व बैंक के मौजूदा विनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी स्वीकार की है । रिज़र्व

बैंक एक बार आधार पर अनुमोदन जारी करेगा। उसके बाद जब कभी नयी एजेंसी / फ्रैंचाइसी करार किये जायेंगे, तब कार्योत्तर आधार पर घोषणापत्र के साथ उनकी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को की जानी चाहिए।

मौजूदा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक : मौजूदा प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिये गये हैं, वे रिज़र्व बैंक का मौजूदा लाइसेंस वापस करके इस योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी/संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के फ्रैंचाइसी के रूप में मुद्रा परिवर्तन का काम कर सकते हैं। जो इस योजना के अंतर्गत परिचालन के लिए विकल्प नहीं देते, वे अगली सूचना तक मौजूदा मुद्रा परिवर्तन कारोबार जारी रख सकते हैं।

केन्द्रों का चयन और प्रशिक्षण : फ्रैंचाइज़र योजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी केंद्र का चयन कर सकते हैं। फ्रैंचाइज़र को चाहिए कि वे एजेंटों / फ्रैंचाइसी को परिचालन और अभिलेखों के रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण दें। रिज़र्व बैंक भी इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए आपसी सुविधा के अधीन सहायता देना चाहेगा।

रिपोर्टिंग और निरीक्षण : फ्रैंचाइज़र एक आसान फार्मेट निर्धारित करें, जिसमें फ्रैंचाइसी उन्हें नियमित आधार पर - अधिमानतः - मासिक अंतरालों पर लेनदेनों के संबंध में रिपोर्ट करें। साथ ही फ्रैंचाइसी की लेखा बहियों का वार्षिक निरीक्षण भी किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फ्रैंचाइसी मुद्रा परिवर्तन कारोबार करार / रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं और आवश्यक अभिलेख रखे जा रहे हैं।

पासपोर्ट पृष्ठांकन

क्रियाविधि को और सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को, पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए पासपोर्ट पृष्ठांकित करने की ज़रूरत नहीं है। तदनुसार, कैलेण्डर वर्ष के दौरान ली गयी विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में यात्री द्वारा दी गयी घोषणा के आधार पर प्राथमिक व्यापारी, पर्यटन तथा निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। अलबत्ता, यात्री यदि अपने रिकार्ड के लिए ऐसा करना जरूरी समझते हैं तो उन्हें यह विकल्प है कि वे अपने पासपोर्ट पर पृष्ठांकन करवा सकते हैं।

यूरो मुद्रा

पहली जनवरी 2002 को यूरोपियन यूनियन के 12 सदस्य देशों में यूरो बैंक नोट तथा सिक्के प्रचलन में डाल दिये गये तथा सदस्य देशों द्वारा निर्धारित इस समय-सूची के अनुसार परंपरा से चली आ रही 12 मुद्राएं, विधिमान्य मुद्राएं नहीं रहीं।

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों तथा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को सूचित किया है कि वे अपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाली शाखाओं, खास तौर पर हवाई अड्डों तथा पर्यटन केंद्रों पर स्थित शाखाओं में तत्काल प्रभाव से, यात्री चेकों के लिए और पहली जनवरी 2002 से करेंसी नोटों के लिए यूरो परिवर्तन दरें प्रदर्शित करें। रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक व्यापारियों तथा पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को यह भी सूचित किया है कि यूरो बैंक नोटों तथा सिक्कों की शुरुआत होने पर वे निवासियों की परंपरा से प्रचलित मुद्राओं को यूरो में बदलें।

वर्तमान में, भारत के किसी निवासी व्यक्ति को कुल मिलाकर 2000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसके बराबर राशि के विदेशी मुद्रा नोट, बैंक नोट तथा विदेशी मुद्रा यात्री चेक रखने की अनुमति है। तदनुसार, यदि किसी निवासी के पास परंपरा से प्रचलित 12 मुद्राओं में से किसी में शेष राशियां रखी हैं तो वे उसे 31 जनवरी 2002 तक यूरो में बदलवा सकते हैं।

यूरो के बारे में अधिक जानकारी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस साइट तक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in के 'Other Links' के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

निर्यात आय की वसूली की अवधि बढ़ायी गयी

प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गयी है कि वे, रिज़र्व बैंक को लिखे बिना, निर्यात आय की वसूली की अवधि, निर्यात की तारीख से छः महीने से परे बढ़ा सकते हैं। क्रियाविधि में यह छूट ऐसे मामलों में लागू होगी जहां बीजक का मूल्य 1,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है। अलबत्ता, प्राधिकृत व्यापारी इस तरह की अवधि बढ़ाने की मंजूरी निर्यातक से आवेदन पत्र प्राप्त करने पर तथा निम्नलिखित शर्तों पर दे सकते हैं :

(i) प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट है कि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण निर्यात आय वसूल करने में असफल रहा है;

(ii) निर्यातक इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि वह बढ़ायी गयी अवधि के भीतर निर्यात आय वसूल कर लेगा; तथा

(iii) अवधि विस्तार एक बार में तीन महीने की अवधि के लिए मंजूर किया जाये तथा निर्यात की तारीख से एक वर्ष से परे अवधि विस्तार पर विचार करते समय, निर्यातक की कुल निर्यात बकाया राशियां पिछले तीन वर्ष के दौरान वसूलियों के औसत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

1,00,000 अमेरिकी डॉलर की अधिकतम सीमा उस स्थिति में लागू नहीं होगी जहां निर्यातक ने विदेश में आयातक के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है । ऐसी स्थितियों में, फंसी हुई राशि भले ही कुछ भी हो, एक बार में अवधि विस्तार छः माह तक के लिए मंजूर किया जाये ।

ऐसे मामलों के लिए, जो ऊपर बतायी गयी श्रेणियों में और साथ ही साथ नीचे बतायी गयी श्रेणियों में नहीं आते, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

(क) जहां निर्यात बीजक प्रवर्तन निदेशालय/केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा किसी अन्य अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच के अधीन हैं ।

(ख) जहां बीजक का मूल्य 1,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है ।

प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे निर्यात की तारीख से छः महीने से परे के सभी बकाया निर्यात बिलों के बारे में पहले की तरह एक्सओएस विवरणी में रिपोर्ट करते रहें । जहां प्राथमिक व्यापारी समय में विस्तार की मंजूरी देते हैं, वहां वे टिप्पणी कॉलम में यह दर्शायें कि किस तारीख तक समय विस्तार मंजूर किया गया है ।

एडीआर/जीडीआर की द्विमार्गी परिवर्तनशीलता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स/ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसीट्स की सीमित द्विमार्गी परिवर्तनशीलता के लिए दिशानिर्देश लागू किये हैं । दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एडीआर/जीडीआर को फिर से जारी करना, एडीआर/जीडीआर की उस सीमा तक अनुमत होगा जिस सीमा तक वे विमोचित किये गये हैं और मूल (अंडरलाइंग) शेयर घरेलू बाज़ार में बेचे गये हैं । पुनर्परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक की किसी विशिष्ट अनुमति की ज़रूरत नहीं रहेगी । इस योजना के अंतर्गत शेयरों के एडीआर/जीडीआर में पुनर्परिवर्तन विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियो निवेश से अलग होगा । लेनदेन मांग से प्रेरित होंगे और इस कारण इनके लिए कंपनी भागीदारी अथवा नये सिरे से अनुमतियों कि ज़रूरत नहीं होगी । कस्टोडियन भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय अधिकतम सीमा के भीतर एडीआर/जीडीआर को फिर से जारी किये जाने की निगरानी करेंगे । इसके अलावा, प्रत्येक खरीद लेनदेन केवल सुपुर्दगी पर ही होगा और भुगतान बैंकिंग माध्यमों से विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जायेगा ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत दलाल एडीआर/जीडीआर की द्विमार्गी परिवर्तनशीलता में मध्यस्थों के रूप में काम करेंगे । इससे पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 मार्च 2001 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए दलालों को पहले ही आम अनुमति दे दी थी कि वे विदेशी निवेशकों की ओर से शेयर खरीद सकते हैं । गौण बाज़ार लेनदेनों के रूप में मध्यस्थों के जरिए विदेशी निवेशकों की ओर से शेयरों की खरीद सेबी की विनियामक सीमा के भीतर आयेंगे । चूंकि एडीआर/जीडीआर में शेयरों के पुनर्परिवर्तन के लिए मांग विदेशी निवेशकों की ओर से होगी न कि कंपनी की ओर से, लेनदेन में होनेवाले व्यय निवेशक द्वारा वहन किये जायेंगे । ये लेनदेन आयकर अधिनियम 1961 के अधीन होंगे ।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के जनवरी और फरवरी 2002 अंक से साभार)

वर्ष 2001 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

जनवरी

- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान ने बैंक की हिन्दी वेबसाइट का उद्‌घाटन किया ।
- निजी क्षेत्र में नये बैंकों के लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देश संशोधित किये गये । दिशानिर्देश सबसे पहले 1994 में जारी किये गये थे ।
- बैंक वित्त पर 50 प्रतिशत का ब्याज अधिभाार समाप्त किया गया ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयात वित्त पर ब्याज दर अधिभार तथा अतिदेय निर्यात बिलों पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारण हटाया ।
- 'भुगतान और निपटान प्रणाली', 'दिवालियापन कानून' तथा 'अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण और लेखा परीक्षा' पर सलाहकार दलों ने रिपोर्टें प्रस्तुत कीं ।
- राज्य सरकारों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण मानदंडों पर मुख्य समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुजरात के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएँ और ओवरड्राफ्ट विनियम शिथिल किये ।

फरवरी

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अर्थोपाय अग्रिम योजना 2001' नामक अर्थोपाय अग्रिम योजना संशोधित की ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और नकदी प्रारक्षित अनुपात 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया ।
- 'बीमा विनियमन' पर सलाहकार समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह समूह दिसंबर 1999 में गठित किया गया था ।
- रिज़र्व बैंक ने विदेशी तत्वावधान के पूंजी निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और साथ ही अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगम निकायों द्वारा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी भारतीय कंपनियों के शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों के ग्रहण के लिए सुविधा समाप्त कर दी है ।
- 2001 के भूकम्प से प्रभावित निर्यातकों को राहत पहुँचाने के लिए पोतलदान-पूर्व ऋण का विस्तार, देयराशि को अल्पावधिक ऋण में बदलना तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू किया जाना जैसी रियायतें देने का निर्णय लिया गया ।
- वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि अतिदेय निर्यात बिल के संबंध में 25 प्रतिशत वार्षिक (न्यूनतम) दर पर ब्याज का निर्धारण वापस ले लिया गया । ब्याज दर में संशोधन केवल नये अग्रिमों पर ही नहीं बल्कि शेष अवधि के लिए मौजूदा अग्रिमों पर भी लागू होगा ।
- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे स्टाफ को दिये गये ऐसे सभी ऋणों और अग्रिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगायें जो अधिवर्षिता लाभों तथा फ्लैट/मकान को बंधक रखकर सुरक्षित किये गये हों तथा उन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 9 के अंतर्गत 'अग्रिमों' में स्टाफ को स्वीकृत ब्याज वाही ऋणों और अग्रिमों में दर्शायें । तथापि अपने स्टाफ को दिये गये सभी गैर-ब्याज वाही ऋणों और अग्रिमों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 में 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत 'अन्य' में शामिल करें ।

मार्च

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी खाते के उदारीकरण के लिए अधिसूचनाएँ जारी कीं ।
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के रूप में कार्य करने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा (सहायक कम्पनी की स्थापना की जाएगी) एच एस बी सी प्राइमरी डीलरशिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड - यूटीआई सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी ।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे नायक समिति की सिफारिशों के अनुरूप लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण के प्रावधान के संबंध में शाखा पदाधिकारियों को पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने में और सुधार करें ।

- मांग मुद्रा बाज़ार से गैर-बैंकों को सूचीबद्ध करने पर तकनीकी समूह ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की ।

- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अगले तीन वर्ष के भीतर कृषि क्षेत्र के सभी पात्र उधारकर्ताओं को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्य योजना तैयार करें ।

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे प्रवर्तक बैंक की वेबसाइट पर अपने तुलन-पत्र के साथ सहायक कम्पनियों के वार्षिक खाते और सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में निदेशकों की रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ ।

- यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई पुनर्गठित खाता क्रमशः मानक और अवमानक के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा जाता है तो, यदि आस्ति पूरी तरह से संरक्षित है और ब्याज में त्याग, यदि कोई हो, तो उसे बट्टे खाते डाला जायेगा या उसके लिए प्रावधान किया जायेगा ।

- वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि वे वित्त वर्ष 2000-01 से अपने प्रकाशित वार्षिक लेखे में कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आँकड़ों को प्रकट करें । ऐसे प्रकटीकरण 'लेखा संबंधी टिप्पणी' के भाग के रूप में होंगे, ताकि इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी सूचना प्रकाशित वार्षिक लेखे में कहीं अन्यत्र भी हो सकती है, लेखा परीक्षक सूचना का प्रमाणीकरण कर सकें ।

- यह स्पष्ट किया गया कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में हुई कमी के बराबर नाबार्ड/सिडबी में रखी गयी जमाराशियों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा क्योंकि ये जमाराशियाँ ऐसी आस्तियों में कमी के बदले में हैं जिन पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगता है ।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकार किये जानेवाले जमाराशियों में ब्याज की अधिकतम दर 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दी ।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को उपलब्ध अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ब्याज की दर और बैंक के पास रखी जाने योग्य न्यूनतम बकाया राशि की सीमा पुनर्निधारित की ।

अप्रैल

- 2001-2002 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति घोषित की गयी ।

- 5 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वाली गैर-निष्पादक आस्तियों की देय राशियों के निपटान के संबंध में सरल, गैर-विवेकाधीन तथा गैर-विभेदक प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों का परिचालन 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया ।

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार की गयी और भारत सरकार द्वारा मंजूर की गयी संशोधित शिक्षा संबंधी ऋण योजना लागू करें । इससे पूर्व रिज़र्व बैंक ने जुलाई 1999 में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत, शिक्षा संबंधी ऋण योजना जारी की थी । बैंकों को सूचित किया गया कि योजनाएँ अलग हैं और किसीके अधिक्रमण में नहीं हैं ।

- वर्ष 2001-02 से निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए संस्तुत लेखा परीक्षा फर्मों को कतिपय न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा ।

- रिज़र्व बैंक ने सैटेलाइट डीलरों के लिए चलनिधि सहायता की ।

- बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे व्यक्ति और संयुक्त हिन्दु परिवारों को छोड़कर अन्य निकायों की बड़ी जमाराशियों की अवधि पूर्व निकासी रोक सकते हैं, बशर्ते जमाकर्ता को पहले ही सूचना दी गयी हो ।

- बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ऋण करार में एक इस शर्त को शामिल करें जिसमें उधारकर्ता इसके लिए सहमत हो कि यदि वे चूककर्ता बन जाते हैं तो उनका नाम प्रकट कर दिया जाएगा ।

- भारतीय रिज़र्व बैंक सेबी तकनीकी समिति ने बैंकों का शेयरों में निवेश तथा शेयरों और अन्य संबंधित निवेशों के अग्रिमों पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की ।

- बेहतर पारदर्शिता के खातिर बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के संदिग्ध या हानि संवर्ग के चूककर्ताओं की सूची का छमाही रूप से परिचालन करें ।

- नीलामी में पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने तथा द्वितीय बाजार के सौदों को तात्कालिक आधार पर निपटाने के लिए जून 2001 से एक इलेक्ट्रॉनिक निगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम

स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

- बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों और द्वितीय व्यापारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे 30 जून 2001 से वाणिज्य पत्रों में केवल डिमैट रूप में निवेश करें और रखें। इन संस्थाओं की बहियों में स्क्रिप के रूप में रखे गये बकाया निवेश भी 31 अक्तूबर 2001 तक डिमैट रूप में परिवर्तित किये जाने थे ।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तावित अन्तरिम विवेक-सम्मत उपायों का उद्देश्य जमाकर्ताओं और सदस्यों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है ।
- नयी शिखर पर्यवेक्षी संस्था का प्रस्ताव जो अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में सम्पूर्ण निरीक्षण/पर्यवेक्षी कार्यों को अपने अधिकार में लेगी ।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी-अनुपात को चरणबद्ध रूप में शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया गया है ।
- लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी-बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसीकरण की नीति संशोधित की गयी ।
- वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि 30 जून 2001 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर प्रसंस्करण किया जाए और तत्संबंधी निर्णय यथाशीघ्र, लेकिन 30 सितम्बर 2001 तक ले लिया जाए ।
- यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी ऋण का ब्याज और/या मूलधन की किस्त 31 मार्च 2002 को समाप्य वर्ष से 180 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय रहे तो वित्तीय संस्थाएँ ऐसी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादक समझें ।
- रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं की सूचना और दिशा-निर्देश के लिए, वित्तीय संस्था के यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित होने हेतु अनेक परिचालनात्मक और विनियामक मामलों की गणना की ।

मई

- चलनिधि समायोजन सुविधा संशोधित की ।
- बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए विशेष निधि सुविधा संशोधित की गयी ।
- यह विचार करते हुए कि ऋणगत हानियों के लिए उच्चतर प्रावधान करने से बैंकों की समग्र वित्तीय स्थिति में वृद्धि होगी और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी, बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे स्वैच्छिक रूप से वांछनीय परंपरा के रूप में न्यूनतम विवेक-सम्मत स्तरों से काफी अधिक के प्रावधान करें ।
- इक्विटी के बैंक वित्त पोषण और शेयरों में निवेश के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए । ये दिशा निर्देश पहली नवंबर 2000 को जारी किये गये । इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बैंक, शेयरों में 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं । यह उच्चतम सीमा बैंक के पूंजी बाजार में सभी रूप में निधि और गैरनिधि आधारित कुल अरक्षितता पर लागू होगी ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंकड़ों के ‘प्रसार’ पर सलाहकार समूह की रिपोर्ट प्रकाशित की ।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि की लोक अदालतों के माध्यम से समझौता द्वारा निपटान के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये ।
- फिल्म उत्पादन को बैंकों द्वारा वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘प्रतिभूति बाज़ार विनियमन’ पर सलाहकार समूह की रिपोर्ट का पूरा पाठ जारी किया ।

जून

- गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में प्रकटीकरण प्राप्त करने और निजी स्थानन द्वारा किये गये निवेशों के संबंध में, विशेषकर साखदर निर्धारण-रहित लिखतों में किये गये निवेशों पर ऋण जोखिम विश्लेषण सतर्कता बरतने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये ।
- बैंकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और रिज़र्व बैंक निरीक्षकों द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों के आकलन में मतभिन्नता को कम करने की दृष्टि से उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल और सहज मार्गदर्शी दिशानिर्देश प्रश्नोत्तर रूप में जारी किये गये ।
- इन्टरनेट बैंकिंग संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए ।
- वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि वित्तीय संस्था के लिए ऋण सीमा के निर्धारण हेतु पूंजी-पर्याप्तता मानक के अंतर्गत यथा परिभाषित पूंजी निधि की अवधारणा में टियर I और

टियर II दोनों पूंजी और करेंसी स्वैप, ऑप्शंस, आदि जैसे अन्य डेरिवेटिव उत्पाद में किये गये वायदा संविदाएँ उनके प्रतिस्थापन लागत पर शामिल होंगे, लेना आवश्यक हैं ।

- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न संविभागों में आस्ति देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देशों की घोषणा की गई और उसे ऐसी कंपनियों पर लागू किया गया जिनकी आस्तियां 31 मार्च 2001 के तुलन-पत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हों अथवा उनकी सार्वजनिक जमाराशियां 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक हों ।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि संस्था में आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली का प्रारंभिक काम करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक आस्ति देयता प्रबंध समिति गठित करें तथा उसमें अन्य विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में रखें ।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा साख पत्र जारी करके प्राप्त की गयी जमाराशियों को सार्वजनिक जमाराशियों की परिधि से छूट देने का निर्णय लिया गया ;

अगस्त

- आन्तरिक और बाह्य घटकों से प्रभावित ऐसी अर्थक्षम नियमित संस्थाओं के कम्पनी ऋणों की पुनर्संरचना करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया-तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक त्रि-स्तरीय कम्पनी-ऋण पुनर्संरचना (सी डी आर) प्रणाली की परिकल्पना की गयी जो गैर-सांविधिक, स्वैच्छिक प्रक्रिया तंत्र है और ऋणकर्ता और ऋणदाता तथा अन्ततः ऋणदाता करारों पर आधारित है, यह संरचना बी आइ एफ आर, डी आर टी तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर है । उक्त सी डी आर प्रणाली केवल उन बहु-बैंकीय/संगठित ऋणों/सहायता संघीय खातों पर लागू की जाएगी जो मानक और अवमानक श्रेणी के हैं और जिनकी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति बकाया अरक्षितता (जोखिम) 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक की है ।
- वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे अपने कर्मचारियों को दिये गये उन सभी ऋणों और अग्रिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भारांक लगायें जो अधिवर्षिता लाभ से तथा फ्लैट/मकान आदि को बंधक रखकर सुरक्षित किये गये हों । उनके कर्मचारियों को दिये गये अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भारांक दिया जाए ।
- यह स्पष्ट किया गया कि ऋण जोखिम संबंधी मानदण्ड वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू हैं, केवल उनका पुनर्वित्त संविभाग इसका अपवाद है, तथापि विवेक-सम्मत परिदृश्य की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि ये संस्थाएं पूंजी निधियों/संबंधित वित्तीय संस्थाओं की विनियामक पूंजी के संबंध में जोखिम संबंधी अपने मानदण्ड अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन से बनाये ।
- यह निर्णय लिया गया कि 31 अक्तूबर 2001 से वित्तीय संस्थायें जो भी नये निवेश करें तथा जो भी बांड, डिबेंचर, निजी स्थानन या अन्य रूप में निवेश करें वे केवल डीमैट रूप में हों । प्रतिभूति रूप में रखे सभी निवेश 30 जून 2002 तक डीमैट रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए ।
- आस्ति देयता प्रबंध से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश वित्तीय संस्थाओं को जारी किया गया जिसमें तुलन-पत्र से इतर मदों को रखने तथा ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण के लिए लेनदेन बही में प्रतिभूतियों को रखने के लिए समय सारणी को भी शामिल किया गया । ये दिशानिर्देश पहले जून 2001 में जारी किये गये ।

सितम्बर

- भारतीय रिज़र्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रयोगात्मक रूप से यह निर्णय दिया गया है कि बैंकों को पूंजी बाजार के प्रति बैंकों की अरक्षितता (जोखिम) के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अंदर मार्जिन व्यापार के लिए शेयर ब्रोकरों को कुछ शर्तों के अधीन वित्त प्रदान कर सकते हैं ।
- भारत सरकार से परामर्श करके चुनिंदा उत्पादों के भारी मूल्यवाले निर्यातों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी हैं और उच्च स्तर के मूल्य-योजन से युक्त है, एक विशेष वित्तीय पैकेज तैयार किया गया । यह पैकेज निम्नलिखित के लिए लागू किया गया : क) औषधी उत्पाद ख) कृषि रसायन ग) परिवहन उपकरण घ) सीमेन्ट ङ) लोहा और इस्पात छड़ें और च) बिजली मशीनें
- निर्यात ऋण के लिए ब्याज की उच्चतम सीमा में 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए सभी उधारकर्ताओं के लिए

1.0 बिन्दु तक की कमी की घोषणा की गयी । तदनुसार बैंक निर्यातकों से जो अधिकतम दर वसूल कर सकते हैं उसे संशोधित करके 180 दिनों तक के पोतलदानपूर्व के लिए और 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋणों के लिए अब इसकी मूल उधार दर से 2.5 बिन्दु कम कर दी गयी ।

अक्तूबर

- मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा की गयी ।
- यह निर्णय लिया गया कि बैंक मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष से अपने तुलन-पत्रों में *खातों पर टिप्पणियां* में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण करेंगे ; (i) गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में कार्रवाई करना अथवा प्रावधान करना तथा (ii) निवेशों में होनेवाले मूल्यह्रास के संबंध में प्रावधान करना ।
- बैंकों को यह छूट दी गयी है कि यदि वे चाहें तो नकदी ऋण का घटक 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर अथवा *ऋण घटक* को 80 प्रतिशत से अधिक करके, जैसी भी स्थिति हो, कार्यकारी पूंजी की सीमाओं को 10 करोड़ रुपये और अधिक करने के लिए कार्यकारी पूंजी की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं । इस प्रकार के निर्णयों के अपने नकदी प्रबंध पर पड़नेवाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक कार्यकारी पूंजी के दोनों में से प्रत्येक घटक को उपयुक्त महत्व देंगे ।
- बीमा कंपनियों को सामान्य बीमा मैन्युअल के प्रावधानों के अंतर्गत कवर मामलों को छोड़कर कतिपय शर्तों के अधीन सामान्य बीमा पॉलिसियों के मामले में विदेशी मुद्रा के दावों को विदेशी मुद्रा में निपटान की अनुमति दी गयी ।
- यह प्रस्ताव किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को कुछ मानदण्डों के अधीन शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने की अनुमति दी जाए ।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी धारिता का निर्धारित स्तर प्राप्त करने के लिए समय-सीमा को संशोधित करने की अनुमति दी गयी ।
- यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानदण्डों को मार्च 2004 तक और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक मार्च 2005 तक क्रमिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं ।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सुझावों/जिज्ञासाओं के आधार पर निवेशों के वर्गीकरण और मूल्य आकलन पर वित्तीय संस्थाओं को एक व्याख्यापरक परिपत्र जारी किया गया ।

नवम्बर

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता की जमाराशियों पर जो अधिकतम ब्याज दर अदा कर सकती हैं, उसे पहली नवंबर 2001 से 14.0 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया है ।
- यह निर्णय लिया गया कि प्रकाशित तुलन-पत्र की तारीख के बाद बैंकों द्वारा देशी या विदेशी चलपूंजी के जरिये एकत्रित पूंजी को उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।
- चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं और वस्त्रों का, उच्च मूल्य निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों के लिए पात्र उत्पादों में समावेश किया गया । यह पैकेज चयनित उत्पादों के लिए पहली बार सितंबर 2001 में शुरु किया गया ।
- रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को जिलों के सभी बैंकों से 'कुछ देय नहीं' प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए बल दिये जाने से कोई असुविधा नहीं होती है ।

दिसंबर

- प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण-मुद्रा परिवर्तकों को सूचित किया गया कि वे अपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाली सभी शाखाओं, खास तौर पर हवाई अड्डों तथा पर्यटन केंद्रों पर स्थित शाखाओं में तत्काल प्रभाव के यात्री चेकों के लिए और पहली जनवरी 2002 से करेंसी नोटों के लिए यूरो परिवर्तन दरें प्रदर्शित करें । रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को यह भी सूचित किया कि वे यूरो की शुरुआत होने पर निवासियों के पास विधिमान्य मुद्राओं में रखी राशियों को यूरो में बदलें ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों की सुविधा की उपलब्धता घोषित की ।

पुरस्कृत निबंध

बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या*

श्री उत्सव धोलकीया
सहायक प्रबंधक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय
महात्मा गांधी रोड
आणंद-388 001
गुजरात

प्रस्तावना

वर्ष 1988 में बास्ले समिति की सिफारिशों एवं वर्ष 1991 में नरसिम्हम् समिति की रिपोर्ट के पश्चात् भारतीय बैंकिंग उद्योग में सुधारों के प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ। इन सिफारिशों के लागू होने से बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा का युग आ गया। नरसिम्हम् समिति की प्रथम रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में बैंकों के लिए विवेकपूर्ण लेखा मानदण्डों (Prudential Accounting Norms) का अनुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विवेकपूर्ण लेखा मानदण्डों के लागू होने से पहले भारतीय बैंकिंग उद्योग में "आय का निर्धारण", "आस्तियों का वर्गीकरण", "प्रावधानीकरण" और "पूंजी पर्याप्तता" जैसे शब्द प्रचलित नहीं थे। गैर - निष्पादक आस्तियों (एन.पी.ए.) की परिकल्पना भी इन्हीं सुधारों की देन है।

अनर्जक परिसंपत्तियां (एन.पी.ए.) क्या हैं ?

अनर्जक परिसंपत्तियों को गैर-निष्पादक आस्तियां भी कहा जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो, जिन आस्तियों से बैंक को आय का अर्जन नहीं होता है, उन आस्तियों को एन.पी.ए. कहते हैं। वर्तमान में, जिन ऋण सुविधाओं के संबंध में दो तिमाही (अर्थात् 180 दिनों) तक ब्याज की राशि या मूल राशि की किस्तों की ऋणकर्ता द्वारा बैंकों को अदायगी नहीं होती है अथवा जो कैश - क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट खाते दो तिमाही से "अनियमित" (Out of Order) रहते हैं, ऐसे ऋण खातों को "एन.पी.ए." माना जाता है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से पहले की स्थिति

विवेकपूर्ण मानदण्डों के लागू होने से पहले निश्चित समय के अंतराल पर ऋण खाते में नामे की गई ब्याज की राशि ऋणी द्वारा ब्याज की अदायगी नहीं होने पर भी आय के रूप में लाभ-हानि खाते में जमा की जाती थी। इससे बैंकों के लाभ (Profit) के आंकड़े अनावश्यक रूप से बड़े हो जाते थे, एवं बैंकों की वित्तीय शक्ति (Financial Strength) का वास्तविक रूप नहीं उभरता था।

विवेकपूर्ण मानदण्डों के अमलीकरण के बाद की स्थिति

आय निर्धारण के नियमानुसार किसी भी ऋण खाते के संदर्भ में ऋणी से ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होने तक ब्याज की राशि को आय खाते में जमा नहीं किया जा सकता है। अतः अर्जित आधार पर (On Accrual Basis)ब्याज की गणना आय के रूप में नहीं की जा सकती है। गैर-निष्पादक ऋण खातों में ब्याज की राशि तब तक नामे नहीं की जा सकती जब तक ऋणी वास्तविक रूप से भुगतान नहीं करता है। अतः एन.पी.ए. खातों से बैंकों को किसी भी आय का अर्जन नहीं होता है, यही नहीं बल्कि ऐसी आस्तियों पर उनकी आयु के आधार पर निश्चित प्रतिशत में प्रावधान भी करना पड़ता है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता विपरीत रूप से प्रभावित होती है। बैंकों के बहुमूल्य संसाधन अनुपयोज्य आस्तियों में फँस जाने से बैंक अपनी निधियों को लाभदायक रूप से विनियोजित नहीं कर पाते हैं।

* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित अंतर-बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 2000-01 में क्षेत्र 'ख' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध।

गैर-निष्पादक आस्तियों का परिभाषा

वर्ष 1998 में गठित पन्नीर सेल्वम समिति की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में सकल एन.पी.ए. की राशि एवं कुल ऋण वितरणों के प्रतिशत के रूप में एन.पी.ए. का स्तर निम्नानुसार था :

वर्ष	सकल एन.पी.ए. (रु.करोड़ में)	वर्ष	कुल ऋण का प्रतिशत
1992-93	39746	1992-93	23.00
1994-95	38385	1994-95	19.80
1995-96	39584	1995-96	16.50
1996-97	43577	1996-97	17.84

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की स्थिति निम्नानुसार है :

1998-99	51710	1998-99	15.89
1999-00	51667	1999-00	14.30

मार्च 1998 के अंत में बैंकिंग प्रणाली में एन.पी.ए. की राशि रू. 45000 करोड़ थी, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.5% के बराबर थी।

चूंकि कुल ऋण राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बहुत बड़ा हिस्सा है, इन बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों की मात्रा अधिक है। फिर भी, आस्तियों के प्रतिशत के रूप में, प्रावधानीकरण के पश्चात् एन.पी.ए. केवल 7.44% है।

भारतीय बैंकिंग उद्योग में एन.पी.ए. की गणना कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार एन.पी.ए. की गणना कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है। भारत में बैंक ऋणों की मात्रा कुल आस्तियों के लगभग 50% के बराबर है। ऋणों को छोड़कर अन्य आस्तियां (बाकी 50%) नकदी निधि अनुपात (CRR) व सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) तथा "अन्य आस्तियों" के रूप में होती हैं। अतः भारतीय बैंकिंग उद्योग में एन.पी.ए. का स्तर कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में केवल 2.9% है।

एन.पी.ए. की समस्या सिर्फ भारत ही नहीं, वरन् संपूर्ण विश्व के बैंकिंग उद्योग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, किन्तु हमारे देश में इस राशि की अधिकता हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

एन.पी.ए. बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण

1) अर्थनीति में परिवर्तन
2) संगठित कर्मचारीगण
3) चूककर्ता ऋणियों को सहायता करनेवाली वैधानिक प्रणाली
4) अपारदर्शी लेखा नीति एवं कमज़ोर लेखा परीक्षा प्रणाली
5) जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy) का अभाव
6) कुछ चयनित क्षेत्रों में ही अधिक ऋण देने का अभिगम
7) विभिन्न ऋणदाताओं (जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, विकास-वित्त संस्थाएं, आदि) के बीच आपसी तालमेल का अभाव
8) ऋण सीमाओं की स्वीकृति, बढ़ोतरी (Enhancement) या समीक्षा के समय प्रस्ताव के मूल्यांकन में सही दृष्टि का अभाव
9) भ्रष्टाचार, राजनैतिक सुरक्षा एवं दबाव
10) अर्थव्यवस्था के संबंध में अपर्याप्त जानकारी एवं ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करनेवाले अधिकारियों की अपेक्षाकृत कम कार्यकुशलता

भारतीय बैंक संघ के पूर्व-सचिव श्री एम. एन. दांडेकर के अनुसार बैंकों की उदासीनता (Apathy) ही एन.पी.ए. के वर्तमान स्तर के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारक है। सार्वजनिक क्षेत्र में होने से प्राप्त संरक्षण, लाभप्रदता के प्रति कमज़ोर अभिगम, वेतन संरचना (जिसमें उच्च गुणवत्ता के लिए प्रोत्साहन की गुंजाइश कम है), ऋणों की स्वीकृति में राजनैतिक हस्तक्षेप, लोन-मेले, ऋण माफी योजनाएं और जटिल वैधानिक प्रक्रियाएं जैसे अन्य कारक भी एन.पी.ए. में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं।

पन्नीर सेल्वम समिति के अनुसार दावा दायर मामलों में न्यायालयों द्वारा मामले की सुनवाई / निपटान में कई वर्ष बीत जाते हैं, और डिक्री प्राप्त होने के बाद भी उसका निष्पादन लगभग असंभव होता है। देश के विभिन्न न्यायालयों में हज़ारों मुकदमे दशकों से अनिर्णीत स्थिति में लम्बित पड़े हुए हैं। ऋण वसूली प्राधिकरण भी अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूर्णतः

सिद्ध करने में असफल रहे हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996 और 1999 के बीच बैंकों द्वारा रू. 12000 करोड़ की राशि के लिए 13000 मामलों को ऋण वसूली प्राधिकरणों में दर्ज किया गया, जिनमें से केवल रू. 315 करोड़ की वसूली ही की जा सकी ।

इरादतन चूककर्ता (Wilful Defaulter) तो "बायफर" की सहायता लेकर ऋण की अदायगी नहीं करते हैं । एक बार मामला "बायफर" में पंजीकृत हो जाता है, तो बैंक चूककर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है । विशेष रूप से बड़े औद्योगिक गृह "बायफर" के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हैं और बैंक ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं करते हैं ।

वाणिज्यिक बैंकिंग में विविध जोखिम - जैसे बाज़ार जोखिम (Market Risk), ऋण जोखिम (Credit Risk), विनिमय जोखिम (Exchange Risk) आदि समाहित हैं । बैंकर अपनी तकनीकी कुशलता और उपलब्ध सूचना के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय लेकर जोखिम घटाने की कोशिश करता है । फिर भी, भारतीय संदर्भ में जोखिम निर्धारण का मॉडल अल्प-विकसित होने के कारण भी गैर - निष्पादक आस्तियों में बढ़ोतरी होती है ।

आस्तियों को एन.पी.ए. होने से कैसे रोका जाए ?

प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं :-

1) ऋण प्रस्तावों का वैधानिक ढंग से मूल्यांकन (Appraisal)
2) साख संबंधी नियंत्रण (जैसे पूर्व / पश्च स्वीकृति निरीक्षण, समय-समय पर गोदाम निरीक्षण, ऋण प्रस्तावों का समयोचित नवीकरण आदि) का कड़ाई से अनुपालन
3) ब्याज / किस्तों की समयोचित वसूली
4) शाखाओं में पर्याप्त संख्या में फील्ड स्टाफ की नियुक्ति
5) सरकारी एजेन्सियों से संपर्क बनाए रखना
6) विविध बैंकों के बीच ऋणियों के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान
7) योग्य प्रलेखीकरण
8) कन्ट्रोल रिटर्न्स के माध्यम से प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा शाखाओं के ऋण विभागों पर कड़ी निगरानी, और
9) खातों के अनियमित होने पर तुरन्त इन्हें पहचानकर आवश्यक कार्रवाई करना ।

एन.पी.ए. में कमी कैसे की जाए ?

1) "गैर-निष्पादक" आस्तियों को "निष्पादक" आस्तियों के रूप में लाकर (Upgradation Into Performing Assets) ;
2) वसूली ;
3) बट्टे खाते में डालना (Write off);
4) बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऋणी का रिकार्ड, ऋण की मूल राशि, धन की लागत और नकदी के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल का न्यूनतम दर, प्रतिभूतियों का बाज़ार मूल्य, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित समझौता व निपटान नीति निर्धारित करें ;
5) बैंकों को अपने स्टाफ के दायित्व के प्रति अधिक ध्यान देने के बजाय उचित वसूली नीति बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ;
6) बैंकों के निदेशक मंडलों (Board of Directors) को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए । निदेशक मंडल में सरकार और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए । केवल व्यावसायिक बैंकर को बैंक के अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए ।
7) भारतीय बैंक संघ द्वारा "साख सूचना ब्यूरो" स्थापित करने की भी आवश्यकता है, जिससे विभिन्न बैंकों द्वारा ऋणियों के संबंध में उपयोगी सूचनाओं का आपसी आदान-प्रदान किया जा सके ;
8) हमारी कानून प्रक्रियाओं में इरादतन चूककर्ताओं को उचित दंड देने के लिए आवश्यक सुधार किये जाने चाहिए ;
9) सभी राज्यों में राजस्व वसूली अधिनियमों को बैंकों की देय राशियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त उपायों में से "वसूली" सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । ऋणियों पर दबाव डालकर जितनी भी राशि वसूल की जा सके, उतनी वसूली करना बैंक के लिए लाभदायी है । इस प्रक्रिया में :

(i) वसूल की गई राशि को आय अर्जित करनेवाली अन्य आस्तियों में लगाया जा सकता है,

(ii) वसूली गई राशि के बराबर एन.पी.ए. में कमी होती है,

(iii) एन.पी.ए. में कमी होने से उस पर किए गए प्रावधान के प्रतिलेखन (Write-Back of Provision) के रूप में बैंक को लाभ होता है, और

(iv) बैंक को एन.पी.ए. खातों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने से बचाया जा सकता है, परिणामस्वरूप बैंक की लाभप्रदता में सुधार हो सकता है ।

अतः वसूली ही एन.पी.ए. कम करने का एक मात्र प्रभावी उपाय है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री. डी.पी. सारडा के अनुसार एन.पी.ए. कम करने के विविध कदमों को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है :-

एन.पी.ए. कम करने के विविध कदम

i) एन.पी.ए. की समस्या का शाखानुसार, राशि के अनुसार और उनकी आयु के अनुसार अध्ययन किया जाए,

ii) ऋण वसूली नीति और एन.पी.ए. कम करने की रणनीति बनायी जाए,

iii) क्षेत्रीय / आंचलिक / प्रधान कार्यालयों के स्तर पर विशेष वसूली कक्षों का गठन किया जाए,

iv) वसूली हेतु संकटपूर्ण (Critical) शाखाओं की पहचान की जाए,

v) वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये जाएं और समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए,

vi) प्रत्येक अनर्जक आस्ति की समस्या का समाधान करने के लिए यथायोग्य तकनीक का चयन किया जाए,

vii) समयबद्ध कार्ययोजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाए,

viii) कार्ययोजना की मानीटरिंग करते समय आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और मूल योजना में भी आवश्यक सुधार किया जाए ।

एन.पी.ए. में कमी करने के उद्देश्य से पिछले कुछ समय में उठाए गए कदम :

1) वित्त मंत्री महोदय ने अपने 2000-2001 के बजट में एन.पी.ए. की वसूली हेतु मुंबई में चार व दिल्ली, कलकत्ता तथा चेन्नै में एक-एक अतिरिक्त ऋण वसूली प्राधिकरण (Debt Recovery Tribunal) स्थापित करने की घोषणा की थी ;

2) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों द्वारा समझौता निपटान (Compromise Settlement) के रूप में बट्टे खाते डालने की राशि की सीमा बढ़ाकर रू. 50 लाख कर दी है ;

3) रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निपटान परामर्शदात्री समितियाँ (Settlement Advisory Committee) गठित करके उनके माध्यम से समझौता निपटान का सहारा लेने की अनुमति दी ;

4) केन्द्रीय केबिनेट ने ऋण वसूली प्राधिकरण अधिनियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों (Amendments) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिनमें निम्न प्रावधान शामिल हैं :-

क) चूककर्ता की संपत्ति शिकायत दर्ज करने के समय ही कुर्क (Attach) की जा सकती है (धारा 19[6]) ;

ख) एक ऋण वसूली प्राधिकरण से अन्य ऋण वसूली प्राधिकरण में मामलों को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकेगा ;

ग) प्राधिकरण के प्रमाणपत्र के आधार पर शासकीय ग्रहीता (Official Receiver) की डिक्री का निष्पादन करने के लिए प्रोसेसिंग अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा ।

5) रू. 10 लाख या अधिक राशि के चूककर्ता ऋणियों के नाम और ऋण वसूली प्राधिकरण के माध्यम से उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई के बारे में संसद भवन के ग्रंथालय में से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है ;

6) वित्त सचिव ने कुछ समय पूर्व घोषित किया था कि सरकार, बैंकों के निदेशक मंडलों में अधिक व्यावसायिकों को स्थान देने की योजना बना रही है और सरकार बैंकों के प्रबंधन से दूर रहना चाहती है ;

7) रिज़र्व बैंक ने रु. 10 करोड़ से कम राशिवाले बैंक ऋणों के संबंध में "एक बार निपटान (One Time Settlement)" के इच्छुक चूककर्ताओं के लिए ब्याज दर में मर्यादित रूप से रियायत देने का निर्णय लिया है । ऐसी राशि कुल अनर्जक परिसंपत्तियों के 80% के बराबर है ;

8) रू. 10 करोड़ से अधिक राशि के ऋण खातों की निगरानी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को स्वयं करनी होगी और संदिग्ध राशियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम (Rehabilitation Programme) तैयार करने होंगे ;

9) रिज़र्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दिया है कि वे ऋणियों से उनके द्वारा ऋण की अदायगी के संबंध में चूक होने पर उनके नाम प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त कर लें । इसके लिए ऋण प्रलेखों में आवश्यक सुधार किया जाएगा ;

10) वित्त मंत्री के साथ बैंकों के अध्यक्षों की बैठक में यह भी तय किया गया है कि ऋण वसूली प्राधिकरणों द्वारा सुनवाई के लिए बड़ी राशिवाले मामलों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।

एन.पी.ए. को कम करना बैंकों के लिए आवश्यक क्यों ?

देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इसी परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया था कि जिन बैंकों में एन.पी.ए. का स्तर 15% से कम होगा तथा जो पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रहे होंगे, उन्हीं बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी ।

पिछले कुछ समय से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को स्वायत्तता (Autonomy) प्रदान करने के लिए जो चार पूर्व शर्तें निश्चित की हैं, उनमें एन.पी.ए. का स्तर 9% से कम और पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त करना शामिल है । जो बैंक इन चार शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें ही भर्ती और पदोन्नति जैसे क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होगी । अतः स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भी एन.पी.ए. में कमी करना बैंकों के लिए आवश्यक है ।

पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों (Capital Adequacy Norms) के अनुसार बैंकों को मार्च-2000 तक 9% की पूँजी पर्याप्तता प्राप्त करनी थी । अगर कोई बैंक अपनी पूँजी के स्तर को जोखिम भारित आस्तियों (Risk Weighted Assets) के निश्चित प्रतिशत तक लाने में असफल होता है, तो पूँजी पर्याप्तता के निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि अर्जित लाभ के कुछ हिस्से को पूँजी के रूप में समाविष्ट किया जाए (Ploughing-Back of Profit) । यह केवल, तभी संभव हो सकता है, जब बैंक ने अच्छा लाभ अर्जित किया हो और अच्छा लाभ तब अर्जित हो सकता है, जब बैंक का एन.पी.ए. का स्तर काफी कम हो ।

"पूँजी खाते की परिवर्तनीयता (Capital Account - Convertibility)" पर गठित तारापोर समिति की सिफारिशों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर सन् 2000 तक 5% और सन् 2002 तक 3% लाने का लक्ष्य बनाया गया है । अतः पूँजी खातों की परिवर्तनीयता तब तक संभव नहीं है, जब तक बैंकिंग प्रणाली में एन.पी.ए. का स्तर न घटे ।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के बाद विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों के बाज़ार में प्रवेश ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया है । लाभप्रदता के क्षेत्र में ये बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बहुत आगे हैं, क्योंकि इन बैंकों के पास एन.पी.ए. का ढेर नहीं है । लाभप्रदता और एन.पी.ए. का प्रबंधन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । लाभप्रदता कम होने पर बैंकों के पास अपनी पूँजी में से एन.पी.ए. खातों पर प्रावधान करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है । ऐसे प्रावधानीकरण (Provisioning) के कारण भारतीय बैंकों की सारी पूँजी का क्षरण (Erosion) हो गया था । नरसिम्हम् समिति की दूसरी रिपोर्ट तथा एस. एच. खान कार्यकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के पश्चात बैंकिंग प्रणाली के समक्ष चुनौतियां अभी और भी बढ़ेंगी, जिससे वित्तीय रूप से कमजोर बैंक बंद भी हो सकते हैं । अतः बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एन.पी.ए. में कमी लाना अत्यावश्यक है ।

पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि बैंकों के पास संसाधनों (अर्थात् जमा राशियों) की कमी नहीं है, किन्तु जमाओं की तुलना में ऋण की विकास दर काफी कम बनी हुई है । अर्थतंत्र में ऋण की कम मांग के कई कारण हो सकते हैं । अगर बैंकों को अपनी लाभप्रदता बढ़ानी है, तो उन्हें न केवल

अधिकाधिक ऋण देना होगा, बल्कि आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऋणों की अधिकाधिक वसूली भी करनी होगी। ऋणों पर वसूल की गई ब्याज की राशि ही बैंकों की वास्तविक आय है। अतः लाभप्रदता की दृष्टि से ऋणों का विस्तार करना बैंकों के लिए आवश्यक है। साथ ही, इन ऋणों को "निष्पादक" कक्षा में बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

हाल ही में बैंकों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी मार्गरेखा घोषित की गई है, जिसके अनुसार केवल उन बैंकों को बीमा कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी जिनके एन.पी.ए. का स्तर कम होगा।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास मेमोरियल लेक्चर-1998 के दौरान अपने व्याख्यान में रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व उप-गवर्नर श्री एस. एस.तारापोर ने कहा था कि, "-----यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता के स्तर पर पहुँचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है। एक सामान्य तथा तत्काल सर्वमान्य नियम के रूप में, जिन बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां औसत के तिगुनी से अधिक हैं, उन्हें प्राधिकारियों की चिन्ता का कारण माना जा सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली की अनुत्पादक आस्तियां 3 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान समग्र आधार पर 5% तथा शुद्ध आधार पर 2.5% तक नीचे आ जायें। अनुत्पादक आस्तियों का इससे उच्च स्तर बैंकिंग प्रणाली की क्षमता को गंभीर रुप से क्षति पहुँचाएगा।"

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यदि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को 21 वीं सदी के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सफल होना है, तो उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनना ही होगा और वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए एन.पी.ए. में कमी करना सर्वाधिक आवश्यक है।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म - IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: तिमाही
3.	सम्पादक, प्रकाशक का नाम	: सी. आर. गोपालसुंदरम
	राष्ट्रीयता	: भारतीय
	पता	: बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई - 400 028.
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई - 400 028.

मैं, सी. आर. गोपालसुंदरम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक : 31 मार्च 2002

सी. आर. गोपालसुंदरम
प्रकाशक

<u>ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग</u>

विशिष्ट हौज़री/हथकरघों की वस्तुओं के लिए लघु उद्योग निवेश सीमा में वृद्धि

कृपया लघु/सहायक औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्लांट और मशीनरी पर निवेश सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी दिनांक 2 फरवरी 2000 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि/पीएलएनएफएस/बीसी.सं. 57/06.02.31/99-2000 का संदर्भ लें ।

2. हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार ने दिनांक 9 अक्तूबर 2001 की **राजपत्र अधिसूचना** में अधिसूचित किया है कि अधिसूचना के अनुबन्ध में विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण में औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में प्लांट और मशीनरी में निवेश सीमा को वर्तमान की 1 करोड़ रुपये की अनधिक सीमा से बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये से अनधिक कर दिया जाए । आप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु ऐसी लघु उद्योग इकाइयों को दिए गए बैंक अग्रिमों की गणना तदनुसार करें ।

3. संदर्भाधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम निर्माण मदों के अतिरिक्त अन्य मदों की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा इन मामलों में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा सरकार द्वारा जारी 24 दिसम्बर 1999 की पहली राजपत्र अधिसूचना में निर्दिष्ट किए अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी ।

4. भारत सरकार, लघु उद्योग और एआरआइ मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर 2001 के पत्र सं. 4(1) 2000-01 एसएसआइ बोर्ड एण्ड पॉलिसी तथा ऊपर उल्लिखित दिनांक 9 अक्तूबर 2001 की राजपत्र अधिसूचना की प्रति सहित संलग्न है ।

(संदर्भ सं.ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 41/06.02. 31/2001-02, दिनांक 26 नवंबर, 2001)

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

लघु उद्योग इकाइयां (एसएसआइ) औद्योगिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण और नाजुक हिस्सा होती हैं । यह तथ्य भारत सरकार ने भी स्वीकारा है और उन्होंने लघु उद्योग इकाइयों को उच्च प्राथमिकता दी है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी लघु उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दर्जा देते हुए बैंकों द्वारा उधार देने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न परिपत्र/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ।

2. लघु उद्योग इकाइयों के कार्य निष्पादन पर बहुत से आंतरिक और बाह्य कारण पर्याप्त दबाव डालते हैं जिसकी वजह से कई इकाइयां रुग्ण हो जाती हैं । आजकल, लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लघु उद्योग इकाइयां, जो रुग्ण के रुप में पहचानी गयी हैं, संभाव्य रूप से **अर्थक्षम** नहीं पायी गयी ।

3. इसके साथ-साथ और अन्य संबद्ध मामलों पर लघु उद्योग मंत्रियों के समूह ने दिनांक 16 अगस्त 2000 को आयोजित उनकी बैठक में इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक वर्तमान में रुग्ण और संभाव्य रुप से अर्थक्षम लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु एक संशोधित, विस्तृत, पारदर्शी और गैर मनमानी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करें । तदनुसार भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री एस. एस. कोहली की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास पर एक **कार्यकारी दल** का गठन नवंबर 2000 में किया गया । समूह ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों की पहचान और वर्गीकरण हेतु दिये गये मानदंडों में बदलाव सहित की गयी सभी मुख्य सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी हैं । संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारुप भारिबैं वेबसाइट पर भेजा गया और बैंकों, लघु उद्योग एसोसिएशन आदि से उनके अभिमत मंगाने के लिए परिचालित किया गया । कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम स्वरूप देते समय प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया ।

4. लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा, उनकी निगरानी, अर्थक्षमता के मानदंड, प्रारंभिक रुग्णता और संभाव्य रुप से अर्थक्षम इकाइयों के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता और राहत के विशिष्ट संदर्भ में, संशोधित मार्गदर्शी

सिद्धांतों का पूरा सेट संलग्न है । हालांकि, बड़ी, मध्यम और छोटी औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता बहुत से आम लक्षण दर्शाती हैं परंतु लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्णता का कोई भी प्रस्ताव, आंतरिक और साथ ही साथ बाहरी दबावों का मुकाबला न कर पाने में उन इकाइयों की संबंधित कमज़ोरी दर्शाता है । लघु उद्योग और अत्यंत लघु क्षेत्र इकाइयों के बीच के भेद तथा अत्यंत लघु जो क्षेत्र और **विकेंद्रीकृत** क्षेत्र इकाइयां, जिसमें कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग इकाइयां भी शामिल हैं, के बीच के भेद पर भी विचार किया गया है । अतः लघु उद्योग इकाइयों के मामले में पुनर्वास के प्रयासों के लिए प्रारंभिक रुग्णता के लक्षणों की शीघ्र पहचान, पर्याप्त और तीव्र राहत उपाय और इकाइयों के पुनर्वास हेतु ज्यादा समय देने के बजाय तत्परता पूर्वक उनके उपयोग पर जोर दिया गया है । तदनुसार, अनुबंध - I में दिये गये अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं । हमारे पहले के सभी परिपत्र और i) दिनांक 6 फरवरी 1987 का ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी.48/ एसआइयू. 20-87 ii) दिनांक 8 जून 1989 का ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस. बीसी. 122/ एसआइयू- 20/88-89 iii) दिनांक 8 जनवरी 1991 का ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस. बीसी. 69/ एसआइयू. 20/90-91 iv) दिनांक 1 जुलाई 1992 का ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी. 1/एसआइयू. 20/92-93 और v) दिनांक 13 फरवरी 1996 का ग्राआऋवि.सं. पीएलएनएफएस.बीसी. 90/06.04.01/95-96 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के स्थान पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रभावी समझा जाए ।

5. कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धांतों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ ही साथ रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास पर वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत तत्काल संदर्भ हेतु अनुबंध II में प्रस्तुत हैं ।

6. हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संभाव्य रुप से अर्थक्षम लघु उद्योग इकाइयों, जो पहले ही रुग्ण हो गयी हैं या रुग्ण होने वाली इकाइयों की समय पर और पर्याप्त सहायता, सिर्फ वित्तपोषण करनेवाले बैंकों की दृष्टि से ही परम आवश्यक नहीं हैं, बल्कि समग्र औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार निर्माण के प्रति इस क्षेत्र के अंशदान को देखते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए भी आवश्यक है । अतः बैंकों को लघु उद्योग क्षेत्र इकाइयों के पुनर्वास के लिए, सहानुभूतिपूर्वक रुख और प्रयास करने चाहिए, विशेषकर जहां रुग्णता उद्यमी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों की वजह से हुई हो । तथापि, बैंकों को शीघ्र ही उन इकाइयों के मामले में, जो पुनरुज्जीवन के लिए सक्षम नहीं हैं, समझौता करने के लिए प्रयास करने चाहिए और/या अन्य वसूली उपायों की सहायता लेनी चाहिए ।

(संदर्भ सं.ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.बीसी. 57/ 06.04.01/2001-02, दिनांक 16 जनवरी, 2002)

संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण - लघु उद्योग

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3 मार्च 2000 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि/पीएलएनएफएस/सं.बीसी. 65/06.02.31/ 1999-2000 देखें, जिसके अनुसार अत्यंत लघु क्षेत्र के लिए उधार खातों हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति लेने के लिए छूट सीमा 1 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. की गयी है ।

2. यह निर्णय किया गया है कि बढ़ायी गयी 5 लाख रु. की छूट के अंतर्गत सभी लघु उद्योग इकाइयों को लाभ दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र की ऋण उपलब्धि सुनिश्चित की जाए ।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वित करें और इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई हेतु अपने नियंत्रक कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें ।

(संदर्भ सं.ग्राआऋवि./पीएलएनएफएस.सं.बीसी. 58/ 06.02.80/2001-2002, दिनांक 23 जनवरी, 2002)

प्रेस संपर्क प्रभाग

रिज़र्व बैंक महात्मा गांधी श्रृंखला में 5 रुपये के नये नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी श्रृंखला में जलचिह्न में महात्मा गांधी के चित्र वाले 5 रुपये मूल्यवर्ग के नोट जारी करेगा ।

प्रमुख विशेषताएं

पांच रुपये के इस नोट का आकार 117 मि.मी. (लम्बाई) x 63 मि.मी. (चौड़ाई) बरकरार रखा गया है । इसमें अशोक स्तंभ जलचिह्न के बदले महात्मा गांधी का चित्र छाया-प्रकाश के प्रभाव के साथ होगा । जलचिह्न विंडो पर **बहुदिशात्मक** रेखाएं होंगी । नोट के भीतर “भारत” और “RBI” अक्षरों के साथ सुरक्षा धागा पूरी तरह पिरोया गया है । इस नोट का

डिज़ाइन, रंग योजना और अन्य सुरक्षा विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

अग्रभाग

नोट का मुद्रण ऑफसेट प्रक्रिया के साथ किया गया है । इस नोट की रंग-योजना मुख्यतः हरी है । अशोक स्तंभ के बदले महात्मा गांधी का चित्र गहरे हरे रंग में है तथा अशोक स्तंभ का स्थान बदल कर उसे नोट के बायीं तरफ निचले कोने में छोटे आकार में मुद्रित किया गया है । नोट पर भारतीय रिज़र्व बैंक की मुहर और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान के हस्ताक्षर होंगे । महात्मा गांधी के चित्र के पीछे 'RBI' शब्द सूक्ष्म अक्षरों में नज़र आयेगा ।

संख्याएं अग्रभाग पर दायीं ओर नीचे कोने में चमकीली लाल स्याही में दी गयी हैं । संख्या पटल में कोई भी इनसेट अक्षर नहीं है ।

पिछला भाग

इसकी केंद्रीय संकल्पना में देश की कृषि संपदा को दर्शाया गया है और एक किसान ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई करता दिखाया गया है । नोट का मूल्य बायीं ओर एक आड़े खंड में पंद्रह भाषाओं में नज़र आता है ।

इससे पहले बैंक द्वारा जारी 5 रुपये के नोट, जो चलन में हैं, **विधिसम्मत मुद्रा** बने रहेंगे ।

(प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/567, दिनांक 10 नवंबर, 2001)

<u>बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग</u>

मृत ग्राहकों की आस्तियां कानूनी उत्तरजीवियों / दावेदारों को जारी करना

14 मार्च 2000 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीसी.सं. 148/09.07.007/1999-2000 के अनुसार यह सूचित किया गया था कि यदि मृत जमाकर्ताओं के खाते में जमाराशि 25000/- रुपये से अधिक नहीं हो तो बैंकों को कानूनी वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं करना चाहिए । 6 दिसंबर 2000 के अपने परिपत्र बैंपविवि.बीसी. सं. 56/09.07.007/2000-2001 में हमने कतिपय सुरक्षा उपाय निर्धारित किये हैं, जिनके अनुसार बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में मृत जमाकर्ताओं के कानूनी वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांग सकते हैं :

- जहां विवाद हों और सभी कानूनी वारिस बैंक को छुटकारा देने (इंडेम्नीफाई करने) में एकमत नहीं होते हों ।
- बैंक को जमाकर्ता का / के दावेदार होने / एकमात्र दावेदार होने के संबंध में उचित संदेह हो ।

2. बैंक हमें यह अभिवेदन भेजते रहे हैं कि मृत ग्राहकों को अन्य आस्तियों, जैसे बैंकों में **सुरक्षित अभिरक्षा** में रखी वस्तुओं, अग्रिमों की जमानत पर रखी हुई, यदि कोई समायोजन हो तो समायोजन करने के बाद प्रतिभूतियों आदि के संबंध में दावों के निपटान के लिए इसी सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए ।

3. हमने भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के साथ परामर्श करके बैंकों के उक्त अभिवेदन की जांच की है और हम सूचित करते हैं कि 6 दिसंबर 2000 के हमारे परिपत्र में उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अधीन बैंक, मृत ग्राहकों की अन्य आस्तियां जारी करने के लिए कानूनी अभिवेदन का आग्रह न करें ।

(संदर्भ सं.बैंपविवि.बीसी.सं. 55/09.07.007/2001-2002, दिनांक 1 जनवरी, 2002)

बैंकों द्वारा निवेशों का मूल्यन

कृपया आप वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा का पैराग्राफ 39 देखें, जिसमें ब्याज दरों में गिरावट से उत्पन्न प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री पर प्राप्त किये गये लाभों के उपयोग के लिए अधिक कुशल नीति अपनाने और असंभावित गतिविधियों के कारण भविष्य में ब्याज दर में किसी भी संभावित प्रतिकूलता से बचाव के लिए पर्याप्त **प्रारक्षित निधि** निर्मित करने की आवश्यकता के संबंध में बैंकों को सावधान किया गया है । भविष्य में निवेश संबंधी मूल्यह्रास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रारक्षित निधि निर्मित करने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी प्रमुख वाणिज्य बैंकों के साथ किया था ।

2. 30 मार्च 1999 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. 24/21.04.048/99 के अनुसार बैंकों से कहा गया था कि वे निवेश संबंधी **मूल्यह्रास** के लिए पूंजी प्रारक्षित खाते की बजाय निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते के लिए अधिक प्रावधान का विनियोजन करें । बैंकों को निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते की राशि का उपयोग भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी अपेक्षित

मूल्यह्रास की पूर्ति के लिए करने की अनुमति दी गयी थी । प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ में पर्याप्त गिरावट के संदर्भ में बैंकों की स्थिति की समीक्षा प्रमुख वाणिज्य बैंकों के साथ परामर्श करके की गयी है और निम्नप्रकार सूचित किया जाता है :

i. बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ की अधिक से अधिक राशि निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते को अंतरित की जानी चाहिए ।

ii. उद्देश्य यह होना चाहिए कि निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ का अंतरण करके **निवेश-संविभाग** का कम से कम 5 प्रतिशत पांच वर्ष की अवधि में निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते में कर दिया जाये । परंतु बैंकों को स्वतंत्रता है कि वे निवेश संविभाग के 10 प्रतिशत तक का निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते का उच्चतर प्रतिशत निर्मित कर सकते हैं, जो उनके निवेश संविभाग के आकार और उसके संघटन पर निर्भर होगा और जो निदेशक मंडल की सहमति से होगा ।

iii. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के मूल्यन पर प्राप्त न हुए लाभ को आय खाते अथवा निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते में नहीं लिया जाता ।

iv. 16 अक्तूबर 2000 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 32/21.04.048/2001-2002 के अनुदेशों में संशोधन करके बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित अलग-अलग स्क्रिपें कम से कम तिमाही अंतराल पर बाज़ार के अनुसार (मार्क टु मार्केट) अवश्य होनी चाहिए ।

v. निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि, जिसमें निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ होते हैं, वर्तमान की तरह चरण-2 में शामिल किये जाने के पात्र होंगे ।

vi. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निवेश संविभाग संबंधी ब्याज दरों में परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करें । इस संबंध में 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. (एससी) बीसी. 98/21.04.103/99 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन सहित जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं । उसमें बैंकों से कहा गया है कि वे ब्याज दर जोखिम को मापने के लिए वीएआर और अवधि पद्धतियों की ओर एक निश्चित समय-सीमा में बढ़ें । बैंक इस दिशा में उचित उपाय करें ।

vii. 16 अक्तूबर 2000 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 32/21.04.048/2000-2001 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार **'रेखा से नीचे'** मद के रूप में निवेश संबंधी मूल्यह्रास की अपेक्षा को पूरा करने के लिए बैंकों को निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित खाते की शेष राशि को लाभ-हानि खाते को अंतरित करने की अनुमति दी गयी है, जो वर्तमान की तरह जारी रहेगी ।

3. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की समीक्षा बैंकों द्वारा प्राप्त अनुभवों तथा अन्य गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष बाद की जायेगी ।

(संदर्भ सं. बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 57/21.04.048/2001-2002, दिनांक 10 जनवरी, 2002)

आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 14 जून 2001 के हमारे परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 132/21.04.048/2000-2001 का पैराग्राफ 3(सी) (iii) देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) की गणना के लिए अधिक से अधिक दो छमाहियों के दो फसली मौसमों का मानदंड केवल उत्पादन और मौसमी कृषि फसलों, जैसे कि धान, गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि के विपणन के लिए अल्पावधि के कृषि ऋणों के बारे में ही लागू करें । उद्यान (बागवानी), फूलों की खेती अथवा पशुपालन, मुर्गीपालन जैसे अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण के संबंध में अनर्जक आस्तियों की पहचान उसी तरह की जाये, जैसे कि अन्य अग्रिमों के मामले में की जाती है ।

2. बैंकों से प्राप्त अभिवेदनों तथा बैंकों द्वारा व्यक्त की गयी कठिनाइयों की दृष्टि से इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि अधिक से अधिक दो छमाहियों के दो फसली मौसमों का चूक का उदार मानदंड, जो केवल अल्पावधि के कृषि ऋणों के लिए लागू है, अब उन सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के लिए लागू किया जाये जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण से संबंधित 1 अगस्त 2001 के मास्टर परिपत्र सं. आरपीसीडी. प्लान. बीसी. 12/04.09.01/2001-2002 की मद सं. 1.1, 1.1.2(i) से (vii) तक, 1.1.2(viii)(ए)(i) और 1.1.2(viii) (बी)(i) में सूचीबद्ध हैं । इन मदों की सूची का अंश अनुबंध में दिया गया है । कृषि ऋणों तथा ऊपर निर्दिष्ट अन्य ऋणों के संबंध में अनर्जक आस्तियों की पहचान उसी आधार पर की जायेगी, जैसे कि कृषि से इतर अग्रिमों के लिए

की जाती है, जो वर्तमान में 180 दिन की चूक का मानदंड है ।

अनुबंध

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों से संबंधित मास्टर परिपत्र से प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की सूची का प्रासंगिक अंश - 1 अगस्त 2001 का आरपीसीडी.प्लान. बीसी. 12/04.09.01/2001-02

1.1 कृषि प्रयोजनों के लिए किसानों को सीधे वित्तपोषण

1.1.1 फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण, अर्थात् फसल ऋणों के लिए । इसके अतिरिक्त 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी / **दृष्टिबंधक** रखकर उन किसानों को 1 लाख रुपये तक के अग्रिम प्रदान किये जाते हैं, जिन्हें फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिये गये थे, लेकिन शर्त यह है कि उधारकर्ता किसी एक ही बैंक से ऋण ले ।

1.1.2 मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण (किसानों को उनकी उत्पादन एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए सीधे दिया जाता है ।)

(i) कृषि औजारों और मशीनों की खरीद

(क) कृषि औजारों की खरीद : लोहे के हल, हैरो, होज़, भूमि समतलक, मेड़ बनाने वाले औजार, हाथ के औजार, छिड़काव यंत्र, झाड़न, पुवाल का गट्ठर बनाने वाले यंत्र, गन्ना पेरनेवाली मशीन, थ्रेशर मशीन, आदि ।

(ख) खेती के लिए मशीनों की खरीद : ट्रैक्टर, ट्रेलर, विद्युतचालित हल, ट्रैक्टर के सहायक उपकरण यथा डिस्क हल आदि ।

(ग) ट्रक, मिनी ट्रक, जीप, पिक-अप वैन, बैलगाड़ियां और अन्य परिवहन उपकरणों आदि की खरीद, जिनसे कृषि संबंधी निवेश वस्तुओं और खेती की उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा / लाया जा सके ।

(घ) कृषि **निविष्टियों** और उत्पादों का परिवहन (ढुलाई) ।

(ड.) हल जोतने के लिए पशुओं की खरीद ।

(ii) निम्नलिखित के जरिये सिंचाई संभावना का विकास

(क) उथले और गहरे नलकूपों, तालाबों आदि का निर्माण और ड्रिलिंग मशीनों की खरीद ।

(ख) सतही कुओं का निर्माण, उन्हें गहरा करना और साफ करना, कुओं की खुदाई, कुओं का विद्युतीकरण, ऑयल इंजिन की खरीद और बिजली के मोटर और पंप लगाना ।

(ग) टर्बाइन पंपों की खरीद और उन्हें लगाना, खेतों में नालियों का निर्माण (खुली और भूमिगत) आदि ।

(घ) उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण ।

(ङ) छिड़काव वाली सिंचाई प्रणाली लगाना ।

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जानेवाले पंपसेटों को बिजली से चलाने के लिए जनरेटर / सेटों की खरीद ।

(iii) भूमि सुधार और भूमि विकास संबंधी योजनाएं :

खेतों में मेड़ बनाना, भूमि को समतल करना, टेरेसिंग, धान उगानेवाले सूखे खेतों को नम सिंचाई वाले खेतों में बदलना, बंजर भूमि विकास, खेतों से पानी निकालने के लिए नालियां बनाना, खेतों की मिट्टी का सुधार और लवणता की रोकथाम, गड्ढों को भरना, बुलडोज़रों की खरीद आदि ।

(iv) कृषि फार्म के लिए भवनों और ढांचों आदि का निर्माण

बैलों को बांधने के लिए शेड, औजारों को रखने के लिए शेड, ट्रैक्टर और ट्रकों को रखने के लिए शेड, कृषि-फार्म के लिए भंडार आदि ।

(v) भंडार संबंधी सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना

भंडार घरों, गोदामों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और उन्हें चलाना ।

(vi) फसलों के **संकर बीजों** का उत्पादन और संसाधन

(vii) सिंचाई प्रभारों, आदि का भुगतान

कुओं और नलकूपों से भाड़े पर पानी लेने के लिए प्रभार, नहर जल प्रभार (आबपाशी), आयल इंजनों और विद्युत-मोटरों का रखरखाव, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान, बिजली के लिए प्रभार, किराये पर यंत्र देनेवाली सेवा इकाइयों को सेवा-प्रभार, विकास संबंधी उप कर का भुगतान आदि ।

(viii) किसानों को किये गये अन्य प्रकार के सीधे वित्तपोषण

(क) अल्पावधि ऋण

1. पारंपरिक / गैर-पारंपरिक बागानों एवं उद्यानों को

(ख) मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण

1. सभी प्रकार के बागानों, बागबानियों, वन उद्योग, आदि

के लिए विकास ऋण।

(संदर्भ सं. बैंपविवि.बीपी.बीसी. 59/21.04.048/2001-2002, दिनांक 22 जनवरी, 2002)

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्व्यवस्थित खातों के लिए दिशा-निर्देश

जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक ने **पुनर्व्यवस्थित खातों** के व्यवहार के संबंध में हमारे 30 मार्च 2001 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 98/21.04.048/2000-01 द्वारा विस्तृत अनुदेश जारी किये थे। परिपत्र के पैरा 8 के अनुसार "पुनर्व्यवस्थित आदि किये जाने वाले और पैराग्राफ 4 के अंतर्गत आने वाले सभी मानक और अवमानक खाते ऋणदाताओं द्वारा उनके सामान्य नीतिगत मानदंडों और पात्रता मानकों के अनुसार निधि की आवश्यकताओं के नये वित्तपोषण के लिए पात्र बने रहेंगे।" हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ कंपनियां विपरीत वित्तीय स्थिति से गुज़र रही हैं और उनके उद्योग खंड, जैसे कि वस्त्र, में मंदी के कारण उनके खाते अवमानक श्रेणी में बदल रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान किये जाने के बावजूद सूचना मिली है कि बैंक आगे वित्त प्रदान करने में झिझकते हैं, यद्यपि मामले के गुणदोषों के आधार पर उसे उचित समझा गया है। समाचार पत्रों में यह भी छपा है कि इस प्रकार का वित्त मना करना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 9 जनवरी 2002 के उसके परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 56/21.04.048/2001-02 में दिये गये अनुदेशों के कारण है। उक्त परिपत्र में बैंकों से कहा गया है कि बैंकों / वित्तीय कंपनियों के संबंध में जिन कंपनियों / संस्थाओं ने चूक की है उनके डिबेंचरों, बांडों, शेयरों आदि में **अभिदान** करते समय पूरा एहतियात बरतें।

इस संबंध में, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बैंक / वित्तीय संस्थाएं उन कंपनियों में ऐसे निवेश के प्रस्तावों से इनकार न करें जिनके निदेशक के नाम रिज़र्व बैंक द्वारा आवधिक अन्तराल पर परिचालित चूककर्ता कंपनियों की सूची में हों और खास तौर से उनके ऋण खातों के संदर्भ में जिन्हें रिज़र्व बैंक के 30 मार्च 2001 के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थित किया गया है, परन्तु शर्त यह है कि प्रस्ताव व्यवहार्य हो और इस प्रकार ऋण प्रदान करने के लिए सभी मापदंडों को पूरा करता हो।

(संदर्भ सं. बैंपविवि.बीपी.बीसी. 61/21.04.048/2001-02, दिनांक 25 जनवरी, 2002)

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

वस्तु और सेवाओं का निर्यात साफ्टेक्स फार्मों का प्रमाणीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 2 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा 36/2001-आरबी द्वारा यथा संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000 आरबी के विनियम 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय साफ्टवेअर प्रौद्योगिकी पार्को (एसटीपीआइ) और मुक्त व्यापार जोन (एफटीजेड) अथवा निर्यात प्रोसेसिंग जोन (ईपीजेड) और विशेष आर्थिक जोन पर भारत सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों को एटीपीआइ/ईपीजेड/एसइजेड में स्थित इकाईयों द्वारा साफ्टेक्स फार्मों में घोषित निर्यातों को प्रमाणित करने के लिए अधिकार दिये गये हैं। निर्यात आयात नीति के अनुसार एसटीपीआइ/ईपीजेड/एसईजेड के प्राधिकृत अधिकारी ईओयु के संबंध में भी साफ्टेक्स फार्मों को प्रमाणित करेंगे जो उनके पास पंजीकृत हैं। तदनुसार ईओयु साफ्टवेअर निर्यातकों को उन एसटीपीआइ/ईपीजेड/एसईजेड के प्राधिकृत अधिकारियों जिनके यहाँ वे पंजीकृत है, साफ्टेक्स फार्मों पर साफ्टवेअर निर्यातों के प्रमाणीकरण हेतु संपर्क करना होगा।

2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें।

3. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किये गये हैं।

(संदर्भ सं.ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 9, दिनांक 25 अक्तूबर, 2001)

एशियन समाशोधन संघ (एसीयु) तंत्र - नेपाल को निर्यात

जैसा कि प्राधिकृत व्यापारियों को मालूम है कि दिनांक 3 मई 2000 की रिज़र्व बैंक अधिसूचनाएं सं. 14/आरबी - 2000 और फेमा 17 / आरबी-2000 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति और नेपाल में निवासी व्यक्ति के बीच सभी व्यापार लेनदेन के भुगतान रुपयों में किये जायें। अब यह

निर्णय लिया गया है कि नेपाल को वस्तुओं के निर्यात के मामले में जहाँ नेपाल में निवासी निर्यातक को नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा वैकल्पिक विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति दी गई है, ऐसे भुगतान एशियन समाशोधन संघ तंत्र के जरिए भेज देना चाहिए ।

2. ज्ञापन एसीएम में परिणामस्वरुप परिवर्तनों को यथासमय सूचित किया जायेगा ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए हैं ।

(संदर्भ सं.ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 10, दिनांक 1 नवम्बर, 2001)

विदेशी यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा जारी करना - करेन्सी घटक

प्राधिकृत व्यापारियों के साथ-साथ संपूर्ण **मुद्रा परिवर्तकों** को ईराक, लीबिया, ईस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और अदर रिपब्लिक्स् ऑफ कामनवेल्थ ऑफ इन्डेपेन्डेन्ट स्टेटस् के अलावा अन्य देशों को जानेवाले यात्रियों को विदेशी करेन्सी नोटों और सिक्कों के रुप में 500 अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा बेचने की अनुमति दी गई है । अब इन देशों को जानेवाले यात्रियों को भारतीय रिज़र्व बैंक से बिना पूर्व अनुमति इस सीमा को 2,000 अमेरिकी डालर (दो हजार अमेरिकी डालर मात्र) तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । प्राधिकृत व्यापारी और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक तदनुसार उन्हें जारी समग्र विदेशी मुद्रा में से 2000 अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष तक विदेशी करेन्सी नोटों/सिक्कों के रुप में विदेशी मुद्रा बेच सकेंगे ।

2. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

3. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किये गये है ।

(संदर्भ सं. ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 11, ए.पी. (एफएल सीरिज) परिपत्र सं. 1, दिनांक 13 नवम्बर, 2001)

विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद/ अर्जन हेतु अनुमति - स्पष्टीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 28 अप्रैल 2001 के ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 32 के पैरा 2 के मद (ङ) की ओर आकृष्ट किया जाता है । समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 3 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी के विनियम 19 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गई है कि वे भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को, व्यक्तिगत की हैसियत से, विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, जो विदेशी कंपनी के भारत में किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा भारत में विदेशी कंपनी अथवा किसी सहायक कंपनी का कर्मचारी अथवा निदेशक है जिसमें विदेशी ईक्विटी धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है बशर्ते शेयरों का ऑफर रियायती मूल्य पर किया गया हो । विनियम 19 के उप-पैरा (2) में यथा परिभाषित पात्र निवासियों को प्रति कैलेण्डर वर्ष 20,000 अमेरिकन डालर अथवा उसके समकक्ष तक विप्रेषण की अनुमति दी गई है, बशर्ते शेयरों का ऑफर रियायती के रुप में किया गया हो ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अंतर्गत शेयरों के मूल्य में ऑफर किये जानेवाले रियायती शेयरों को जारी करनेवाली विदेशी कंपनी अथवा उसकी भारतीय शाखा/कार्यालय/सहायक अथवा भारत में कंपनी जिसकी विदेशी ईक्विटी शेयर धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है, द्वारा वहन करना होगा ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अधीन जारी किये गये हैं ।

(संदर्भ सं.ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 16, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001)

विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों को मालूम है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रारंभ के साथ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के अधीन विहित कतिपय विवरणियां दीर्घकाल तक प्रासंगिक नहीं हैं । हमने स्थिति की

समीक्षा की है और निम्नानुसार सूचित करते हैं :

1. वार्षिक विवरणियां

फेमा के प्रारंभ से भारत में निवासी व्यक्तियों को उनके द्वारा या तो रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति या विशेष अनुमति के अनुसार धारित विदेशी आस्तियों के सभी प्रकारों के मामले में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जहां रिज़र्व बैंक ने आस्तियों के अर्जन हेतु साथ ही साथ उसकी बिक्री के लिए विशिष्ट अनुमति प्रदान की है और विवरणी का प्रस्तुतीकरण अनुमति के शर्तों में से एक है तो आवेदक को अनुमति में विहित के अनुसार विदेशी आस्तियों के पूर्ण ब्यौरों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. फार्म सीआइआर में विवरण

भूतपूर्व विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैन्युअल (ईसीएम) के पैरा 10सी 24ए(iii) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों के नामोद्दिष्ट शाखाओं को अनिवासी भारतीयों को दिये गये विप्रेषण या अनिवासी विदेशी / विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों को / में किये गये जमाओं के संबंधित ब्यौरों को देते हुए फार्म सीआइआर में एक अर्ध वार्षिकी विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को अर्धवर्ष के आगामी माह के 15 प्रतिशत तक, जिससे वह संबंधित है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। फेमा, 1999 की धारा 5 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के दृष्टिकोण से प्राधिकृत व्यापारियों को फार्म सीआइआर में विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

3. फार्म एसपीजी और एसपीएम में विवरण

फेमा 1999 के प्रारंभ से दिनांक 16 मई 2000 के ए डी (एम ए सीरिज) परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध 1 के पैरा 7 (v) और 8 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वयं विप्रेषण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के सत्यापन के पश्चात एअरलाइन/ शिपिंग कंपनियों द्वारा जमा की गई बेशी भाड़ा/टिकट भाड़ा के विप्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं। अतः एअरलाइन/शिपिंग कंपनियों को फार्म एसपीजी और एसपीएम में विवरणों को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

4. फार्म डीबीएस में विवरण

डिप्लोमेटिक बान्ड स्टोअर्स अकाउन्ट रद्द किये जाने के कारण प्राधिकृत व्यापारियों को डीबीएस विवरण [कृपया देखें ईसी (1993 संस्करण)] के पैरा 11 बी.5 (ई) क] रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें।

6. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं।

(संदर्भ सं.ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 17, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001)

विदेशी प्रतिभूतियों को अभिधारित करने के लिए लाइसेंस जारी करना

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत भारत में निवासी व्यक्तियों को विदेशी प्रतिभूतियों के **अधिग्रहण** हेतु धारण लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक था। तथापि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत धारण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निवासियों पर कोई दायित्व नहीं होगा।

2. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में निवासी व्यक्ति को विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए कोई धारण लाइसेंस रिज़र्व बैंक से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 के विनियम 4 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति को विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए बोनस शेयरों के अधिग्रहण शामिल कतिपय मामलों में सामान्य अनुमति दी गई है। सामान्य अनुमति उक्त अधिसूचना के विनियम 19(1) द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा कतिपय मामलों में जैसा कि भारत के बाहर रहनेवाले किसी निवासी व्यक्ति से उपहारों / उत्तराधिकार के साथ ही साथ नकदरहित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के जरिए विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद / अधिग्रहण के लिए भी प्रदान की जाती है। तथापि अन्य सभी मामलों में, जो सामान्य या विशेष अनुमति को पूरा नहीं करते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति विदेशी प्रतिभूति के अधिग्रहण के पहले प्राप्त की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की पुर्वानुमति अर्हता शेयरों, अधिकार शेयरों आदि जैसे विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण हेतु उक्त अधिसूचना के विनियम 21 के अनुसार आवश्यक है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं ।

(संदर्भ सं.ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 18, दिनांक 18 दिसम्बर, 2001)

<u>शहरी बैंक विभाग</u>

शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्तपोषण प्रदान करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19 अप्रैल 2001 का हमारा परिपत्र सं.डीएस. पीसीबी.परि. 41/13.05.00/2001-2002 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को व्यक्तियों और अन्य किसी संस्था को शेयरों की जमानत पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से उधार देने के नये प्रस्तावों को स्वीकार करने से मना किया गया है और यह सूचित भी किया गया है कि व्यक्तियों को स्वीकार्य राशि तक पहले ही वितरित किए गए ऐसे ऋण **संविदाकृत तारीख** तक ही बने रहेंगे । शहरी सहकारी बैंकों और उनके फेडरेशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मामले की समीक्षा करके अब यह निश्चय किया है कि शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की अनुमति दी जाए ;

(i) शेयरों / डिबेंचरों की प्राथमिक / **संपार्श्विक जमानत** पर दिये जाने वाले ऋण, यदि प्रतिभूति प्रत्यक्ष रुप में प्रस्तुत की गई हो तो 5 लाख रुपये तक और यदि प्रतिभूति डिमेट फार्म में हो तो 10 लाख रुपये तक सीमित होंगे । ऐसे ऋणों की सकल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधि के 20 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए । ऐसे सभी ऋणों पर 40 प्रतिशत की मार्जिन बनाए रखनी होगी ।

(ii) यह आवश्यक है कि शेयरों को जमानत के रुप में स्वीकार करने से पहले शहरी सहकारी बैंकों को यथोचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनानी चाहिए । सभी अनुमोदित ऋण प्रस्तावों को कम से कम दो महीनों में एक बार बैंक की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए । बैंक के प्रबंधतंत्र और लेखा-परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों की जमानत पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऋण दिए जाएं जो शेयर - दलाली की गतिविधियों अथवा शेयरों की दलाली करने वाली किसी संस्था से किसी भी तरह से जुड़े न हों । स्वीकृत किए गए ऋणों का ब्यौरा बोर्ड की निकट भविष्य में होनेवाली बैठक में बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए ।

(iii) जिन शहरी सहकारी बैंकों में व्यक्तियों को दिए गए ऋण बकाया रहे हों वे गुणों-अवगुणों के आधार पर उन ऋणों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदाकृत तारीख से आगे ऊपर (i) पर बताई गई सीमा तक नवीकृत कर सकते हैं ।

(iv) शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किसी भी परिस्थिति में न तो प्राथमिक बाजार में और न ही **द्वितीयक बाजार** में सीधे निवेश किया जाता है ।

2. शहरी सहकारी बैंक शेयरों की जमानत पर दिए गए बकाया ऋणों की सूचना संलग्न फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देना जारी रखेंगे जिसके क्षेत्राधिकार में वे कार्य कर रहे हैं ।

3. शेयरों ओर डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्तपोषण के बारे में दिनांक 27 नवंबर 1998 के हमारे परिपत्र सं.डीएस. पीसीबी.परि. 10/13.05.00/1998-1999 और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आइपीओ) के संबंध में दिनांक 19 अप्रैल 2001 के परिपत्र सं.डीएस.पीसीबी.परि. 41/13.05.00/2000-2001 की सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(संदर्भ सं. शबैविडीएस.पीसीबी.परि. 16/13.05.00/2001-2002, दिनांक 22 अक्तूबर, 2001)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों को यथालागू) की धारा 24- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश

कृपया दिनांक 19 अप्रैल 2001 का हमारा परिपत्र शबैवि.बीआर.सं. 42/16.26.00/2000-01 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को मार्च 2002 के अंत तक शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रुप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर निवेश का निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेना था । अब यह निर्णय किया गया है कि सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर निवेश के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने की समय-सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए ।

शहरी सहकारी बैंकों का एसएलआर निवेश : संशोधित समय-सीमा

श.सह. बैंकों की श्रेणी	शुद्ध मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में न्यूनतम एसएलआर निवेश			
	वर्तमान	31 मार्च 2002 के लिए पहले प्रस्तावित	31 मार्च 2002 के लिए अब प्रस्तावित	30 सितंबर 2002 के लिए अब प्रस्तावित
1) गैर-अनुसूचित श. स. बैंक				
क) 25 करोड़ रुपये और उससे अधिक एनडीटीएल वाले बैंक	10.0%	15.0%	12.5%	15.0%
ख) 25 करोड़ से कम एनडीटीएल वाले बैंक	कुछ नहीं	10.0%	7.5%	10.0%
2) अनुसूचित श.स. बैंक	15.0%	20.0%	17.0%	20.0%

इसके अलावा, यह अपेक्षा कि 1 अप्रैल 2003 से सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शुद्ध मांग और सावधि देयताओं की 25.0 प्रतिशत अपनी एसएलआर आस्तियां सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में ही बनाए रखेंगे, अपरिवर्तित रहेगी ।

3. यह संभव है कि उक्त श्रेणियों के कई बैंकों ने मार्च 2002 के अंत तक के लिए अथवा सितंबर 2002 के अंत तक के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर ली हो अथवा वे लक्ष्य के आसपास रहे हों । ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि ऊपर बताए गए अनुसार समय-सीमा में संशोधन हो जाने के बावजूद, वे अपनी शुद्ध मांग और सावधि देयताओं के अनुपात के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर निवेश के मौजूदा स्तर को कम न करें ।

(संदर्भ सं. शबैवि बीआर.परि. 19/16.26.00/2001-2002, दिनांक 22 अक्तूबर, 2001)

बैंक दर में परिवर्तन

दिनांक 1 मार्च 2001 के हमारे परिपत्र सं.बीआर. पीसीबी.परि. 33ए/16.11.00/2000-2001 के अनुसार बैंक दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 7.0 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई थी । अब यह निर्णय लिया गया है कि 22 अक्तूबर 2001 को कामकाज की समाप्ति से बैंक दर 7.0% वार्षिक से 0.5 प्रतिशत बिन्दु घटाकर 6.5% वार्षिक की जाए ।

2. तदनुसार निर्यात ऋणों तथा लघु उद्योग ऋणों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये पुनर्वित्त पर ब्याज दर एवं प्रारक्षित अपेक्षाओं को बनाए रखने में कम रहनेवाली राशि पर भी दण्डात्मक ब्याज दर संशोधित हो गयी है । ब्यौरा इस प्रकार है :

	मौजूदा दर	**संशोधित दर**
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए जानेवाले अग्रिमों पर ब्याज दर		
(क) निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा	बैंक दर (7.0)	बैंक दर (6.5)
(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित धारा 17(2) (खख) के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए पुनर्वित्त सुविधा	बैंक दर (7.0)	बैंक दर (6.5)
2. प्रारक्षित अपेक्षाओं में कम रहने वाली राशि पर, चूक अवधि के अनुसार, लगनेवाली दण्डात्मक ब्याज दर	बैंक दर अर्थात 7.0 % +3 प्रतिशत बिंदु (10.0) या बैंक दर +5 प्रतिशत बिंदु (12.0)	बैंक दर अर्थात 6.5% + 3 प्रतिशत बिंदु (9.5) या बैंक दर +5 प्रतिशत बिंदु (11.5)

(संदर्भ सं. शबैवि बीआर.पीसीबी.परि. 20/16.11.00/2000-2001, दिनांक 22 अक्तूबर, 2001)

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

1. पुनर्व्यवस्थित खातों का व्यवहार

9 फरवरी 1993 के हमारे परिपत्र शबैंवि.सं. आइएण्डएल. 38/जे. 1-92/93 के पैरा II के अनुसार जहां ब्याज और मूलधन के संबंध में ऋण करार की शर्तें उत्पादन शुरू होने के बाद बातचीत से पुनः तय की गयी हैं या पुनः निर्धारित की गयी हैं वहां उस खाते को **अवमानक** के रुप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उसे बातचीत से पुनः तय या पुनः निर्धारित शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन के

कम से कम दो वर्ष के लिए ऐसी श्रेणी में बने रहना चाहिए। अवमानक और संदिग्ध आस्तियों के मामले में भी पुनः निर्धारण किसी बैंक को अग्रिम की गुणवत्ता का दर्जा स्वतः बढ़ाने के लिए तब तक पात्रता प्रदान नहीं करता जब तक कि पुनः निर्धारित / बातचीत से पुनः तय शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन न हो। तथापि, इस बात पर विचार करते हुए कि युनिट में यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन शुरु हो गया है, फिर भी परियोजना की पूर्णता के तुरंत बाद तैयार किए गए उत्पादन का स्तर और उसकी मात्रा प्रायः उतनी पर्याप्त नहीं होती कि उससे ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह निर्मित किया जा सके और यह भी कि उत्पादन को स्थिर करने में थोड़ी समय-सीमा की आवश्यकता होगी, अपने दिनांक 28 जुलाई 1999 के परिपत्र शबैंवि.सं.बीएसडी. 12/12.05.05/1999-2000 के अनुसार हमने यह निर्णय किया है कि मामले को संबंधित बैंक के निदेशक मंडल पर छोड़ दिया जाए क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख वित्तपोषक बैंक ही करता है और वही इस बात का सही-सही पता लगा सकता है कि क्या युनिट ने अपने वाणिज्यिक उत्पादन को स्थिर कर लिया है और ऋण को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है या नहीं। इन बातों के परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा की गयी है और निर्णय किया गया है कि **मानक और अवमानक ऋण आस्तियों की शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करने / पुनर्निर्धारित करने / बातचीत से पुनः तय करने से संबंधित मानदंडों में नीचे के पैराग्राफों में दिये गये ब्यौरों के अनुसार कतिपय परिवर्तन किये जायें।**

2. खातों की पुनर्व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित अवस्थाओं की पहचान की जा सकती है, जिनमें ऋण करार की शर्तों को पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / बातचीत से पुनः तय किया जा सकता है :

(क) वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने के पूर्व,

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने के बाद, परंतु आस्ति के अवमानक आस्ति के रुप में वर्गीकृत किये जाने से पहले,

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने के बाद तथा जब आस्ति को अवमानक आस्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया हो।

ऊपर बतायी गयी तीनों अवस्थाओं में से प्रत्येक में तैयार किये गये पुनर्व्यवस्थित करने के पैकेज के भाग के रुप में परित्याग सहित या परित्याग के बिना मूलधन और / या ब्याज का पुनर्निर्धारण आदि किया जा सकता है।

3. खातों का विवेकपूर्ण व्यवहार, शर्तों की पुनर्व्यवस्था / पुनर्निर्धारण / बातचीत द्वारा पुनः तय किये जाने के अधीन, निम्नलिखित मानदण्डों द्वारा शासित होगा :

3.1 पुनर्व्यवस्थित मानक खातों का व्यवहार

(क) पहली दोनों अवस्थाओं में से किसी अवस्था में सिर्फ मूल धन की किस्तों को पुनर्व्यवस्थित किये जाने से एक मानक आस्ति को अवमानक आस्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा, बशर्ते उधार / ऋण की सुविधा पूर्णतः जमानतयुक्त हो।

(ख) ऊपर बतायी गयी पहली दो अवस्थाओं में किसी अवस्था में ब्याज को पुनर्व्यवस्थित किये जाने से किसी आस्ति का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में नहीं लाया जायेगा, बशर्ते ब्याज के मामले में परित्याग की राशि को, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाल दिया गया हो या उसके परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया गया हो।

3.2 पुनर्व्यवस्थित अवमानक खातों का व्यवहार

(क) मूलधन की किस्तों का ही पुनर्निर्धारण किये जाने मात्र से अवमानक आस्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहने के लिए पात्र होगी, बशर्ते उधार / ऋण की सुविधा पूर्णतः जमानतयुक्त हो।

(ख) ब्याज का पुनर्निर्धारण किये जाने से अवमानक आस्ति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र बनी रहेगी, बशर्ते ब्याज के मामले में त्याग की राशि, यदि कोई हो, या तो बट्टे खाते डाल दी गयी हो या उसके परित्याग की मात्रा तक के लिए प्रावधान किया गया हो।

उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित जिन अवमानक खातों को मूल किस्त अथवा ब्याज की राशि के संबंध में से किसी भी रुप में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् ब्याज अथवा मूलधन में से जो भी पहले देय हो, उसके भुगतान की तारीख से एक वर्ष के बाद ही उक्त अवधि के दौरान संतोषजनक निष्पादन होने पर मानक श्रेणी में उन्नत किये जाने के पात्र होंगे। पहले किये गये प्रावधान की राशि में से ब्याज की राशि के परित्याग के लिए प्रावधान की गयी राशि को घटाने के बाद बची राशि को भी एक वर्ष की अवधि के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

यदि इस एक वर्ष की अवधि के दौरान उक्त खाते का

कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहता है तो इस अवधि में उक्त अवमानक आस्ति का स्तर अपने वर्गीकरण में कम नहीं होगा। तथापि, यदि उक्त एक वर्ष के दौरान संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रकट नहीं होता है तो उक्त पुनर्व्यवस्थित खाते का आस्ति वर्गीकरण पूर्व पुनर्व्यवस्थित अनुसूची के संदर्भ में यथा लागू विवेकसम्मत मानदंडों के द्वारा शासित होगा।

4. किन पर लागू होंगे

4.1 पुनर्व्यवस्थित करने आदि के पूर्ववर्ती मानदंड ऐसी आस्तियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक वर्तमान मानदंडों के अधिक्रमण में जहां तक वे ऋण करार की शर्तों की पुनर्व्यवस्था / पुनर्निर्धारण / बातचीत से पुनः तय करने से संबंधित है, केवल मानक और अवमानक आस्तियों पर लागू होंगे। आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित अन्य विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

4.2 मानदंडों में पूर्ववर्ती परिवर्तन केवल उन मानक और अवमानक खातों पर ही लागू होंगे, जिनकी शर्तों को इन अनुदेशों को जारी करने की तारीख के बाद पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / बातचीत से पुनः तय किया जाना है। तथापि, बैंकों को उन मानक और अवमानक खातों के लिए पूर्ववर्ती मानदंडों को अपनाने का विकल्प होगा जिनकी शर्तों को इन अनुदेशों के जारी किए जाने से पूर्व लेकिन वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / बातचीत से पुनः तय किया गया है।

4.3 उक्त अनुदेश औद्योगिक इकाइयों को दी गई **कार्यशील पूंजी** सीमाओं सहित सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं के लिए लागू होंगे, बशर्ते कि गोचर जमानत द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हों।

4.4 चूंकि व्यापार में केवल पण्यों की खरीद और बिक्री शामिल है और निर्माता इकाइयों के सामने आने वाली वाणिज्यिक उत्पादन, समय और लागत बढ़ने आदि अड़चनों जैसी समस्यायें उन पर लागू नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों को दी गयी ऋण सुविधाओं की पुनर्व्यवस्था / चुकौती के पुनर्निर्धारित कार्यक्रम पर ये दिशा-निर्देश लागू नहीं किये जाने चाहिए।

4.5 जिन ऋणों को पुनर्व्यवस्थित / चुकौती कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जा रहा हो उन ऋण सुविधाओं के लिए कितनी सुरक्षा उपलब्ध है, इसका निर्धारण करते समय संपार्श्विक जमानत को भी हिसाब में लिया जायेगा, बशर्ते इस प्रकार की संपार्श्विक जमानत गोचर जमानत हो और बैंक के पक्ष में उचित रुप से प्रभारित हो तथा प्रवर्तक / अन्य की गारंटी जैसे अगोचर रुप में न हो।

5. सामान्य

पुनर्व्यवस्थित आदि किये जाने वाले और उक्त पैराग्राफ 3 के अंतर्गत आने वाले सभी मानक और अवमानक खाते ऋणदाताओं द्वारा उनके सामान्य नीतिगत मानदंडों और पात्रता मानकों के अनुसार निधि की आवश्यकताओं के नये वित्तपोषण के लिए पात्र बने रहेंगे।

(संदर्भ सं. शबैवि बीएसडी.I सं. 22/12.05.05/2001-2002, दिनांक 12 नवंबर, 2001)

प्रयुक्त शब्दावली

राजपत्र अधिसूचना	Gazette Notification
अर्थक्षम	Viable
कार्यकारी दल	Working Group
विकेंद्रीकृत	Decentralised
बहुदिशात्मक	Multi-dimensional
विधिसम्मत मुद्रा	Legal Tender
सुरक्षित अभिरक्षा	Safe Custody
प्रारक्षित निधि	Reserve Fund
मूल्यह्रास	Depreciation
निवेश संविभाग	Investment Portfolio
रेखा से नीचे	Below the Line
आय निर्धारण	Income Recognition
आस्ति वर्गीकरण	Assets Classification
दृष्टिबंधक	Hypothecation
निविष्टियों	Inputs
संकर बीजों	Hybrid Seeds
पुनर्व्यवस्थित खातों	Recasted Accounts
अभिदान	Subscription
मुद्रा परिवर्तकों	Money Changers
अधिग्रहण	Acquisition
संविदाकृत तारीख	Tendered Date
संपार्श्विक जमानत	Collateral Security
द्वितीयक बाजार	Secondary Market
अवमानक	Sub-standard
कार्यशील पूंजी	Working Capital

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का शीर्षक : कंप्यूटर एक परिचय
लेखक : श्री टी. डी. मल्होत्रा
प्रकाशक : सुलतान चन्द एण्ड सन्स
संस्करण : द्वितीय संशोधित, 2002
पृष्ठ संख्या : 249
मूल्य : 70/- रुपये

मैं सुलतान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्री टी. डी. मल्होत्रा की पुस्तक "कंप्यूटर एक परिचय" (दूसरा संस्करण, 2002) की समीक्षा करने में हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य भारतीय बैंकर संस्थान (आईआईबी) के भाग I की कंप्यूटर परिचय परीक्षा में बैठनेवाले विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तदनुसार उक्त परीक्षा के लिए आईआईबी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से कवर किया गया है।

पुस्तक में आईआईबी परीक्षा के संपूर्ण अभ्यासक्रम को 4 खण्डों में शामिल किया गया है, अर्थात् परिचय, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बैंकों में मशीनीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी और उसके परिणाम। इस प्रकार इसमें आईआईबी के अभ्यासक्रम कि लिए निर्धारित बैंकों में कंप्यूटरीकरण के सभी पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श किया गया है। इस पुस्तक का एक प्रमुख पहलू यह है कि इसमें कंप्यूटरीकृत प्रणाली में प्रयुक्त हार्डवेयर के विविध भागों के चित्र देकर संकल्पनाओं को स्पष्ट किया गया है। तथापि चित्रों को और भी सुधारा जा सकता है। इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में दी गई बातों को स्पष्ट करने के लिए उसके अन्त में कई उदाहरण और अंकगणितीय समस्याओं को उनके समाधान सहित समाविष्ट किया गया है। पुस्तक में विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ स्वरूप के प्रश्नों सहित कई अन्य प्रश्न भी दिए गए हैं। पुस्तक के अन्त में विविध तकनीकी शब्दों को परिभाषित करने के लिए कंप्यूटर शब्दावली भी दी गई है।

मेरे विचार से यह पुस्तक न केवल आईआईबी के परीक्षार्थियों के लिए ही उपयोगी है बल्कि कंप्यूटर के बारे में हिन्दी में मूलभूत सामग्री की तलाश करनेवाले पाठकों के लिए भी यह काफी उपयोगी है क्योंकि इस विषय पर हिन्दी में शायद ही अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हों।

हिन्दी में ऐसी पुस्तक लिखने के लिए लेखक सचमुच ही प्रशंसा का पात्र है। चूंकि तकनीकी परिवर्तन अत्यन्त तीव्र गति से हो रहे हैं अतएव लेखक को चाहिए कि वह प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर नियमित रूप से पुस्तक को संशोधित करता रहे ताकि बैंकों से संबंधित नवीनतम तकनीकी परिवर्तनों को उसमें शामिल किया जा सके।

शरद कुमार
महा प्रबंधक एवं संकाय सदस्य
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
वीर सावरकर मार्ग, दादर
मुंबई-400 028.

पुस्तक का शीर्षक : बैंकिंग की व्यावहारिक समस्याएं
लेखक : श्री सत्यनारायण पाटोदिया
प्रकाशक : अमित प्रकाशन
संस्करण : पुनर्मुद्रित संस्करण, सितंबर, 1999
पृष्ठ संख्या : 471
मूल्य : 250/- रुपये

श्री सत्यनारायण पाटोदिया, जो यूको बैंक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में प्राचार्य हैं, द्वारा रचित पुस्तक "बैंकिंग की व्यावहारिक समस्याएं" में बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान दिए गए हैं।

गत शतक में बैंकिंग परिदृश्य काफी तेजी से बदला है और उसमें अनेक प्रकार के चारित्रिक एवं पद्धतिगत परिवर्तन हुए हैं। आज के इस बदलते परिदृश्य में ग्राहक सेवा का महत्व पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। इसके साथ-साथ बैंकिंग के नए-नए क्षेत्र निरंतर उद्‌घाटित हो रहे हैं। बैंकर अपने व्यावहारिक एवं सामान्य ज्ञान के बल पर ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उन्हें संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर बैंक और ग्राहक दोनों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। यह पुस्तक बैंकरों को बैंकिंग के अलग-अलग पहलुओं की अपेक्षित जानकारी प्रदान कर उनके दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में सहायक होगी। क्योंकि विभिन्न ग्राहकों की समस्याएं भी भिन्न होती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि बैंकरों को इन समस्याओं का तुरन्त समाधान एक जगह मिल सके। यह पुस्तक इस उद्देश्य की पूरक है।

इस पुस्तक में 21 अध्याय हैं, जिनमें से प्रथम 19 अध्यायों में विभिन्न समस्याओं को अनुकूल शीर्षकों में बाँटा गया है। अध्याय 20 में बैंकरों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अधिनियम और अध्याय 21 में बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त मानक संक्षेपाक्षर दिए गए हैं जो कि पुस्तक की सार्थकता को और बढ़ा देते हैं। पुस्तक में 311 समस्याएं एवं उनके समाधान दिए गए हैं। इन समस्याओं को निम्न शीषकों में बाँटा गया है - बैंक और ग्राहक का संबंध, विभिन्न प्रकार के ग्राहक, विभिन्न परिस्थितियों में विशेष व्यवहार, विभिन्न प्रकार के खाते, चेक के विविध अंग, रेखांकन तथा पृष्ठांकन, चेकों का भुगतान, चेकों का संग्रहण, रोकड़ तथा समाशोधन, विनिमय पत्र, संग्रहण हेतु भेजे गए बिल, संग्रहण हेतु प्राप्त बिल, बिलों की खरीद, धनराशि का प्रेषण, सुरक्षित जमा लॉकर, ऋण एवं अग्रिम, समंजन का अधिकार, गारंटी एवं प्रलेखन।

यह पुस्तक सभी प्रकार के बैंकरों व विशेषतः शाखा स्तर पर कार्यरत बैंकरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। शाखा प्रबंधकों को यह पुस्तक शाखा संचालन और प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तक में आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जिससे पाठक की रूचि सरलता से बनी रहती है। यह पुस्तक बैंकिंग के विभिन्न पक्षों की समस्या के समाधान में उपयोगी लगती है। लेखक ने विभिन्न समस्याओं में अनूठे एवं विचित्र काल्पनिक नामों का प्रयोग किया है जिससे पुस्तक की रोचकता बढ़ जाती है तथा समस्या का समाधान याद रखने में भी सहायता होती है।

कुल मिलाकर पुस्तक पठनीय, सरल और उपयोगी है।

यू. एस. पालीवाल
महा प्रबंधक एवं संकाय सदस्य
भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
वीर सावरकर मार्ग
दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028.

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक मानदेय देने की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।***